खण्ड-263, अंक-5
मंगलवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(22 फरवरी, 1966 ई0)

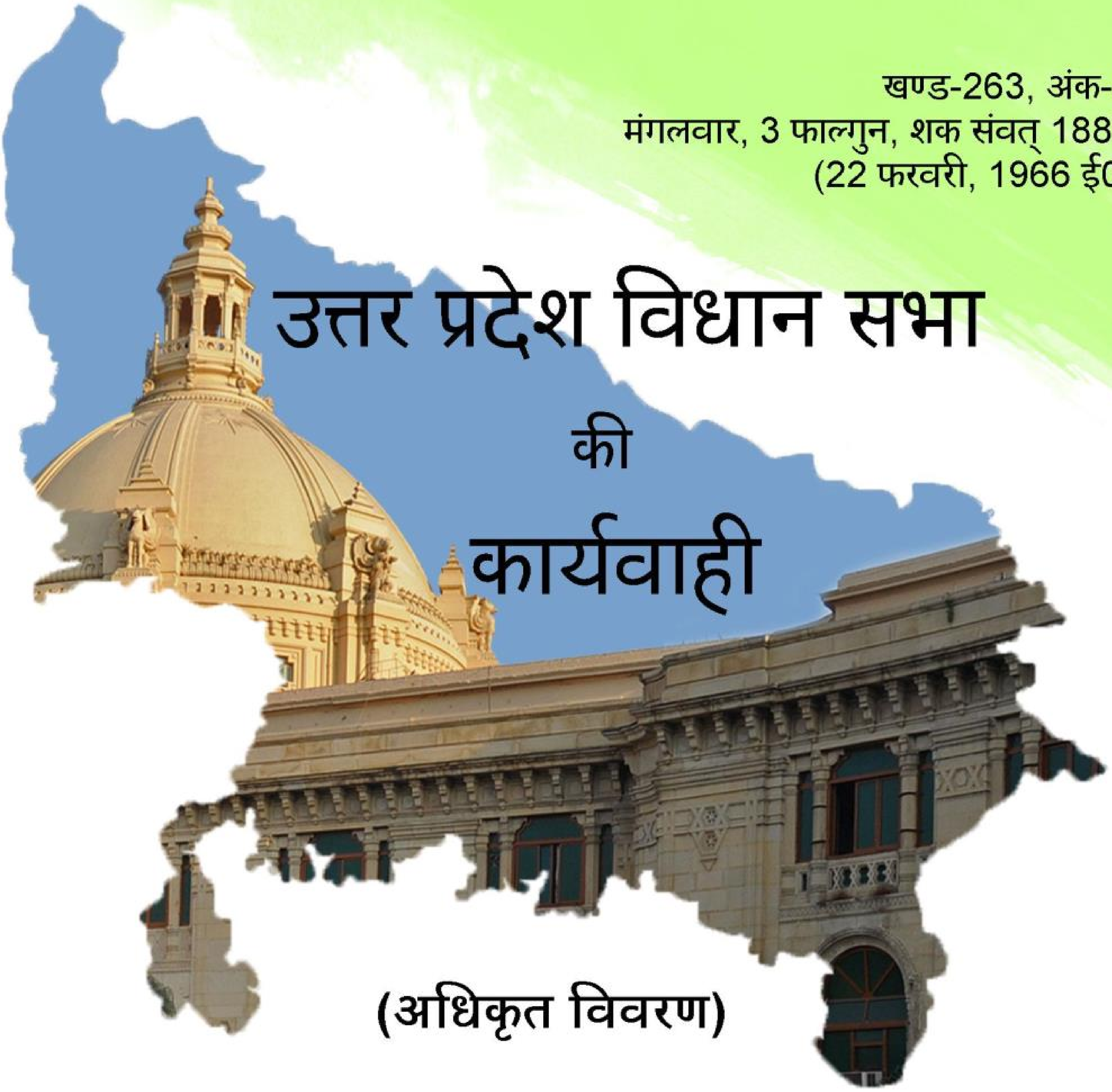

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५९

अक्षयवर सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसूर रहमान, श्री
अब्दुलसमी , श्री
अब्दुल हसाब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद श्री
अली जहीर श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस०, श्री
ओंकारनाथ , द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमल सिंह, यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री

गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशालाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमालुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिनकूमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीत सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितांबरराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बना सीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
ब्रजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादुवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू सिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेशवरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वी सेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरापत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीरामतिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तसिंह युसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री

सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर राम नारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ फरवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डुमरियागंज, रविदास जयन्ती समारोह में मारपीट

**१—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिला के डुमरियागंज नामी स्थान पर गत ५ फरवरी, १९६६ को रविदास जयन्ती के ५ हजार के हरिजनों के जुलूस को आस-पास के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा मार-पीट कर तितर-बितर इस कारण कर दिया गया कि हरिजन क्यों अपने सन्तों की जयन्ती मनाते हैं तथा हाथी पर क्यों बैठेंगे? यदि हां, तो इस घटना का विस्तृत रपट सदन की मेज पर रखते हुए बताया जाय कि हरिजन सवर्ण झगड़े को बचाने के लिये तत्काल कौन कदम उठाया गया है तथा इस सम्बन्ध में कितनों का चालान हुआ है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

रविदास जयन्ती की सभा में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई और न उन के द्वारा हरिजनों को जयन्ती मनाने अथवा हाथी पर चढ़ने से रोका गया। मारपीट करने वाले स्थानीय कालेज के छात्र व उनके साथी लड़के थे जिनका घटना से पूर्व रात्रि में एक नाच समारोह में कुछ हरिजनों से वाद विवाद हो गया था। घटना तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्य- वाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९१ पर)

गांव पंचायतों के ग्राम चुनाव

**२—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभाओं के चुनाव जो जनवरी, १९६६ में होने थे उन्हें कब तक के लिये तथा क्यों स्थगित किया गया है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

प्रदेश में गांव पंचायतों के ग्राम चुनाव दिसम्बर, १९६७ तक सम्पन्न कराये जाने का विचार है इसका कारण यह है कि भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रणाली आदि का अध्ययन करने के लिये एक कमेटी श्री के० संथानम की अध्यक्षता में मुकर्रर की थी, जिसने यह सिफारिश की है कि पंचायती राज की तीनों स्तरों की संस्थाओं का चुनाव एक ही साथ होना चाहिये जिससे इन संस्थाओं का कार्यकाल एक सा रहे और इनका पारस्परिक सम्बन्ध अच्छा रहे। इन सिफारिशों को मान लिया गया है। क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल क्रमशः मई, १९६७ तथा जून, १९६८ में समाप्त होगा। ये संस्थायें नई हैं और पंचायती राज की प्रगति को देखते हुए इनका कार्यकाल समय से पूर्व समाप्त करना उचित नहीं समझा गया। अतः यह निश्चय किया गया है कि गांव पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जाय ताकि तीनों संस्थाओं के चुनाव साथ-साथ हों।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार संथानम् समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्राम सभाओं के चुनाव के साथ ही जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों के चुनाव भी करायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

क्षेत्र समितियों का निर्माण जुलाई, १९६२ में हुआ था और जिला परिषदों का निर्माण उसके बाद हुआ है। सरकार को अधिकार है कि वह उनका कार्य काल एक साल के लिये बढ़ा सके, लेकिन शायद उसका कार्यकाल है न बढ़ाना पड़े। मई के बजाय सन् १९६७ तक, सितम्बर या अक्तूबर तक, गांव पंचायतों के चुनाव हो जायेंगे और सन् १९६८ के मार्च तक या अप्रैल तक क्षेत्र समितियों के और उसके बाद जून, जुलाई में जिला परिषदों के चुनाव हो जायेंगे, ऐसी आशा है। उन सब के बीच २–३ माह का समय तो रखना ही होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इस बात को देखते हुए कि संथानम् समिति की यह सिफारिश है कि यह तीनों चुनाव एक साथ होने चाहिये, और माननीय मंत्री जी ने उसी को ध्यान में रखते हुये ग्राम सभाओं के चुनाव जो सन् १९६६ में होने वाले थे, उनको वह सन् १९६७ में करने जा रहे हैं, और सरकार ने उन सुझावों को माना भी है, तो क्या कारण है कि सरकार तीनों चुनाव एक साथ नहीं करा सकती ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तीनों संस्थाओं के चुनाव एक साथ तो हो ही नहीं सकते और उसका कारण यह है कि क्षेत्र समितियां डाइरेक्ट चुनी नहीं जातीं। इसके अलावा जिला परिषद् में भी सदस्य सीधे निर्वाचन से ही नहीं आते। तो जब गांव सभाओं के चुनाव हो जायेंगे उसके बाद ही उनके चुनाव हो पायेंगे क्योंकि गांव सभा के प्रधान उसके पदेन सदस्य होते हैं। हर क्षेत्र समिति से जिला परिषद् में सदस्य चुन कर आते हैं। तो वह तो क्रमानुसार ही एक के बाद दूसरे का चुनाव होगा, फिर तीसरे का होगा। तीनों एक साथ तो चुनाव नियमों के अनुसार हो ही नहीं सकते।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभाओं के जो मेम्बर होंगे उनकी तादाद भी कम करने का विचार है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हां, सरकार ने संयानम् कमेटी की रिपोर्ट को देख कर यह विचार किया है कि गांव पंचायतों के जो सदस्य होते हैं वे कम होने चाहिये।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव सभाओं का जो चुनाव हट गया है उसका कारण यह है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के जो वोटर होते हैं वे भी गांव सभाओं के वोटर होंगे। ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उसमें अगर वोटर हो भी जाते तो हटाने का प्रश्न नहीं था। कारण जो हटाने का था वह मैंनेआप को बता दिया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि पंचायतों का चुनाव इसलिये नहीं करा रहे हैं कि आम चुनाव सामने हैं और पंचायतों के चुनावों में कांग्रेस हार जावेगी। अगर ऐसा है तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कांग्रेस का जो बड़ा भारी बहुमत जिला परिषदों में है, वह आप देख चुके हैं।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब कि जनरल इलेक्शन की धूमधाम होगी तो क्या उस वक्त चुनाव कराना सम्भव होगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं का क्षेत्र कुछ घटाया और कुछ बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ ऐसा भी विचार है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संयानम् कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय समिति और जिला परिषदों का गांव सभाओं के नियमों और निषेधों में संशोधन करने का भी विचार है, यदि वह विचार है तो उन्हें सदन के सामने कब प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि गत वर्ष सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था कौन्सल में जिसमें बहुत से परिवर्तन आये थे क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् में, लेकिन संयानम् कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए हमने बिल को ड्राप किया और फिर सरकार संयानम् कमेटी की रिपोर्ट को एक कम्प्रिहेन्सिव बिल के रूप में लाने का विचार कर रही है। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वह कब आयेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयानम् कमेटी की जो यह सिफारिश है कि चुनाव एक साथ ही होना चाहिये, इन सब को पूरा करने के लिये यह सोचा जा रहा है कि अगर एक जो वोटर प्रधान का चुनाव करे वह क्षेत्र समिति के प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करें। तीनों को एक साथ ही वहां वोटर्स चुनाव में वोट देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो सकता है। वह इस तरह से हो सकता है कि बजाय इसके जो चुनाव प्रक्रिया इस समय है उस को बदलकर वहीं वोटर्स, तीनों का चुनाव कर दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार का कोई विचार सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जब सरकार ने अपने मन से ही चुनाव को टाला तो सन्थानम् कमेटी की रिपोर्ट को इस संदर्भ में लाने का मुख्य अभिप्राय क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार करके ऐसा किया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार का ध्यान अपनी उस विज्ञप्ति की ओर गया जो प्रेस में दी गई कि ग्राम सभाओं का चुनाव, मार्च ६७ में होकर तुरन्त बाद क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का गठन होगा ? यदि हां, तो मन्त्री जी कैसे कहते हैं कि चुनाव दिसम्बर, १९६७ में होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल ५ साल से हम कम नहीं करना चाहते चूंकि वे नई सस्थायें हैं । अच्छा यही होगा कि गांव पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाकर उनके कार्यकाल के साथ जोड़ दें ।

श्री ऊदल—

जब मार्च, ६७ में चुनाव होगा और उतने दिन के लिये कार्यकाल भी गांव सभाओं का बढ़ाया गया है तो मन्त्री जी किस अधिकार से कहते हैं कि दिसम्बर, ६७ में चुनाव होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार को १ वर्ष का समय बढ़ाने का अधिकार है, जो ६७ में दिसम्बर–जनवरी में होगा। चूंकि ६७ में जनरल इलैक्शन होंगे सरकार उस विधेयक में संशोधन कराके सितम्बर–अक्तूबर ६७ में करावेगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

सन्थानम समिति की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और कब उसे स्वीकार किया गया और ग्राम सभाओं के चुनाव के बारे में उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न सिर्फ यह है कि ग्राम सभाओं के चुनाव जो जनवरी, १९६६ में होने चाहिये वे कब तक कराये जावेंगे ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

सन्थानम् समिति की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और कब स्वीकार हुई, इतना ही बता दें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

वह रिपोर्ट स्वीकार कब हुई और यह निश्चय कब किया गया कि चुनाव टाल दिये जावें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नोटिस चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या यह सही है कि दिसम्बर ६७ में चुनाव होंगे या मार्च में ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार के १ साल बढ़ाने के अधिकार से जनवरी ६७ में होता है, लेकिन चूंकि उस समय सामान्य निर्वाचन होते रहेंगे इसलिये सरकार विधेयक में संशोधन कराके सितम्बर-अक्तूबर, ६७ या नवम्बर ६७ तक गांव पंचायतों के चुनाव करावेगी । मार्च–अप्रैल, ६८ में क्षेत्र समिति का और जून, ६८ में जिला परिषदों का चुनाव होगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

[पावर की स्वीकृति देने का अधिकार

*१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री ऊदल, श्री सन्तसिंह युसूफ (जिला कानपुर), श्री शराफत हुसैन रिजवी, श्री विजयपाल सिंह, (जिला मुजफ्फरनगर), श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़), श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), तथा श्री रघुवीर सहाय कैथवार (फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने का कृपा करगी कि राज्य में पावर की स्वीकृति देने का अधिकार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी हां । किन्तु सरकार को विद्युत् शक्ति की स्वीकृति देने का अधिकार निहित रहेगा जिसके अनुसार यह आवश्यकतानुसार स्वीकृति देती रहेगी ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

विद्युत् उपमन्त्री से लेकर अध्यक्ष, विद्युत् बोर्ड, को अधिकार देने का क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है । इतने बड़े सूबे में हर आदमी का एप्रोच यहां तक नहीं है (आवाजें) है—इसलिये हर जिले में समिति है जहां लोग अर्जी देकर बिजली ले सकते हैं । इसके अलावा सरकार के इनहैरेंट राइट के अनुसार चाहे मंत्री हो या उपमंत्री हो, कोई भी हो, वह भी बिजली देते रहेंगे ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जब अपने सूबे में बिजली की कमी है जिसके कारण रोस्टरिंग होता है तो स्टेट के बाहर दूसरे प्रदेश को ५० मेगावाट बिजली देने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

वह तो नियम की बात है । जो जिसके अधिकार हैं उनके मुताबिक जब बिजली होगी तो दी जायगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि मंत्रीजी ने निजी तौर से उप मंत्रीजी से यह कह दिया है कि आयन्दा आप कनेक्शन न दिया करें ?

श्री गिरधारीलाल—

यह बात गलत है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री ज के ध्यान में यह बात आई है कि सदन के कुछ सदस्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के पास दरख्वास्तें लेकर गये जिन्हें माननीय उपमंत्री ने स्वीकार कर दिया था और अध्यक्ष ने उन्हें यह कह कर फेंक दिया कि यह आटोनामस बाडी है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है ? क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय मत्री जी इस बात का स्पष्ट निराकरण करने की कृपा करेंगे कि इस तरह की बात भविष्य में नहीं होगी और अधिकारों का डिवीजन स्पष्ट हो जाय ?

श्री गिरधारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, पहले जो व्यवस्था की गयी थी, उसमें कुछ गलतफहमी हो गयी थी, अब उस गलतफहमी को दूर कर दिया गया है ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह गलतफहमी क्या थी जिसको दूर कर दिया गया है ? क्या उस के मातहत शांतिप्रपन्न शर्मा जी से बिजली का काम ले लिया गया है ? क्या वे सदन में इसीलिये नहीं आ रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

अध्यक्ष, महोदय, यह बात गलत है कि वह सदन में इसीलिये नहीं आ रहे हैं । बड़े अफसोस की बात है । कि उनके छोट भाई का कल देहान्त हो गया है, इसलिये वे नहीं आये हैं । गवर्नमेंट को तो यह इनहेरेंट अधिकार है कि वह किसी भी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को मंजूर करे या नामंजूर करे । ऐक्ट के अनुसार बोर्ड पूरी तरह से यह नहीं समझा था कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के उसके क्या अधिकार हैं । जितनी बिजली जहां पर एवेलेबिल होती है उसी हिसाब से वहां पर मंजूर की जाती है । बात यह है कि यहां से जितनी बिजली मंजूर हुई उतनी कैपेसिटी न होने के कारण अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पायी है । इस कठिनाइयों को दूर करने के खयाल से और इस खयाल से कि लोगो को बिला वजह यहां तक न दौड़ना पड़े, यह कर दिया गया है कि हर जिले में वहां की अवेलेबिलिटी के लिहाज से दरख्वास्तें मंजूर हो जाया करें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

बोर्ड में नीचे से ऊपर तक सब सरकारी अधिकारी ही हैं, ऐसी हालत में जो प्रार्थना-पत्र सरकार से स्वीकृत होकर उनके पास गये हैं, उनको व्यक्तिशः उन्हें अस्वीकृत करने का क्या कारण था ? क्या मत्रीजी ने कोई ऐसे आदेश दिये हैं कि गवर्नमेंट से रिकमेंडेड प्रार्थना-पत्रों को रिजेक्ट कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रकार की कोई हिदायत नहीं दी गई है । न कोई बात ऐसी है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जिला स्तर की कमेटी में सरकारी अधिकारी हैं अथवा कोई विधायक भी है ? बिजली बोर्ड के अध्यक्ष का निवास स्थान कहां है ? क्या सरकार को मालूम है कि बिजली बोर्ड के अध्यक्ष किसी विधायक से बातचीत करने को तैयार नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल—

हर जिले के अन्दर एक कमेटी है। उसके बारे में विचार किया जा रहा है कि उसमें एक नान आफीशियल भी रखा जाय। बहुत सुन्दर हो कि जिला परिषद् के जो अध्यक्ष हों वह भी उसके सदस्य हों, जहां तक बिजली परिषद् के अध्यक्ष के निवास स्थान का प्रश्न है वह लखनऊ में ही है और मुझे खेद है कि अगर किसी माननीय सदस्य के साथ ऐसी बात हुई कि उन की मुलाकात उनसे न हो सकी हो।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या यह बात सही है कि बिजली उपमंत्री श्री शांति प्रपन्न शर्मा ने इस बात पर विरोध रखते हुये अपना इस्तीफा माननीय मुख्य मंत्री को दे दिया है और वह इस बात से सहमत नहीं थे कि यह पावर इस तरह से हटाई जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

मुझे तो इस की कोई इत्तिला नहीं है और उनका कोई किसी तरह का विरोध नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी का ध्यान बिजली परिषद् की उस विज्ञप्ति की तरफ गया है जो अभी जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रकाशित हुई थी जिसमें लिखा है कि अभी तक जितनी भी सेंक्शन सरकार द्वारा या उप मंत्री द्वारा हुई है वह गलत है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी विज्ञप्ति निकलवाई है क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेकराम शर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है। एक विज्ञप्ति प्रेस में निकली जिसका जिक्र श्री ऊदल न किया, मंत्री जी कहते हैं कि वह नहीं निकली। कौन सी बात ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विज्ञप्ति निकली लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे नोटिस में नहीं आई।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने अभी दो बातें कहीं, एक तो यह कि पावर इसलिये दी गई कि हर आदमी को पहुंच का मौका नहीं मिलता और दूसरे यह कि जितनी स्वीकृत हो गई थी वही पूरी नहीं हो सकी। इन दोनों चीजों में इखतलाफ है। तो क्या मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि जो स्वीकृतियां यहां श्री शांति प्रपन्न द्वारा हुई थीं क्या कोई आदेश ऐसे भी जारी किये गये हैं कि उन को न माना जाय और यहां की बिजली की कैपेसिटी को देखते हुये।? खारिज किया जाय,

श्री गिरधारीलाल—

ऐसे कोई आदेश नहीं है मंत्री, उपमंत्री या सचिव की तरफ से जो भी मंजूरी होती है वह सरकार की तरफ से होती है, उन को कोई किसी भी तरह डिसआनर नहीं कर सकता।

श्री ऊदल—

मत्री जी न कहा कि उपमंत्री जी ने इतना ज्यादा सेंक्शन दे दिया कि वहां उतनी पावर नहीं थी और अभी श्री बालोजी अग्रवाल ने पूछा कि दिल्ली स्टेट को अध्यक्ष ने पावर दे दिया है।

तो एक जगह कहते हैं कि कमी थी और सेंक्शन करते रहे इसलिये उन से पावर ले लिया और दिल्ली स्टेट को अध्यक्ष ने स्वीकृति मंत्री जी और उपमंत्री से बिना पूछे दे दी। दोनों में से कौन सी बात सही है? क्या वे मंत्री जी की स्वीकृति से दिये गये? और यदि मंत्री जी की स्वीकृति से दिये गये तो मंत्री जी का यह कहना कि हमारे पास पावर नहीं थी और उसको ठीक करने के लिये नियम में परिवर्तन किये, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है या वह बात सही है?

श्री गिरधारीलाल—

मैं मालूम करूंगा। उन्होंने इस वक्त २० मेगावाट बिजली दी है। वास्तव में केन्द्रीय सरकार से हमें हर वक्त मदद की जरूरत रहती है इसलिये यह बिजली उन्हें दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि आप माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास और भी तरीके हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हम यह मानते हैं कि हमारे पास बहुत से तरीके हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है अगर वे इन्कार करें तो प्रिविलेज नोटिस दे सकते हैं लेकिन आप उनसे साफ नहीं करवाते हैं। जबतक वे साफ न करें हम क्या कर सकते हैं? यह कोई नया सवाल नहीं है। आप कृपया साफ उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा बैठ जायें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन लूंगा। आप कृपया बैठें। नियमों में यह है कि अगर प्रश्नों के संबंध में उत्तर से आपका समाधान नहीं होता है तो आप इस संबंध में बहस कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, वह तो ठीक है लेकिन यह तो एक छोटा सा स्पष्टीकरण है। अगर दिल्ली सरकार को ५० मेगावाट देने को सिंचाई मंत्री स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो मैं माननीया मुख्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार को ५० मेगावाट बिजली देकर घूंस दी है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

हजारों ट्यूबवेल्स १०-१० हार्स पावर के लिये मांग कर रहे हैं.....

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जिस समय इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे तो मैं कई बार खड़ा हुआ। तब आपने कहा कि इस पर आप प्रश्न पूछ लीजिये परन्तु अब आपने इसे

समाप्त ही कर दिया है। मुझे प्रश्न पूछने के लिये आपने कोई अवसर नहीं दिया। आपने स्वयं एक बार नहीं कहा कि प्रश्न पूछ लीजिये और अब इसे समाप्त ही कर दिया। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दें ताकि मैं पूछ सकूं? आपने स्वयं अपनी व्यवस्था के विरुद्ध इसको खत्म कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका इसके लिये आभारी हूं किन्तु नियमों में निश्चित रूप से यह लिखा हुआ है कि अगर आपको असंतोष है, किसी उत्तर से, तो इसके लिये आप आध घंटे के विवाद की मांग कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, जिस नियम का आप हवाला देते हैं उसमें यह दिया हुआ है कि जब इस सदन में हम को प्रश्नों के द्वारा संतुष्टि न हो जाय या उत्तर गलत आवें तब आपको इसके लिये प्रार्थना कर सकते हैं। सीतापुर में "नन्दा" का जो कांड हुआ था उस समय आपने कहा था कि नियम ५० के अन्तर्गत आप प्रार्थना कर लें और जब मैंने वह की तो आपने उसे अस्वीकृत कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह आप क्या कहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

जो आरोप आप लगा रहें हैं गलत है. जहां तक मुझे याद है मैंने जो वायदा किया, उस को वापस नहीं लिया। जहां तक नन्दा का सवाल था मैंने २५ मिनट दिये थे और फिर मैंने उसे समाप्त कर दिया था। मैंने यह नहीं कहा था कि आप नियम ५० की बहस कर लें। जब कह देता हूं तो पूरा कर देता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सिंचाई मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमने केन्द्रीय सरकार को २० मेगावाट बिजली इसलिये दी क्योंकि केन्द्रीय सरकार से हम को वक्तन फवक्तन सहायता लेनी पड़ती है। तो प्रश्न यह है कि सरकार ने दबाव में आ करके या दूसरे काम के दबाव में आ करके जो बिजली देना स्वीकार किया है यह भ्रष्टाचार है। यह नहीं होना चाहिये। तो ऐसी समस्या जब उत्पन्न हो गई है तो स्पष्ट हो जाना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें बिजली क्यों दी। इस बात की माननीय सिंचाई मंत्री की ओर से या माननीय मुख्य मंत्री की ओर से घोषणा होनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

राम सुन्दर जी, आप ठीक कहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष जी, सारी बात मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि एक साथ सब लोग बोल रहे थे। मगर जितना मने समझा है लोगों को इस बात पर बेचैनी है कि जो पावर सेक्शन पहले गवर्नमेंट की तरफ से होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट लेविल पर होती है, इसका कारण यह था कि देखा गया कि जितनी पावर अवेलएबिल है उस से ज्यादा सेक्शन हो गई। क्योंकि बोर्ड तो पावर रखता है और यहां से सैंक्शन होती जाती थी तो बड़ी परेशानी हो गई। परेशानी इस बात की हो रही थी कि बहुत से कुओं के लिये पावर की सैंक्शन मिल गई और जब सैंक्शन मिल गई तो लोगों ने रहट वगैरह जो कुओं में लगा रखे थे हटा दिये, लेकिन पावर मिल नहीं सकी। इस से बहुत असुविधा हो रही थी। ये सारी बातें केबिनेट–सब–कमेटी के सामने आयीं। उस के बाद यह तय हुआ कि इस विषमता

को दूर करने के लिये डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ही सेक्शन हो ताकि उनके पास सूचना हो कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में अवेलएबिल पावर है। इस के बाद वहां बहुत बेचैनी हो रही है कि शान्ति जी को ही सेक्शन देनी चाहिये। तो यह पावर तो गवर्नमेंट के पास इनहेरेन्ट है। मगर हम लोगों ने कहा कि शान्ति जी को पावर देने का अधिकार हो सिर्फ इतनी कंडीशन रखी है कि टेकिंग इन्टु कंसीडरेशन दि अवेलएबिलिटी। अब अगर अवेलेएबिल ही नहीं है, तो कागजी कार्यवाही से कोई फायदा नहीं है। तो इतनी ही रुकावट है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उप मंत्री जी जिस प्रकार से पहले पावर दिया करते थे उन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है जिसके कारण से वे सदन में आना छोड़ चुके हैं, क्या यह बात सही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह कतई गलत है। मैं बताना चाहती हूं कि उन के घर में उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई है इसलिये वह नहीं आ रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, अभी सिंचाई मंत्री ने जवाब दिया, और मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी संयुक्त होती है, कि दिल्ली दरबार से रोज काम रहता है इसलिये २० मेगावाट बिजली हम ने दे दी। तो इस में मुख्य मंत्री को क्या कहना है ?

श्री गिरधारीलाल—

मैं इसकी जानकारी हासिल करूंगा। लेकिन वैसे हमारे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर गलत बात हो जायगी तो उस का संशोधन हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल—

मैंने यह कहा कि इसकी मैं पूरी जानकारी करूंगा। लेकिन वैसे केन्द्रीय सरकार से हमारा संबंध है, हम को उन से बहुत सी बातों की मदद लेनी है। देहली में क्राइसिस आ गया तो थोड़े बहुत समय के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ऐसा कर दिया होगा। इस बारे में मालम करके ही मैं कुछ बतला सकूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सुन तो लें। वह यह कह रहे हैं कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर के बतायेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी बराबर जानबूझ कर इस सदन में गलतबयानी कर रहे हैं। इसलिये मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरी चीज आ गयी।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन अधिकारियों ने नहीं किया। मैं उदाहरण के लिये बतलाता हूं कि ४ फर्लांग से ३ फर्लांग के आर्डर्स माननीय उप मंत्री ने कब किये और उन आर्डर्स को अधिकारियों ने माना अथवा नहीं माना और अगर नहीं माना, तो अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री का कहना है कि अवलेबिलिटी को देखते हुए हमको परिवर्तन करना पड़ा और आपका कहना है कि वह आर्डर्स पूरे क्यों नहीं हुए ? इसके अलावा जो कुछ आपको कहना हो कहिये ।

श्री गिरधारीलाल—

४ फर्लांग और ३ फर्लांग का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध मे जितनी मंजूरी यहां से हुई हैं वे सब मानी जा रही हैं लेकिन जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा जिस वक्त बिजली अवेलेबिल होगी उस वक्त उन लोगों को बिजली दी जायगी ।

श्री ऊदल—

एक विज्ञप्ति विद्युत् परिषद् से निकली थी कि अब तक जितनी स्वीकृतियां सरकार द्वारा या उप मंत्री द्वारा हुई हैं वे गलत हैं और यह विज्ञप्ति जनवरी के आखिरी सप्ताह में निकली थी और आज का जो बयान मुख्य मंत्री का सदन में हुआ है उसे देखते हुए विद्युत् परिषद् की विज्ञप्ति गैर कानूनी हो जायगी और उसका कोई महत्व नहीं रह जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसको देख लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि एक विज्ञप्ति यहां से जारी हुई है विद्युत् बोर्ड की तरफ से और एक बयान आज यहां सदन में हुआ है । दोनां में अन्तर है, तो कौन सी बात प्रभावी होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि किसलिय यह परिवर्तन किया गया है और इसलिये किया गया है कि लोगों को उसमें ज्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि बिजली अवेलेबिल नहीं थी । अब जो विज्ञप्ति की बात है उस संबंध में मैं कोई कमिटमेन्ट नहीं करती हूं, जा कर स्टडी करूंगी कि उसका इम्पलिकेशन क्या है । जो हम लोगों ने उस वक्त आर्डर किये थे उनके स्थान पर नये आर्डर्स भेजे गये हैं । इतना मैं बतला सकती हूं । अगर उन्होंने कोई जी० ओ० भेजा है तो उसे स्टडी करके बतला सकती हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, विभिन्न माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे हैं और मैंने भी लिख कर दिया था, तो हमारी व्यवस्था का सवाल यह है कि जो मंत्री जी ने आदेश दिया है अपनी कलम से कि फलां जगह बिजली लगा दी जाय और ऐसा सैकड़ों जगहों के लिये मंत्री जी ने आदेश जारी किया है तो उनका आदेश क्यों नहीं लागू हुआ ? मंत्री जी का आदेश चलेगा या अधिकारियों का ?

श्री अध्यक्ष—

इसका स्पष्टीकरण हो चुका है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि जो दरख्वास्त माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी के पास जायेंगी उनको वे स्वीकार करेंगे या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी लोगों की एप्लीकेशन्स जरूर एन्टरटेन कर सकते हैं । उनसे कहा गया है कि अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं इतनी देर से प्रश्न और उत्तर सुन रहा था। मुझे दुख हुआ कि जब ऐसे प्रश्न आयें तो मंत्री जी को पूर्ण रूप से तैयार होकर आना चाहिये। अगर तैयार नहीं हैं तो उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिये क्योंकि जैसा आप कह देते हैं कि अगर प्रश्न से ही सब सवाल हल हो जाय या उत्तर मिल जाये तो जहां तक सम्भव हो प्रश्न देना चाहिये। हमें दुख है कि मंत्री जी को अपने महकमे के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मंत्री जी को भलीभांति तैयार होकर आना चाहिये वरना वे प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी जानकारी में है कि इस प्रदेश में सूचना विभाग है जिस पर लाखों रुपया खर्च होता है। मंत्रियों से संबंधित जो समाचार अखबारों में छपते हैं तो जिस विभाग से समाचार संबंधित होता है उस विभाग के मंत्री के पास उसका कटिंग काट कर भेजने का कर्त्तव्य सूचना विभाग का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जनवरी में जो यह विज्ञप्ति निकली अखबारों में और उनका कहना यह है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो सूचना विभाग के द्वारा उनकी जानकारी में यह लाया गया है या नहीं? यदि नहीं लाया गया है तो वे सूचना विभाग के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखपतराम जी, मैं निवेदन कर दूं कि जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं सरकार से यह नहीं कह सकता कि तुम जबाब इस प्रकार से दो। अब उनके जबाब से आप अनुमान निकालिये और जो उचित कार्यवाही इन नियमों के अन्तर्गत हो सकती हो कीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपने सदन में एक व्यवस्था दी। आपने यह कहा कि यदि प्रश्नों के उत्तर से माननीय सदस्य असंतुष्ट हों तो नियमों के अन्तर्गत आध घंटे का समय बहस के लिये मांग सकते हैं। श्रीमन्, सारे सदस्य और जब आप स्वयं असन्तुष्ट हों तो उस वक्त क्या होना चाहिये? सिर्फ मंत्री जी इस्तीफा दें। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिये, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह इतना बड़ा सदन है, सिर्फ उधर (विरोधी पक्ष) ही सदन नहीं है, इधर भी है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि इस सदन में कार्य करने की बड़ी दिक्कत है। वह इस माने में कि अभी आपने रामसुन्दर पांडेय जी का नाम पुकार दिया, वह खड़े भी हो गये और आपने नेता विरोधी दल को भी पुकार दिया। तो मैं यह देखता हूं कि सदन में जो ज्यादा शोर मचाते हैं, उन्हीं को ज्यादा बोलने का मौका मिल जाता है और आप स्वयं उन्हें बोलने देते हैं, रोकते नहीं हैं। किन्तु जो लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ही सिर्फ शान्ति से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें आप कोई मौका नहीं देते हैं। यदि कोई बोलने को खड़ा भी हो जाता है तो जब उसके स्थान पर शोर करने वाले सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो आप पहले वाले से कह देते हैं, आप दुबारा पूंछ लेना। तो यह बात कहां तक ठीक है?

श्री अध्यक्ष—

उनमें से एक आप भी हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं उनमें से एक नहीं हूं, यह आपने गलत बयानी की है।

*२-३—श्री काशीनाथ मिश्र —

[४ थे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

घाघरा का कटाव

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ अप्रैल, १९६५ का लिखित कोई प्रश्न उन्हें प्रश्नकर्त्ता का प्राप्त हुआ है जिसमें घाघरा नदी के कटाव को रोकने की चर्चा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही हुई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रथम भाग—

जी हां ।

दूसरा भाग—

पत्र में उल्लिखित मामले की जांच करा ली गई है । की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९२ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, रुड़की से परामर्श लेने के बाद जो उनकी सिफारिश आई, उस पर सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस पर तो अभी फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड में विचार किया जायगा और रुपये पर यह सारा आधारित है । वहां से फायनल हो जाने के बाद यह सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन को भेजा जायगा । तो अभी तो इसमें दो स्टेजेज बाकी हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसात आने के पहले उनकी ओर से इस पर निर्णय ले लिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पहले तो इस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार के फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा विचार किया जायगा और यदि धन उपलब्ध होगा तो इसको रेकमेन्ड करेंगे । उसके बाद सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन को प्रेषित किया जायगा वहां से फायनल होने के बाद तक कहीं जाकर यह कार्यरूप में परिणत हो सकेगा ।

श्री उग्रसेन—

इस बात को जानते हुये कि घाघरा जो है वह उत्तर प्रदेश की दूसरे नम्बर की खतरनाक नदी है और उसका डिस्चार्ज ३ लाख क्युसेक्स हो जाता है और यह कटाव दोनों ओर करती है तथा यह सवाल १४-१५ वर्षों से चला आ रहा है । इसको देखते हुये क्या मंत्री जी कुछ पक्की ठोकरें बनाने की कृपा करेंगे जिससे कि हमेशा के लिये या १०-२० वर्षों के लिये यह समस्या हल हो जाए और उसके लिये धन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इतनी बड़ी नदी को रोकने का काम इतनी जल्दी इतनी आसानी से किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है। इस पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च होगा, जिसकी हमारी क्षमता अभी नहीं है। हम अपने सीमित साधनों से उसे निकट कुछ वर्षों में कन्ट्रोल कर सकें, यह हमारे लिये सम्भव नहीं है।

श्री उग्रसेन—

इसके बाद तो उनकी सरकार ही नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

तब आप करियेगा।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी स्वयं धन की उपलब्धि के विषय में प्रयत्न करेंगे या प्रश्न कर्त्ता के याद दिलाने पर प्रयत्न करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह तो बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें १६७.५६ लाख का खर्चा है। अब इसमें अन्य स्कीमों के साथ प्रायरिटी फिक्स होने पर ही क्या इसको वरीयता मिलेगी और जब वह तय होगा किसको वरीयता मिले तभी यह तय होगा।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है कि वे स्वयं जानकारी करेंगे या प्रश्नकर्ता द्वारा याद दिलाने पर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अब वे आपके आभारी हैं कि आपने उनको इसकी याद दिलाई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैंने यह पूछा था कि क्या बरसात आने के पहले कोई निर्णय हो जायगा और अगर वह नहीं हो जाता है तो फिर इन गांवों को बचाने के लिये आपकी सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

श्री गिरधारीलाल—

अभी तो जैसा है उसी से काम चलाया जायगा लेकिन जब केन्द्रीय सरकार से पूरा प्लान मंजूर हो जायगा १६ करोड़ रुपये का फ्लड कंट्रोल की बाबत तब उसमें देखेंगे कि कितना रुपया इसमें लग सकता है और तभी दूसरा कदम उठाया जायगा।

अलीगढ़ जिले में नलकूप

*२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में ब्लाकवार कितने ट्यूबवेल्स (नलकूप) हैं ? उनमें कितने नलकूपों ने पिछले पूरे वर्ष भर काम किया है और कितने बन्द पड़े हैं और किन कारणों से इनमें से कितने नलकूपों के ट्रान्सफार्मर चोरी जा चुके हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अलीगढ़ जिले में ब्लाकवार राजकीय नलकूपों की संख्या की सूची संलग्न है। सभी नलकूप केवल कुछ समय को छोड़ कर जब वे किसी खराबी आदि के कारण बंद हो गये हों,

पूरे वर्ष भर चलते रहे। कोई भी नलकूप ऐसा नहीं है जो पूरे वर्ष बंद पड़ा रहा हो। वर्ष १९६५ की अवधि में २८ नलकूपों के ट्रान्सफार्मर चोरी गये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी के पास कोई सूचना है कि उन नलकूपों में से कितने ऐसे हैं जो गर्मियों के अन्दर बन्द रहते हैं जब कि पानी की मांग सबसे ज्यादा रहती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हर नलकूप के बारे में अलग-अलग बता सकता हूं, अगर आप पूछें तो मैं उस ब्लाक का निकाल कर बता सकता हूं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

इन ट्रांसफार्मर्स की चोरी रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इनके लिये तो पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गयी, लोगों से जांच की गयी ताकि कोई दिक्कत न हो। डिपार्टमेंटल जो कुछ कानूनी कार्यवाहियां हो सकती हैं उन्हीं के अन्दर सारे प्रयत्न किये गये।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जहां ट्रांसफार्मर्स हैं उन ट्यूबवेल्स पर आपरेटर्स के रहने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सब ट्यूबवेल्स गांवों में तो हैं नहीं और जहां पर हैं वहां पर मकान बनवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके होने पर भी ट्यूबवेल आपरेटर्स वहां पर रहना नहीं चाहते क्योंकि वे भी अपने और अपने परिवार के जान माल की हिफाजत की जरूरत वहां महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में तो ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिन २८ ट्रांसफार्मरों की चोरी हुई वहां के नलकूप कितने दिनों तक बन्द रहे और दूसरे ट्रांसफार्मर्स कितने दिनों बाद रिप्लेस हुये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नम्बर १ लोध, ४७ नवम्बर, अलीगढ़ ८-१०-६५ को चोरी गया और २१-११-६५ को रिप्लेस किया गया। लोध ६० नवम्बर का १७-८-६५ को चोरी हुआ और १४-१०-६५ को रिप्लेस किया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह सूची कितनी लम्बी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२८ नाम हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो जो पूछें उनको बता दीजियेगा।

नोट—तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त होगया।

[२२ फरवरी, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया बस स्टेशन निर्माण

*१—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया बस स्टेशन निर्माण में अब तक कुल कितना रुपया लग चुका है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

२२,८२४ रुपये ।

*२—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस स्टेशन देवरिया भवन पूरा गिर गया और ठेकेदार को सभी धन मिल गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सही नहीं है ।

*३—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बस स्टेशन देवरिया के भवन की जांच किसी टेक्निकल कमेटी से करायेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव संबंधी भत्ता

*४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जिला परिषद् के अध्यापकों तथा लेखपालों का गत पंचायत और ग्राम चुनाव का भत्ता एवं पोलिंग स्टेशन आदि बनाने का व्यय अब तक नहीं दिये जाने का कारण क्या है ?

न्यायमंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

पंचायत के निर्वाचन से संबंधित जिला परिषद् के अध्यापकों तथा लेखपालों के भत्ता बिल समय से प्राप्त न होने, त्रुटिपूर्ण होने और पूर्व समीक्षा (pre-audit) के लिये महांकिक, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के कारण, अब तक नहीं दिया जा सका है ।

गत पंचायत निर्वाचन में अध्यापकों एवं लेखपालों द्वारा पोलिंग स्टेशन नहीं बनाये गये थे । अतः इस संबंध में भुगतान का कोई प्रश्न नहीं है ।

ग्राम चुनाव के संबंध में ६५० अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी जिनमें ४८९ अध्यापकों से यात्रा भत्ता के बिल प्राप्त हुए थे । उन्हें पूर्व समीक्षा (pre-audit) के लिये महांकिक, उत्तर प्रदेश को भेजा गया परन्तु उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिये ये बिल जिला परिषद् कार्यालय में भेज दिये गये हैं और यह उन्हीं के कार्यालय में हैं । इस कारण इनका भुगतान न हो सका । इसके अतिरिक्त शेष अध्यापकों का कोई भत्ता बिल अब तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ ।

जहां तक मतदेय स्थानों के बनाने के व्यय के भुगतान का संबंध है, मुहम्मदाबाद गोहनासे फूलपुर तथा सगड़ी तहसील के लेखपालों को भुगतान पूर्वतर हो चुका है। शेष सदर, लाल गंज तथा घोसी तहसील के लेखपालों को भुगतान इस कारण न किया जा सका क्योंकि इन संबंधित बिलों को पूर्व समीक्षा (pre-audit) के लिये महांकिक, उत्तर प्रदेश को भेजना पड़ा तथा आपत्तियों आदि को ठीक करने के पश्चात् उन्हें पुनः महांकिक, उत्तर प्रदेश को भेजना पड़ा वहां से वापस आने पर तुरन्त भुगतान की व्यवस्था कर दी जायगी।

*५-६—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

ट्रेलर्स को रोड टैक्स से मुक्त करने की सिफारिश

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री पीतमसिंह प्रधान (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर्स रोड टैक्स से मुक्त हैं जबकि उन्हीं ट्रैक्टर्स में लगने वाले ट्रेलर्स इस टैक्स से मुक्त नहीं हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

*८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री पीतमसिंह प्रधान—

इस बात को देखते हुये कि ट्रेलर्स भी कृषि उत्पादन को तथा बीज, खाद आदि को ढोने के कारण कृषि के लिये उपयोगी हैं, क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि इन ट्रेलर्स को भी रोड टैक्स से मुक्त कर दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

विद्युत् परिषद् की बैलेंस शीट

*९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना से वित्तीय वर्ष १९६४-६५ तक की वार्षिक बैलेन्सशीट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट' हर वर्ष सदन की मेज पर रखा जाता है। परिषद् अभी वार्षिक बैलेन्सशीट तैयार कर रही है।

कम्हरियाघाट-फैजाबाद बस सर्विस की मांग

*१०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री जनता को यातायात की सुविधा देने के हेतु जिला फैजाबाद के कम्हरिया घाट स्थान से फैजाबाद को सीधी बस सेवा आरम्भ करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

नियमित रूप से ऐसी बस सेवा बसखारी-जहांगीरगंज, कम्हरियाघाट के राष्ट्रीयकरण के बाद ही सम्भव है। इसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल जनता की सुविधा के लिये जहांगीरगंज से फैजाबाद तक टेम्पोरेरी परमिट लेकर दो सीधी बस सेवायें शीघ्र चलाने की कोशिश की जा रही है। जहांगीरगंज से कम्हरियाघाट तक साढ़े छः मील का मार्ग अभी बसें चलाने योग्य नहीं है।

*११—श्री उमाशंकर—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद, बाराबंकी मार्ग पर किन-किन लोगों को प्राइवेट बस चलाने को परमिटें इस वर्ष में मिली हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सन् १९६५ में केवल एक व्यक्ति श्री टी० एन० सेठ को आर० टी० ए०, लखनऊ द्वारा स्थायी, परमिट दिया गया था ।

माताटीला बांध से सिंचाई

*१२—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माताटीला बांध झांसी जिले में १९६६ में कितनी अतिरिक्त भूमि को सिंचाई करेगा और किस-किस रकबा जिलेवार उपरोक्त वर्ष में सिंचाई करेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला झांसी में स्थित माताटीला बांध से सन् १९६६ में कुल २,५१,४०० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई निम्न जिलों में होने की आशा है :—

जिला	झांसी	जालौन	मध्य प्रदेश	हमीरपुर	योग
खरीफ ..	५८४१	४१६२७	३२	७००	४८२००
रबी ..	५४०५७	१४०७१५	५९२८	२५००	२०३२००
योग ..	५९८९८	१८२३४२	५९६०	३२००	२५१४००

मीटर

*१३—श्री कमलासिंह यादव तथा (जिला गाजीपुर) श्री मोमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार पंजाब सरकार की तरह बिजली से मीटर प्रथा हटाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । मीटर का प्रबन्ध बिजली के खर्चे को ठीक प्रकार नापने का एक अच्छा यन्त्र है जो बिजली बेचने वाले तथा उपभोक्ता दोनों के लिये लाभदायक है ।

पावर स्टेशनों के उत्पादन में गिरावट

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस साल किस-किस पम्प बिजली सेन्टर पर नदियों के पानी के डिस्चार्ज कम होने के कारण बिजली कम बनी और उससे कितनी हानि हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

इस वर्ष गंगा, शारदा तथा यमुना नदी में डिस्चार्ज (discharge) कम होने के कारण खटीमा, यमुना प्रथम चरण के पावर स्टेशनों तथा गंगा नहर पर स्थित पावर स्टेशनों का उत्पादन बहुत कम रहा जिससे जनवरी, १९६६ के अन्त तक लगभग ३८० लाख यूनिट के उत्पादन की हानि हुई ।

इलाहाबाद जिले में नलकूप

*१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने सरकारी ट्यूबवेल किन-किन तहसीलों में दिनांक १ जुलाई, १९६५ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक की अवधि में चालू हालत में रहे ?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९४ पर)

फतेहपुर जिले में बिजली

*१६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में वर्ष १९६५–६६ में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना है और अभी तक उन ग्रामों में से किन-किन का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और क्या सम्बन्धित सभी ग्रामों का विद्युतीकरण वर्षान्त में समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला फतेहपुर में राधानगर का विद्युतीकरण ६ जून, १९६५ को हो गया है । ग्राम जफरगंज और अमौली का सर्वेक्षण हो चुका है और इनका विद्युतीकरण १९६६–६७ में होने की संभावना है ।

*१७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले की बिन्दकी तहसील के जाफरगंज अमौली, गोहिरारी, धमनाखुर्द चिरली एवं घनश्यामपुर ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक हो सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

बिन्दकी तहसील के अमौली व जफरगंज ग्रामों का विद्युतीकरण १९६६–६७ में होने की संभावना है तथा शेष ग्रामों का विद्युतीकरण विचाराधीन है ।

*१८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जालौन जिले के लिए जियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट

*१९—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिला जालौन में जमीन के नीचे पानी की गहराई जानने के लिये भारत सरकार की ओर से कोई १९६४ व १९६५ में सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो वहां पर ट्यूबवेल लगाये जाने की बाबत उस विभाग की क्या रिपोर्ट है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, परन्तु जियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया से सर्वेक्षण की रिपोर्ट का जो सारांश प्राप्त हुआ है उसमें नलकूप लगाये जाने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है ।

जालौन जिले में बस सर्विस

*२०—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में वित्तीय वर्ष १९६६–६७ में कौन कौन से रूट पर सरकार अपनी रोडवेज की बसें चलायेगी तथा कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ बताना संभव नहीं है ।

विद्युत् प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए समिति

*२१—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों पर वेतन अभिनवीकरण कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

अभी यह प्र न विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश के समस्त विद्युत् प्रतिष्ठानों में नियोजित मजदूरों (workmen) से संबंधित विषयों की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को देने के लिये एक समिति की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी । इस कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा की जाती है । उसके प्राप्त होने पर ही इस विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

सिंचाई में छूट देने की प्रार्थना

*२२—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़) तथा श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के कुछ सदस्यों एवं सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने मुख्य मंत्री को ६ या ७ जनवरी, १९६६ को इस आशय का आवेदन-पत्र दिया है कि सूखे से उत्पन्न भीषण परिस्थिति के कारण और नहरों द्वारा ठीक से पानी न देने के कारण धान की फसल को काफी क्षति पहुंची है और सिंचाई के रेट में किसी प्रकार की छूट नहीं मिली है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस आशय का पत्र मिला है ।

*२३—श्री इन्द्रासनसिंह तथा श्री गंगाप्रसादसिंह—

यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और क्या ३० नवम्बर, सन् १९६५ तक नहरों द्वारा सिंचित धान एवं अन्य जायद फसलों की सिंचाई रेट में ६० या ६५ प्रतिशत की छूट देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

मामला अभी विचाराधीन है ।

कुरावली बस स्टेशन

*२४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

विधान सभा के द्वारा, क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६५ के ५ वें मंगलवार को तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुरावली सरकारी बस स्टेशन के लिये जो जमीन तजवीज की थी वहां पर पब्लिक के लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिये हैं तो क्या उस जगह को छोड़ दिया गया है या वहीं पर बस स्टेशन बनेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उस जमीन पर न तो प्राइवेट मकान बनाये जा रहे हैं, न उसे छोड़ा ही गया है। जमीन प्राप्त होने पर जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही जारी है, बस स्टेशन वहीं बनेगा।

*२५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त बस स्टेशन के लिये इससे पहले भी एक दूसरी जगह तजवीज की गई थी और वहां भी मकान बनना शुरू हो गये थे इसी कारण उस जमीन को भी छोड़ना पड़ा था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

रिहन्द से बिजली

*२६—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि रिहन्द परियोजना से मध्य प्रदेश को जो ३ हजार किलोवाट की बिजली दी जाती थी वह अब बन्द कर दी गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

रिहन्द परियोजना से मध्य प्रदेश को बिजली नहीं दी जाती थी। अतएव उसे अब बंद कर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*२७—श्री झारखण्डे राय—

यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

ओवरसियरों का स्थायीकरण

१—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६४ में ओवरसियरों के कितने स्थान स्थायी बनाये गये हैं तथा उक्त स्थानों पर कितने ओवरसियर्स अब तक स्थायी किये जा चुके हैं और कितने स्थानों में अभी स्थायी बनाना शेष है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जनवरी सन् ६४ से ओवरसियरों के ४६३ स्थान स्थायी किये गये।

द्वितीय—अब तक २८६ स्थानों पर ओवरसियर्स या तो स्थाई किये जा चुके हैं या प्रोबेशन पर रक्खे जा चुके हैं।

तृतीय—१७७।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ जो विधान सभा द्वारा १४ फरवरी, १९६६ को पारित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २१ फरवरी, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया है।

प्रश्नों के संबंध में परिप्रश्न

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मेरे १६ नम्बर के प्रश्न को आप देख लें, उसका जो उत्तर आया है उसको आप देख लें.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामकिशोर जी, मैं यहां आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे मिल लें।

श्री रामकिशोर वर्मा—

आप इनको देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप जब आयेंगे, तब देख लूंगा।

एटा जिले के अयारा ग्राम में पड़ी भीषण डकैती के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब एटा जिले की घटना के सम्बन्ध में मेरे पास अनेक कामरोको प्रस्ताव, और नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं। माननीय बालोजी अग्रवाल और माननीय रियासत हुसेन की कामरोको प्रस्ताव की सूचना है और माननीय लखीसिंह, माननीय नेकराम शर्मा, माननीय लोकपाल सिंह, माननीय बसन्त सिंह, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय जगन्नाथ राव, माननीय दयाराम शाक्य, और माननीय काशीनाथ जी मिश्र की सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत हैं। मैंने इनमें से माननीय काशीनाथ जी मिश्र की सूचना स्वीकार की है जो इस प्रकार है:—

"एटा जिलान्तर्गत अयारा नामक गांव में कल २१ फरवरी को डाकुओं ने हमला करके १६ व्यक्तियों को जान से मार डाला है, जिसमें औरतें और बच्चे भी सामिल हैं। गांव के प्रधान ने भी दो डाकुओं को मारा है। गांववालों ने बहुत पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी कि कुख्यात डाकू महाबीर का गिरोह गांव पर हमला करने वाला है। लेकिन पुलिस ने कोई एहतियाती कार्यवाही नहीं की। पुलिस के इस रवैये से आगरा और एटा जिले में घोर क्षोभ और असंतोष का वातावरण व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर मैं गृहमंत्री और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इसपर माननीय मुख्यमंत्री कब तक वक्तव्य देंगे?

गृहमंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

२८ को रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इसको २५ या २४ को रख दीजिये या २६ को ही रख दीजिये, २८ तारीख को बहुत देर हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं जानता कि २६ तारीख को क्या फैसला होने वाला है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या इस पर सप्लीमेंटरी का अधिकार रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत इसे स्वीकार किया है ।

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में अवर्षण से उत्पन्न परिस्थिति तथा किसानों से लगान वसूली के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जाजमऊ टैनरी फैक्टरी में भूख हड़ताल के संबंध में मैंने एक नियम ५२ की सूचना दी है, उसमें वक्तव्य ही दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है जो इस प्रकार है:—

"इस लोक महत्व के प्रश्न द्वारा बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में विगत दो फसलों के बेकार हो जाने से उत्पन्न अकाल जैसी स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।"

इस क्षेत्र में अवर्षण की वजह से त्राहि-त्राहि मच गई है । अभी तक किसानों को फसल की क्षति के अनुसार छूट की जो व्यवस्था हुई है वह भी नहीं मिल पा सकी है । बराबर लगान सिंचाई, तकावी तथा अन्य सरकारी ड्यूज एक साथ वसूल हो रहे हैं जिसे अदा कर पाने में इस क्षेत्र का किसान असमर्थ है । यहां तत्काल शासकीय देय धन की वसूली स्थगित करने तथा लगान में छूट दिलाने की आवश्यकता है । नहर के किनारे के गांवों की भूमि को छोड़कर तालाब, कुओं आदि में पानी नहीं है । जानवरों के चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है । विभागीय कर्मचारी जो वसूलने में लगे हैं उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।"

इस पर माननीय मंत्री जी कब तक वक्तव्य दीजियेगा ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

इस पर २८ तारीख को वक्तव्य हो जायगा ।

श्री उग्रसेन—

जो मजदूर भूखों मर रहे हैं, उनके लिये भी तो कुछ प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचनायें मैंने उचित समझी हैं उनको मान लिया है । शेष जितनी हैं उन सब को माननीय मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद की गंगा पार का आपने स्वीकार किया है तो फतेहपुर भी उसमें शामिल कर लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं वह कर रहा हूं । माननीय रक्षपाल सिंह का भी शिक्षक जी के साथ भेज रहा हूं ।

झांसी जिले के ललितपुर क्षेत्र में सरकारी कंट्रोल की दूकानों पर दूषित मिट्टी का तेल बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी को फरवरी के द्वितीय सप्ताह में इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि जिले के कुछ स्थानों पर जो मिट्टी के तेल का वितरण हो रहा है उससे आग लग जाने के कारण ३ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा कुछ व्यक्ति जलने से घायल हो गये। यह मिट्टी का तेल बर्मा शैल कम्पनी द्वारा दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी ने बर्माशेल कम्पनी के तेल की बिक्री सम्पूर्ण जिले में रोक दी। तेल के सैम्पुल लेकर जिलाधीश ने भारत सरकार के इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव को विश्लेषण के लिये भेज दिये हैं और बर्मा शैल के तेल की बिक्री तब तक के लिये बन्द रखी जायगी जब तक भारत सरकार के इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव के रिपोर्ट न प्राप्त हो और वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी न हो जाय।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैंने जो नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी उसमें १० व्यक्तियों के मरने की लिस्ट दी थी। इसमें सरकार की तरफ से ३ आदमियों के मरने का ही विवरण आया है, जिसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि जो यह तीन व्यक्तियों के मरने की सूचना दी गई है यह असत्य है। इनके अलावा मरने वालों में ५ के नाम और मैं दे रहा हूं, जिनके पते मेरे पास मौजूद हैं। इनके अलावा और भी घायल हुए हैं लेकिन मेरे पास इन ५ के और पते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने १० व्यक्तियों के मरने की बात बतलाई है। इधर से मंत्री जी ३ व्यक्तियों को मानते हैं, कि मरे हैं, तो जो ७ और हैं उनकी आपके पास सूचना है?

श्री लखपतराम शर्मा—

३ मरे हैं यह तो सरकार ने माना है। सात और रह गये हैं, जिनमें ५ के पते मेरे पास मौजूद हैं, तो वही मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या वह इसकी जांच करायेंगे कि जो ये मरे हैं इनके अलावा और भी मरे हैं। इन ५ में हैं:

१—सुनया की मृत्यु ललितपुर अस्पताल में हुई।

२—दो बच्चे घटनास्थल पर ही मर गये हैं।

३—रामदुलारी की मृत्यु अस्पताल में हुई है।

४—छिया पुत्र प्यारे लाल, गांव पनारी यह ६ वर्ष का बच्चा था इसके अतिरिक्त मऊ और ललितपुर में ४०–५० आदमी घायल हुये हैं।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इस समय जिलाधीश, झांसी ने जो हमारे पास रिपोर्ट भेजी है, उसमें उन्होंने ३ व्यक्तियों का मरना बतलाया है। उनकी विस्तृत रिपोर्ट की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस विस्तृत रिपोर्ट में संभव है और भी हों। वह रिपोर्ट आ जायगी तब पता चलेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैंने ही झांसी के जिलाधीश को प्रथम सूचना दी कि इस तरह से अनेक मौतें वहां पर हो रही हैं। मैंने जो सूची प्रस्तुत की है उस के अतिरिक्त माननीय मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि कई व्यक्ति मरे हैं और कई अनेकों घायल हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, अगर आप को माननीय सदस्य और नाम दें तो क्या आप उन के बारे में भी सूचना प्राप्त कर लेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरे पास घायलों की लिस्ट बहुत बड़ी है और मैं मंत्री जी की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि जब मिट्टी के तेल पर कंट्रोल है और तहसीलदार और जिला पूर्ति अधिकारी उसका परमिट देते हैं तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी इस के वितरण के लिये है और माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि. . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस है, आप प्रश्न करिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा प्रश्न यह है कि सरकार पर इस की पूरी जिम्मेदारी आती है। इसलिये जिन अधिकारियों ने यह लापरवाही की और कम्पनी के अधिकारियों ने जिन्होंने यह दूषित तेल सप्लाई किया उन के खिलाफ सरकार क्या कानूनी कार्यवाही करने जा रही है और क्या सरकार ने मृतकों तथा घायलों को कोई मुआवजा देने का विचार किया है अथवा नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें जिलाधीश ने ११ फरवरी को ही, जब उस को समाचार मिला तो फौरन ही उसने गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस बात से सूचित कर दिया था क्योंकि तेल का मसला गवर्नमेंट आफ इंडिया से ही ताल्लुक रखता है। आगरे में जो एक्सप्लोसिव के इंस्पेक्टर हैं, उन को भी सूचित कर दिया था। इस की इंक्वायरी हो रही है और यह कहना कि इस में जिम्मेदारी किस की है समय से पहले की बात है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मसला है और इस बात को देखते हुये कि यह तेल विदेशी कंपनियों द्वारा सप्लाई किया जाता है, इन घटनाओं के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि ये विश्वसनीय नहीं हैं, और किसी वक्त ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है और इस बात को भी देखते हुए कि तेल का संकट देश में इसीलिये पैदा हो गया है कि इन विदेशी कंपनियों ने भारत सरकार से पूरी तरह कोआपरेट नहीं किया, तथा इसके अतिरिक्त संकटकाल में फौजों ने भी इन के दिये हुए तेल और पेट्रोल को इस्तेमल करने से इंकार कर दिया, तो इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार भारत सरकार से यह सिफारिश करेगी कि इन विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और उन को सरकार अपने कब्जे में ले ले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जैसा मैंने पहले कहा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने झांसी में इस तेल का वितरण बन्द कर दिया है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को सारी बातों से अवगत करा दिया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

इस बात को देखते हुए कि डीलर्स मिट्टी के तेल में पेट्रोल नहीं मिला सकते इसलिये कि जो तेल दिया गया वह बर्माशेल कम्पनी द्वारा दिया गया, क्या सरकार इस बात की जांच दूसरे जिलों में भी करायेगी कि कहीं दूसरे जिलों में भी तो यह दूषित तेल नहीं पहुंच गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह अच्छा ही है कि सब जिलों को सावधान कर दिया जाय कि वह इस तरह की देखभाल रखें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बर्माशेल के कर्मचारियों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों तथा पुलिस से भी यह इंक्वायरी कराये हैं कि इस का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं देख रहे हैं इस सब चीज को ।

श्री अध्यक्ष—

उनका एक सुझाव है कि इसके द्वारा भी आप करना चाहते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें तो मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस लेविल पर जो उचित समझेंगे, करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो लोग मरे हैं या घायल हुए हैं उनको सरकार कोई कम्पेंसेशन देने जा रही है या नहीं और बर्मा शेल की जगह सरकार ने दूसरा क्या इन्तजाम किया है तेल देने का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसमें आई०ओ०सी० का तेल देने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया है । जहां तक इसका सवाल है कि किसका दोष है, मुमकिन है बर्मा शेल का दोष हो तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है ?

श्री लखपतराम शर्मा—

तेल का परमिट दिये जाने के बाद आपके अधिकारियों की जिम्मेदारी हो जाती है और बर्माशेल द्वारा वितरण देरी से होने के कारण ये बेगुनाह लोग मरे हैं, तो क्या सरकार जो गरीब लोग मरे हैं या जख्मी हुये हैं उनके बाल-बच्चों को कुछ मुआवजा रुपये-पैसे के रूप में दिलाने के लिये तैयार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो सत्य है कि जिससे कसूर होता है, वह मुआवजा देता है, लेकिन उससे गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह देखते हुये कि अभी तो तेल सीज किया गया है, उसका नमूना भी जांच के लिये नहीं भेजा गया ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भेजा गया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो इस जांच में महीनों लग जाते हैं और आज की महंगाई के जमाने में अगर कमाने वाले मर जायं तो परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों के लिये ही चीफ मिनिस्टर्स फंड की स्थापना हुई है, तो जब तक जांच हो और वक्त लगे और इन लोगों के परिवारों

की हालत खराब होती चली जाय, क्या सरकार चीफ मिनिस्टर्स फंड से उनको कुछ रुपया देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां से लिखेंगे और मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

आपने कहा कि जैसे ही जिलाधीश झांसी को लिखा गया, उन्होंने बर्मशेल को सीज किया, लेकिन पहली बार जब नियम ५२ में मेरा प्रश्न रिजेक्ट हो गया तो मैंने उनको पत्र लिखा, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम घटना किस माह में किस तारीख को हुई और उस तेल को जिलाधीश द्वारा कब सीज किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो पत्र मेरे सामने है वह ११ फरवरी को लिखा है।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैंने पूछा कि प्रथम घटना किस तारीख को हुई ? आपने कहा कि जिलाधीश को सूचना मिलने पर कार्यवाही की गयी, मेरा चार्ज है कि घटना घटित हो जाने के बाद और लोगों के मर जाने और घायल हो जाने के बाद भी जिला स्तर पर कार्यवाही नहीं हुई, तो इस चीज की सच्चाई आ जाय कि प्रथम घटना कब हुई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कब सूचना मिली और तेल कब सीज किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

११ तारीख को, और यह १४ तारीख को उनका टेलीग्राम आया है और पेट्रोलियम एवं रासायनिक मंत्रालय, भारत सरकार को भी सब खबर भेजी।

श्री अध्यक्ष—

आप के पास यह सूचना है या नहीं कि प्रथम घटना इस संबंध में किस तारीख को हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके बारे में ११ तरीख बतला दी।

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, इलाहाबाद एवं लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे सदन को सूचना देनी है।

"उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज कौंसिल" के २ सदस्य (जिनमें एक महिला होंगी) "इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट" लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट" तथा "गोरखपुर विश्व विद्यालय कोर्ट " के ५–५ सदस्यों के निर्वाचनार्थ चूंकि अतिरिक्त नाम नियत समय के भीतर वापस नहीं लिये गये हैं अतः निर्वाचन अब २५ फरवरी, १९६६ को विधान वाचनालय, विधान भवन लखनऊ में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा।

शनिवार, २६ फरवरी, १९६६ को सदन की बैठक करने के प्रस्ताव का निरस्तीकरण

श्री अध्यक्ष—

अब मैं जानना चाहता हूं कि २६ तारीख को सदन बैठ रहा है या नहीं ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, क्योंकि माननीय सदस्यों ने कल यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि उस तिथि को चुनाव है इसलिये सदन स्थगित कर दिया जाय और १४ मार्च को जो विधायी कार्य होने वाला है, वह २६ मार्च के बजाय उस दिन बजट ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

श्रम मंत्री जी, कृपा करके आप प्रस्ताव पेश कर दें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह व्यवस्था का सवाल है कि विधान सभा ने जिस प्रस्ताव को पास कर दिया है फिर उसकी वापसी तो ६ महीने के बाद ही होगी। अब तो २६ तारीख को सदन को बैठना पड़ेगा। दूसरे प्रस्ताव का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको सुन लिया, आप कृपया बैठें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, माननीय श्रम मंत्री ने कहा कि कल कुछ माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की थी कि २६ तारीख को सेशन हो और आपने उनको कह दिया कि इसके लिये वे प्रस्ताव रखें, लेकिन माननीय संसदीय मंत्री ने जब उस दिन प्रस्ताव रखा था तो कुछ माननीय सदस्यों ने और माननीय राम सुन्दर पाण्डेय जी ने इस पर आपत्ति की थी। लेकिन उस दिन वे नहीं माने, तो कल हमने अपनी क्या राय जाहिर कर दी ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

कल हम लोगों ने भी आग्रह किया था

श्री अध्यक्ष—

कल की बात माननीय काशीनाथ मिश्र ने पैदा की है, इस संबंध में आपको मैं स्पष्ट रूप से निवेदन कर दूं कि जब यह प्रस्ताव रखा गया था तब यही आपत्ति उठायी गयी थी कि २६ तारीख को सदन नहीं बैठना चाहिये क्योंकि उस दिन एलेक्शन है । उस समय माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हमारा विचार है कि उस दिन एलेक्शन नहीं होगा । इस बात को स्वीकार करके आदरणीय सदन ने आपका एक प्रस्ताव पास किया । चूंकि पहले से परिस्थिति बदल गयी है इस वजह से जो आपत्ति माननीय काशीनाथ मिश्र ने उठाई है उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि सदन में जो उस समय मत दिये गये थे वह एक भ्रम के अन्तर्गत दिये गये थे । इसलिये यह आपत्ति अस्वीकृत है । माननीय श्रम मंत्री जी, आप उस प्रस्ताव को पढ़ दीजिये ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

इन्होंने अभी प्रस्ताव रखा नहीं और आप उसे पुट कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री बनारसी दास—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव रखता हूं—

"सदन द्वारा पहले लिये गये निर्णय के अनुसार विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६६ को वित्तीय वर्ष १९६६–६७ की मांगों पर मतदान तथा सोमवार, दिनांक १४ मार्च, १९६६ को उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ पर विचार के लिये होनी थी, परन्तु उक्त निर्णय के संशोधन में यह सदन यह निश्चय करता है कि विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६६ को न हो और उसके स्थान पर दिनांक १४ मार्च, १९६६ को उक्त विधेयक को विचारार्थ न लेकर वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान हो।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने प्रश्न प्रस्तुत कर दिया है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या आपने माननीय बनारसी दास को रोजाना ऐसी लीपापोती करने और सदन की गरिमा को कम करने की छूट दे दी है? इसके ऊपर आप जरा उनको डांटिये।

श्री अध्यक्ष—

आदरणीय सदन के हृदय की बात जान कर, माननीय सदस्यों की इच्छा को जान कर उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति में संशोधन किया है। इसके लिये अगर वे आभार के पात्र नहीं हैं तो अभिनन्दन के पात्र जरूर हैं।

आगरा जिले में डाकू दल के सक्रिय होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

(गृह मंत्री को बुलाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष—

मैंने गृह मंत्री को बुला लिया है, कृपया बैठिये।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, ग्राम नदौता, जिला आगरा में कुछ व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा उठा ले जाने के संबंध में विधान सभा में ३–२–६६ को वक्तव्य दिया जा चुका है।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

२—प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ३० जनवरी, १९६६ को श्री राम सरन गुप्ता, ओवरसियर, के पुत्र अलोक कुमार उर्फ पप्पू जिसकी उम्र ५ साल थी घर से खेलने के लिए मोहल्ले में गया और घर लौटकर वापस नहीं आया। पुलिस को इस घटना की सूचना श्री तारा चन्द्र गुप्ता, पिता राम सरन गुप्ता, ओवरसियर ने १० फरवरी, १९६६ को दी। श्री तारा चन्द गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम इस संबंध में नहीं लिखाया। कोई डकैती भी इस संबंध में नहीं पड़ी और यह ज्ञात हुआ है कि इस घटना से डाकुओं का कोई संबंध नहीं है। श्री तारा चन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट पर थाने में धारा ३६३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम हो चुका है और खोये हुए बच्चे की तलाश पुलिस द्वारा यथाशक्ति की जा रही है।

३—दिनांक १० फरवरी, १९६६, को चतुर सिंह ने थाना शिकोहाबाद में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उनका पुत्र राज कुमार उर्फ पप्पू जिसकी उम्र साढ़े तीन वर्ष है करीब १२ बजे दिन से मकान की पास वाली गली से गायब हो गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपने किरायेदार श्री राम सरन गुप्ता, ओवरसियर के पुत्र के गायब हो जाने का भी जिक्र किया। इस रिपोर्ट में भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिखाया गया और ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस संबंध में भी किसी डाकू का कोई हाथ नहीं है। रिपोर्ट पर धारा ३६३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाने पर मुकदमा कायम हुआ और पुलिस द्वारा यथाशक्ति बच्चे को ढूंढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की पार्टियां सब तरफ तलाश कर रही हैं।

शनिवार, २६ फरवरी, १९६६ को सदन की बैठक करने के प्रस्ताव का निरस्तीकरण (क्रमागत)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, नियमों के अनुसार कोई प्रस्ताव जब तक सर्वसम्मत न हो, सदन में दुबारा नहीं आ सकता। यह प्रश्न ६ महीने से पहले नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस संबंध में व्यवस्था बहुत स्पष्ट दे दी है। जिस समय इस पर विचार हुआ था, वह कुछ भ्रम वश हुआ था। अब परिस्थिति कुछ दूसरी है। उस पर मेरी व्यवस्था हो चुकी है। आप कृपया बैठें।

श्री रामचन्द्र विकल—

बिना नियमों को निलम्बित किये वह नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, ऐसा कोई नियम नहीं है।

फीरोजाबाद चूड़ी उद्योग में हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

फीरोजाबाद में चूड़ी के लगभग ८२ कारखाने हैं, जिनमें से इस समय केवल ५५ कारखाने चल रहे हैं। इन ५५ कारखानों में लगभग ५५०० श्रमिक कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इस उद्योग में लगभग ३५० पकाई भट्ठियां हैं जिनमें लगभग २,००० श्रमिक कार्य करते हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१७५ कटाई के कारखाने हैं। यहां १७,५०० श्रमिक कार्य करते हैं। इसके अलावा लगभग १० हजार चुड़ैये भी हैं जो नगर के विभिन्न जुड़ाई के अड्डों पर चूड़ी जोड़ने के कार्य में लगे हुये हैं।

२—चूड़ी उद्योग में एक शृंखलाबद्ध निर्माण विधि में जिसके अन्तर्गत शृंखला की एक कड़ी भी यदि कहीं कार्य करना बन्द कर दे तो उसका प्रभाव उद्योग की अन्य कड़ियों पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। चूड़ी अपनी निर्माण अवस्था में बहुत से चरणों से होकर गुजरती है जिसकी अन्तिम कड़ी चूड़ी के दूकानदार हैं। वहां चूड़ी को अलंकृत करके अन्तिम रूप दिया जाता है।

३—चूड़ी के दूकानदारों का कहना है कि वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण चूड़ी पर बिक्री कर की दरों में वृद्धि किया जाना है। पहिले यह कर ७ प्रतिशत की दर से केवल चूड़ी निर्माताओं (कारखानों) पर ही लगता था किन्तु सरकार के नये आदेशों के अनुसार दिनांक १-२-६६ से यह कर अलंकृत चूड़ियों पर सात प्रतिशत अतिरिक्त और लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार के इसी आदेश के विरुद्ध बिरोध प्रकट करने के निमित्त चूड़ी के दूकानदारों ने संघर्ष समिति बनाई। इसके निर्णय के अनुसार दिनांक १४-२-६६ से २०-२-६६ तक सांकेतिक हड़ताल की। चूड़ी के दूकानदारों की संख्या लगभग दो हजार है जिनमें लगभग तीस हजार श्रमिक कार्य करते हैं। इस हड़ताल के फलस्वरूप यह सभी तीस हजार श्रमिक इस समय बेकार रहे।

४—चूड़ी के दूकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल गत १७ व १८ फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री एवं राज्यपाल महोदय से मिला था। व्यावसायिक संस्थाओं ने १४-२-६६ से २०-२-६६ तक की सांकेतिक हड़ताल को २६-२-६६ को समाप्त कर कार्य आरम्भ कर दिया है। बिक्री-कर के संबंध में चूड़ी के दुकानदारों का प्रत्यावेदन शासन के विचाराधीन है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, वैसे ही मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें केवल वक्तव्य था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो चूड़ी का व्यवसाय है, यह अपने स्थान पर है ही, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल गरीब जनता करती है। इतना इसपर बिक्री कर लग गया तो यह व्यवसाय नीचे गिरेगा ही। माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि इस पर जो सैल्स टैक्स लगा है, इसको हटा दें या बहुत कम कर दें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय बनारसीदास जी ध्यान दें या न दें, माननीय मुख्य मंत्री को तो विशेष ध्यान देना चाहिये।

१९६६-६७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद † (क्रमागत)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि नहर विभाग, जो नहरों के चलाने की तिथियां हैं, वे पुराने रोस्टर के मुताबिक चलाते हैं। अब मौसम बदल गये हैं और अपने समय पर बरसात नहीं होती। जाड़ा नहीं होता, गर्मी नहीं होती तो उन

†२१ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही से।

[श्री मुरलीधर कुरील]

नहरों के बढ़ाने की तिथियों में भी उसी के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिये और सरकार इस पर विभाग का ध्यान आकर्षित करे। इसी के साथ साथ मुझे यह भी कहना है कि हमारे यहां बिठौर क्षेत्र में सरकारी करीब ८ नलकूप हैं जिनमें बिजली नहीं लग पायी है। नलकूप तैयार हैं पर बिजली का महकमा इसमें गौर नहीं कर रहा है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ३० गैर सरकारी जो व्यक्तिगत लोगों ने नलकूप लगाये हैं, उनमें बिजली मंजूर है, वहां पर सामान भी डिवीजन में पड़ा हुआ है, पर कर्मचारियों की ढ़िलाई की वजह से बिजली उनको नहीं मिल पा रही है जिससे लोगों को परेशानी है। इसके साथ ही साथ सरकारी नलकूप नानामऊ के पास बनने को था, उसका सर्वे हो चुका है लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की ढ़िलाई के कारण इसमें कृषि की उपज में कितनी बाधा होती है, इसका अन्दाजा सरकार को लगाना चाहिये। इसके बाद मुझे कुछ बातें सड़कों के सम्बन्ध में कहनी है। आप अगर बजट को देखें तो उससे ऐसा पता लगता है कि जिस जिले के मिनिस्टर साहबान रहने वाले हैं उन जिलों में अधिक व्यवस्था की गई है। वहां ही अधिक सड़कें और पुल लिये गये हैं। हमारे यहां कानपुर जिला परिषद् से भी कई मर्तबा सरकार के पास प्रस्ताव पास कर भेजे गये और सड़कों की प्राथमिकता भी बता दी गयी फिर भी उनको अब तक नहीं लिया गया है। बिल्हौर से रसूलाबाद की सड़क को चौथी पंचवर्षीय योजना में भी प्राथमिकता दी गई है लेकिन अभी तक उसमें काम शुरू नहीं किया गया है, जो शीघ्र शुरू किया जाना चाहिये। इसी तरह से झींझक से मंगलपुर तक सड़क बनाना आवश्यक है। मंगलपुर-झींझक तक कई थाने मंगलपुर, रसूलाबाद, ककवन व बिल्हौर सम्बन्धित हो जाते हैं और वे आवागमन के मार्गों के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह से बिल्हौर से रसूलाबाद व झींझक से मंगलपुर के मार्गों के निर्माण से शांन्ति व्यवस्था तथा व्यापार में काफी मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में कई मर्तबा यह कहा है कि ग्राम पंचायतों को भूमि एलाटमेंट का अधिकार दिया गया है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि वे कानून म कुछ संशोधन ला रहे हैं लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं लाया गया है। सरकार ने कृषि सहकारी समितियों को भूमि के एलाटमेंट के लिये कहा था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिला परिषदों में शिक्षा चुनाव समिति बनायी गयी है उनमें कोई भी जन प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

पंकी शाहपुर के पास बिजली के पावर हाउस और इन्डियन आयल कारपोरेशन के लिये बहुत सी जमीन ली गयी थी जिसके लिये कहा गया था कि सरकार मौजूदा दर पर किसानों को मुआवजा देगी लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। एक डेढ़ साल से ज्यादा हो गया। उनकी रोजी छिन गई है, इसलिये सरकार को जल्दी ही उनको मुआवजा देना चाहिये जिससे वे अपना कोई दूसरा धंधा शुरू कर सकें।

पिछले कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हरिजन विभाग की ओर से पिछले बजट के समय यह बताया गया था कि हरिजनों की संख्या विभागों में १८ प्रतिशत नहीं है। उसको पूरा करने के लिये कहा गया था कि प्रथम श्रेणी के स्थानों के लिये जब तक १८ प्रतिशत पूरा न हो जाय, २५ प्रतिशत और दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के लिये ४५ प्रतिशत नियुक्तियां की जायेंगीं। लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर कोई प्रगति हुई है तो वह सदन के सामने रखी जानी चाहिये।

मंगलपुर थाने में डेरापुर तेहसील पड़ती है। वहां मंगलपुर के रिटायर्ड थानेदार एस० डी० ओ० डेरापुर और एक ११० के मुल्जिम ने एक गिरोह बना रखा है जो जनता को हैरेस करता है। अगर एस० डी० ओ० डेरापुर को वहां से नहीं हटाया गया तो हालत बिगड़ सकती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सामान्य विवाद पर बोलते हुये माननीय विकल जी ने उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कही। विकल जी जैसे जिम्मेदार आदमी से मैं ऐसी आशा नहीं करता था। आज जब कि नागालैंड और पंजाबी सूबे की समस्यायें हमारे सामने हैं, हम लोगों के लिये, जो हमेशा ही एकता की बात करते आये हैं, इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। यह राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल है। अधिक अच्छा होता अगर हम दिल्ली के साथ अपना आधा प्रदेश मिला देने के बजाय अपने प्रदेश में दिल्ली को मिलाने की बात कहते। मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही।

माननीय चन्द्रजीत यादव ने उर्दू को हिन्दी के बराबर दर्जा देने की बात कही। मैं तो उससे यही समझ पाया कि जिस प्रकार से पहले अदालतों में उर्दू और हिन्दी दोनों चलती थीं, उस प्रकार वे चाहते हैं। अगर ऐसा किया गया तो देश के हित के लिये बहुत ही खतरनाक होगा। हिन्दी ने ही देश में राष्ट्रीय और भावात्मक एकता को स्थापित किया है, यह सभी मानते हैं। भले ही कोई व्यक्ति यह कहे कि जरा जल्दी हिन्दी का प्रचार हो अथवा कोई कहे जरा देर से हो। परन्तु पूरे भारत के लिये एक लिन्गवाफ्रैंका, राष्ट्र भाषा का माध्यम होना चाहिये और वह हिन्दी ही होनी चाहिये। इस प्रदेश में तो खासतौर से हिन्दी का प्रचार व प्रसार होना चाहिये, उर्दू जहां है वहां रहनी चाहिये और उसको तो पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्र भाषा बना ही रखा है। ऐसी स्थिति में हम यह नहीं समझ पाते कि उर्दू को अब यहां और बढ़ाने की बात कहां तक संगत है, उस से तो एक नये पाकिस्तान का निर्माण और होगा क्योंकि इसी प्रदेश की उर्दू के द्वारा पहले भी पाकिस्तान का निर्माण हो चुका है।

एक बात मैं और कहूंगा कि आज हमारा बजट २९२ करोड़ रुपये का है जबकि सन् ४५ में यह बजट केवल १८ करोड़ का ही था। इस तरह से यह बजट पहले से १६ गुना हो गया है लेकिन देखना यह होगा कि क्या हम उसी हिसाब से अपनी समस्याओं को भी हल कर सके हैं, क्या हमने १६ गुनी तरक्की की है? हम बड़ी बड़ी डींग मारते हैं कि हमने बिजली में, कृषि में, नलकूपों में, औद्योगीकरण में बड़ी तरक्की है लेकिन बिजली को ही देखिये हालत यह है कि जिनको हम बिजली मंजूर कर देते हैं उन तक को नहीं दे पाते। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसी तरह से खेती की और उद्योग की समस्यायें हैं, कहीं भी हम किसी चीज को हल नहीं कर सके हैं। इस तरह से १६ गुना खर्च करने के बाद भी जनता के कष्ट दूर नहीं हुये बल्कि वह अब और अधिक कष्ट उठा रही है। यह १६ गुना बजट हमें और असफलता की तरफ ले जा रहा है, सफलता की ओर नहीं।

इस कांग्रेस सरकार ने अपने सामने समाजवादी समाज की रचना का स्वप्न रखा था और उसके द्वारा कई बार ऐसा कहा भी गया है। लेकिन जब हम उद्योगों की बात करते हैं, पूंजी लगाने की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि कौन सा उद्योग किसको व्यक्तिगत रूप में सौंपा जाय और कौन सा सरकार के अपने हाथ में रहे और उसमें कांग्रेस सरकार बहुत बार भ्रम में पड़ जाती है और उस के दिमाग का नक्शा साफ नहीं होता। कभी वह मिक्सड एकोनामी की बात करते हैं और कभी समाजवादी सिद्धान्त की आड़ लेते हैं। आज उनके सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है और कोई तस्वीर उनके सामने नहीं है जिस के कारण वह इधर से उधर बहकते रहते हैं। उनकी एकोनामी रोज चलती फिरती दिखाई देती है वह एक जगह पर केन्द्रित नहीं है। उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है जहां पर वह पहुंच सकें। इसी कारण से तमाम आर्थिक समस्यायें बढ़ रही हैं और जिन मसलों को वह हल करना चाहते हैं और जिन लक्ष्यों को वह हासिल करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य न देख सकने के कारण वह अस्थिर रहते हैं। सरकार की जो समाजवादी समाज बनाने की नीति है उस पर स्थिर रहना चाहिये और उस दिशा में पूरी ताकत और ईमानदारी से कदम बढ़ाना चाहिये।

जिस समय यहां पंत जी का जमाना था उस समय हम सदस्यों की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी, हमारा मान सम्मान जनता में और अफसरों में जितना पन्त जी के जमाने में था वह अब नहीं है।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

'प्रश्न' ही एक ऐसा हमारा अधिकार था कि जिससे हम सरकार पर नियंत्रण और अंकुश रख सकते हैं। वर्ना प्रश्नों का कोई महत्व ही नहीं है। आज परिस्थिति यह है कि मंत्रीगण प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं देते, टाल जाते हैं और कभी कभी इस पर आप को भी श्रीमन्, डाटना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मंत्री जी ठीक से उत्तर दें और उनको तैयार हो कर आना चाहिये। आज यह सरकार अपने प्रश्नों के सबध में अपने अफसरों को बचाने के अलावा और कोई काम नहीं करती और वह ठीक परिस्थिति को सामने नहीं आने देती। पन्त जी के जमाने में मंत्री लोग जिस चीज में समझते थे कि जांच की जरुरत है तो वह जरुर जांच कराते थे और काफी कड़ाई से काम करते थे। लेकिन आज हम जो प्रश्न यहां करते हैं वह एक रोजाना का 'रोटीन वर्क' सा हो गया है, उनका कोई महत्व नहीं समझा जाता और उनके उत्तर अंटशंट और अनापशनाप दिये जाते हैं। श्रीमन्, जब हम यह मांग करते हैं कि इसकी जांच कर ली जाय तो कहते हैं कि लिखकर आप दे दीजिये और जब हम लिख कर देते हैं तो उसके बाद भी कोई समाधान हमारे सामने नहीं आता है कि क्या कार्यवाही की गयी है। नतीजा उसका यह होता है कि हमारी जो स्थिति है वह अफसरों के अन्दर और जनता के अन्दर गिर जाती है। अफसर लोग भी सोच लेते हैं कि ये क्या कर लेंगे, अधिक से अधिक प्रश्न पूछ लेंगे तो मैं चाहूंगा कि यह मनोवृत्ति बन्द होनी चाहिये। प्रजातंत्र में प्रश्नों का अधिकार बहुत बड़ा हथियार होता है। आपके अफसरों की कमियों को हम प्रश्नों के द्वारा ही आपके सामने रखते हैं लेकिन यदि उस पर कोई ध्यान न दिया गया तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यह केवल विरोध की बात नहीं है। यह सब माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसको, आपको, देखना चाहिये। श्रीमन्, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी कठोर कार्यवाही करें, सक्रिय कदम उठावें जिससे यह सरकार सोंचे और इसमें कुछ परिवर्तन आये और ये सही दिशा की ओर झुकें।

श्रीमन्, मैं पुलिस के बारे में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि अभी एटा जिले में ३–४ घटनायें हुई। एक घटना तो यह थी कि दूध की डेयरी की गाड़ी को लूट कर १ १/२ लाख रुपया उनसे लूट ले गये और इसी तरीके से दिन में ही कई डाके पड़े। अभी-अभी अयारा में १६ आदमी मार दिये गये। इसी प्रकार से बिजनौर में भी एक घटना हुई। वहां पर भी डाकू ट्रक को लेकर चले गये और उस ट्रक को भी कहीं पर छोड़ गये। आज इन सब घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हमारे जो पुलिस मंत्री हैं वे शासन को सुचारु रूप से चलाने में सफल नहीं हो रहे हैं। बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े जोर के साथ उन्हें कुछ परम्परायें कायम करनी चाहिये थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी एक ट्रेन के एक्सीडेन्ट में अपने को जिम्मेदार समझते हुये अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं तो माननीय हरगोविन्दसिंह जी को भी एक अच्छी परम्परा कायम करनी चाहिये और अपने पद से स्वंय त्याग–पत्र देना चाहिये, इसके लिये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

एक बात और, श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी सरकार आज आयुर्वेद के उत्थान के लिये कोई प्रयास नहीं कर पा रही है। आज आयुर्वेद की बड़ी दुर्दशा है। अंग्रेजों के जमाने में जो दुर्दशा थी, वही दशा आज भी है। उससे आगे हम नहीं बढ़ पाये हैं। यह बात अलग है कि कहीं-कहीं पर आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलकर वहां पर कुछ आयुर्वेद के स्नातकों को रखा है परन्तु मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की उन्नति के लिये जितने हमारे आयुर्वेदिक कालिज हैं, उन सब को यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर देना चाहिये और उनके ग्रेजुएट्स को जिला स्तर के अस्पतालों को छोड़कर और डिस्पेन्सरियों में अप्वाइंट कर लेना चाहिये, उनको ज्यादा पैसा देने का लालच देना चाहिये। वे आयेंगे और डाक्टरों की कमी को पूरा भी करेंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी मुझे कम से कम ५ मिनट और बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप १२ मिनट बोल चुके हैं और २ मिनट बोल लीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो श्रीमन्,इस आयुर्वेद की दुर्दशा के लिये जिम्मेदार हमारी सरकार ही है । डाक्टर हमेशा आपसे अधिक रुपया मांगते हैं, आराम के लिये समय चाहते हैं लेकिन आयुर्वेद के डाक्टर काम चाहते हैं आप उन्हें काम दीजिये । इससे आपके डाक्टरों की भी समस्या हल होगी । आज जैसे हिन्दी के उद्धार की बात कही जाती है । आयुर्वेद का उद्धार भी हिन्दी के उद्धार के समान ही जरूरी है ।

जहां तक हरिजनों या पिछड़ी जातियों का संबंध है केन्द्रीय सरकार ने तो कह दिया है कि हम जाति के आधार पर वजीफा नहीं देंगे । एक पिछड़ी जाति है, उसके लिये निश्चित नियम है कि इस प्रकार से हम छात्रवृत्ति देंगे पर आपने भी एक नियम बना दिया है कि आर्थिक स्थिति पर ही हम छात्रवृत्ति दिया करेंगे तो आप को जानकर ताज्जुब होगा कि पिछली बार जो केन्द्रीय सरकार से पैसा आया, ४०० में से ११२ ब्राह्मण लोगों को छात्रवृत्ति मिली । तो इस तरह से शिक्षा के अन्दर पिछड़ी जातियों के उत्थान का लक्ष्य पूरा नहीं होगा । अगर आप आर्थिक स्तर के ऊपर गिरावट देखकर छात्रवृत्ति देना चाहते हैं तो उन के लिये आप पैसा अलग दीजिये । लेकिन पिछड़ी जातियों और हरिजन जातियों का अमंगल हो ऐसी व्यवस्था न कीजिये ।

सुरक्षा कोष का डेढ़ करोड़ रुपया सरकार ने एक ट्रस्ट को दे दिया । मैं समझता हूं यह अनुचित काम है । सुरक्षा कोष के सारे पैसे पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिये । आप के पास चीफ मिनिस्टर्स फंड है उसमें से आप अपंगों की या और लोगों की जो सहायता के अपेक्षी हों, सहायता कर सकते हैं । लेकिन सुरक्षा फंड का दुरुपयोग अपनी निजी इच्छाओं और स्वार्थों की पूर्ति के लिये मत करिये । यह मेरा निवेदन है ।

पाकिस्तानी गतिविधियों के बारे में मुझे यह कहना है कि बरेली के एक सुल्तान अहमद वकील हैं जिन को इंटर्नमेंट आर्डर के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इस बजट पर गौर और ध्यानपूर्वक विचार करने के लिये दो बातें आवश्यक हैं । एक तो यह कि किस पृष्ठभूमि में आज यह बजट ऐसा प्रस्तुत हुआ है । यह सही है कि.....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, २७ तारीख से १ मिनट का मौका नहीं मिला है । सारी बहसें हो गई और सब लोग बोल लिये लेकिन अपना नाम आप तक नहीं पहुंचा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मैं यह कह रही थी कि हमको देखना पड़ेगा कि किस पृष्ठभूमि में यह बजट प्रस्तुत हुआ है । यह स्पष्ट है कि यह बजट हमारे सामने जब आया है तो इसके पीछे जो इतिहास चला है, जो पाकिस्तानी आक्रमण का इतिहास रहा है वह भी हमें अपने सामने रखना पड़ेगा और इसी कारण आज हम देख रहे हैं कि उस की एक झलक इस बजट के ऊपर भी आयी है । जबसे मैं इस सदन की सदस्या हूं तब से मैं बराबर देख रही हूं कि एक डेफिसिट बजट बराबर हमारे सामने आया है । लेकिन आज पहली दफा बैलेन्शड बजट हमारे सामने आया और कोई डेफिसिट फाइनेंसिंग का सवाल आज यहां पर प्रस्तुत नहीं है । यह सही है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के बहुत से कारण

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

होते हैं और विकास के युग में, प्लानिंग के युग में, प्रोग्रेसिव एज के युग में डेफिसिट फाइनेंनसिंग भी स्थान होता है, परन्तु मैं बधाई दूंगी वित्त मंत्री को कि उन्होंने आज डेफिसिट बजट न रख करके बड़ा अच्छा सा प्रोग्रेसिव बजट हमारे सामने रखा है।

दूसरी बात जो हमको ध्यान में रखनी है वह यह है कि अब तृतीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष का बजट है। जब हमने योजना स्वीकार कर ली है तो हम इस बजट को इसी पंचवर्षीय योजना के अलग-अलग वर्षों से अलग नहीं कर सकते। हमको इन पांच वर्षों के एक मोती की लड़ी की तरह एकत्रित करके देखना है। कहीं ऐसा न हो जाय कि वह लड़ी बीच में ही टूट जाय और उत्तर प्रदेश के वक्ष स्थल को वह सुशोभित न करके इधर उधर बिखर जाय।

इसलिये मैं आप से कहूंगी कि इस पर भी हमको ध्यान रखना है कि आज जो बजट आया है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना का कहां तक द्योतक है। वह आवश्यकतायें जो हमने शुरु में अपने सामने रखीं थी कहां तक उनको मीट करता है।

हमारे विरोधी दल के नेता ने दो, तीन बात कहीं, मैं उन का बड़ा आदर करती हूं, वह बड़े विद्वान् हैं और मैं चाहती हूं कि यदि इस समय वह उपस्थित होते तो अच्छा होता ताकि वह मेरी बातों का जवाब दे सकते। परन्तु मैं अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगी कि इन बातों का जो मैं कहने जा रही हूं या कही है उसका थोड़ा सा उत्तर देने की कृपा करे।

सबसे बड़ा चार्ज उन्होंने यह लगाया है कि यह अयोग्य सरकार है। मैंने स्वंय पिछले वर्ष बजट के समय कहा था, एक कांग्रेस सदस्या होने के नाते, कि चौथी पंचवर्षीय योजना लागू करने के पहले १,२०० करोड़ की स्कीम बनाने के पहले सरकार को अपना अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्टिव करना चाहिये। और यह देख लेना चाहिये कि वह १,२०० करोड़ रुपये को उपयोग करने की क्षमता रखती है अथवा नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले ३ वर्षों में हम केवल ४९ प्रतिशत रुपये का उपयोग कर सके थे लेकिन इन दो वर्षों में न केवल हमने पूरा टार्गेट एचीव कर लिया है बल्कि ५८ करोड़ रुपया हम ज्यादा खर्च कर सकेंगे। तो यह खर्च करना क्षमता है। हो सकता है कहीं कहीं गलती हो। माननीय सदस्यों से मैं कहूंगी कि पी० ए० सी० के सदस्यों के नाते वे गलतियां सामने लायेंगे लेकिन हमारे नेता विरोधी दल ने जो इस सरकार को अयोग्य कहा है तो मैं उसे अयोग्य न मान कर योग्य कहूंगी। उनकी जो अयोग्यता की व्याख्या है उनकी और मेरी व्याख्या में थोड़ा सा अन्तर है।

दूसरा चार्ज लगाया गया है कि यह अकुशल सरकार है। अकुशल और कुशल यह भी अपने अपने नेत्र और भावना से देखा जाता है। जिस दल को मैं बिलांग करती हूं उसकी भावना से देखा जाय तो अकुशल न हो कर उसने कुशलता दिखलाई है। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे सेक्रेटेरियट में जो फाइल का पहाड़ एकत्रित हो रहा था, जहां ताजी हवा नहीं आ सकती थी वहां ४५ हजार के फाइलों के पहाड़ को हटा करके १२ हजार कर दी है और बहुत से बाटिल नेक्स हो गये थे उनको हटा दिया गया है। इसी कारण से जहां हमारे सेक्रेटेरियट में १३१ आफिसर्स थे, चाहे थोड़ा बहुत असंतोष हो, वहां उनको कम करके १२१ कर दिये गये हैं और साढ़े ३ लाख रुपये की बचत उससे की गयी। एडमिनिस्ट्रेशन से वीडिंग करके कुशलतापूर्वक साढ़े ४ करोड़ रुपये की बचत दिखलाई गयी है। पिछले वर्ष जब भूमि भवन कर लगाया गया था उससे दो, तीन करोड़ रुपये के अतिरिक्त आय का अनुमान था उस समय इसके खिलाफ बड़ी आवाज उठाई गयी थी लेकिन अगर अब बिना अतिरिक्त कर के लगाये हुये साढ़े ४ करोड़ की बचत कर ली है तो यह कुशलता की ही निशानी है।

तीसरी बात मुझे यह बतलानी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को जब प्लानिंग कमीशन पूरा करने लगा तो उस वक्त फारेन अफेयर्स को देखते हुये यह खयाल हुआ कि एक वर्ष की योजना बनाई जायगी। समझदारी इसमें देखी जायगी कि अपने सीमित साधनों

में बढ़ती हुयी आवश्यकताओं की पूर्ति हम बगैर किसी अतिरिक्त कर लगाये हुये किस प्रकार करते हैं ? किस प्रकार योजनाओं द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं ? आज सुरक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है । इसको प्राथमिकता देते हुये यह जरूरी हो गया था कि हम कहीं न कहीं कटौती करें। लेकिन सुरक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है लिहाजा हमने उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया और वह भी कृषि उत्पादन पर । जहां राष्ट्र की औसत आबादी ६५ प्रतिशत कृषि में लगी हुई है वहां उत्तर प्रदेश में ७३-७४ प्रतिशत औसत आबादी कृषि पर लगी हुई है । इतने अधिक लोग कृषि में लगे हुये होने पर भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हों यह दुर्भाग्य की बात है । परन्तु इसी चीज को देखते हुये कि उत्पादन की बड़ी आवश्यकता है सरकार ने उधर अपना ध्यान दिया है । माइनर इर्रीगेशन में जो रुपया लगाया गया है वह आप लोगों के सामने मौजूद है । पावर के लिये ९ करोड़ रुपया रखा गया था । इस समय १६.५ करोड़ रुपया लगाया गया है और अनुमान है कि साढ़े पांच करोड़ रुपया और लगाया जायेगा ।

इसके अलावा जो आपकी हाइडिल स्कीम्स चल रही हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । बिजली कृषि तक पहुंचना अत्यन्त आवश्यक है। आप की इस बात को ध्यान में रख कर हमारी सरकार निरन्तर कोशिश कर रही है कि रामगंगा, ओबरा और यमुना हाइडिल स्कीमों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय । माइनर इर्रीगेशन के बारे में, श्रीमन्, आपकी अनुमति से आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष फिगर्स पढ़ना चाहूंगी । प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले १७८.५४ मैगावाट बिजली पैदा होती थी । लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में २६३.८४ मेगावाट बिजली पैदावार होने लगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ३७८ मैगावाट बिजली तैयार हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ९१० मैगावाट बिजली तैयार हो जायेगी । इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि पहले केवल १० गांवों तक ही बिजली पहुंच सकी थी लेकिन अब करीब ५ हजार गांवों तक बिजली पहुंच जायेगी । इसके अलावा यह देखिये कि इस पर कितना खर्चा हुआ । प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४.८३ करोड़ रुपया खर्च हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५६.७५ करोड़ रुपया खर्च हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना में १०७.६० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है और आशा है कि इस पर १५० करोड़ रुपये तक खर्च हो जायेंगे । जब आपने कहा था कि लोगों के घर-घर तक गांवों में बिजली पहुंचनी चाहिये तो बजट में अनुदान बढ़ाना ही पड़ेगा । इसके अलावा मैं कहूंगी कि सिंचाई के ऊपर भी हमारे प्रदेश में बहुत रुपया व्यय हुआ है और हमारी आवश्यकताओं को देखते हुये जितना व्यय हुआ है वह भी कम है । आपके कहने के अनुसार कि कृषि को बढ़ाना चाहिये सरकार ने इतना रुपया खर्च किया है । फिर से जानना चाहूंगी कि हमारी सरकार कहां से अकुशल है । मैं तो कहूंगी कि यह एक सुघर गृहणी का बजट है । (लाल बत्ती होने पर ।) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

तीन मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय दे दीजिये । मैं कानपुर की प्रतिनिधि हूं और मुझे उसके संबंध में काफी कहना है ।

एक चीज और कहना चाहूंगी कि माननीय नेता विरोधी दल का तीसरा चार्ज हमारी सरकार के ऊपर यह है कि इस सरकार का प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा व्यय हो रहा

(इस समय १ बज कर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

है। यह बेहतर होगा अगर सरकार का प्रशासन के ऊपर कम व्यय हो। ऐसी बात नहीं है। यदि मैं आपके सामने फिगर्स रखूंगी तो स्पष्ट हो जायेगा कि सिर्फ केरल और बिहार को छोड़कर अन्य दूसरे प्रदेशों के अनुपात में प्रशासन के ऊपर हमारे प्रदेश में कम खर्च हो रहा है हमारे यहां इतनी ज्यादा आबादी है और उसके अनुसार हमारे यहां समस्यायें भी बहुत ज्यादा है और प्रशासन के ऊपर ज्यादा व्यय होने का जैसा कि आरोप माननीय नेता विरोधी दल ने लगाया है वह स्टैंड नहीं करता है। जब खाद्य समस्या गम्भीर हुई और केरल में इतना भ्रमात्मक प्रचार किया गया, अगर विरोधी दल इसको इतना गम्भीर न बनाते तो दुनिया में जगह-जगह अन्य देशों से जो हम खाने का सामान मांग रहे है उसकी नौबत न आती। मैं कहूंगी कि आप लोग फूड एन्ड एग्रीकल्चर आर्गनाइनेशन के द्वारा हमारे साथ सहयोग दें।

कानपुर के संबंध में मैं कहूंगी कि हमारे यहां गंगा नदी असंतुष्ट होकर कानपुर को छोड़ कर उन्नाव की ओर बढ़ती चली आ रही है। प्रति वर्ष इसके कारण पीने के पानी और उद्योग के लिये पानी की दिक्कत होती है। गर्मी आने से पहले ही सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये क्योंकि लोगों को उस समय बड़ा कष्ट होगा। दूसरे कलक्टरगंज बस स्टेशन से बहुत से माननीय सदस्य बस पर चढ़े होंगे। उन्हें मालूम होगा कि वहां कितनी कठिनाई होती है। मैं चाहूंगी कि सरकार इधर ध्यान दे और एक बढ़िया बस स्टेशन बनाया जाये जिससे जनता की तकलीफ दूर हो। मान्यवर, एक प्वायन्ट जो है वह है मरे क्रासिंग के बारे में। जिस शहर में २५ लाख लोग बराबर बाहर से आते जाते हों, मरे क्रासिंग पर रास्ता रुकने के कारण एक-एक घंटे और आध आध घंटे लोगों को निकलने के लिये इन्तजार करना पड़ता है। दिन भर में दो तीन टाईम एक एक दो दो घंटे के लिये लोगों का निकलना रुक जाता है। इस चीज को हम लोगों ने यहां पर कई बार उठाया और नगर महापालिका में भी उठाया, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस पर ध्यान देकर कानपुर वासियों की यह समस्या सुलझाने की ओर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सुशीला रोहतगी जी के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल की तरफ से सरकार पर जो चार्ज लगाया गया है कि यह सरकार अकुशल और अयोग्य है, यह गलत है। श्रीमन्, विरोधी दल के नेता ने तो इस सरकार की भर्त्सना बहुत छोटे शब्दों में की है। मैं तो कहता हूं कि यह सरकार अयोग्य ही नहीं है, यह निकम्मी सरकार है। मान्यवर आप देखें, कि इस सरकार ने इस प्रदेश को कहां पर लाकर बिठा दिया है, प्रदेश को कितनी गिरी हुई अवस्था में पहुंचा दिया है। माननीया सुशीला रोहतगी जी यदि आप अपनी सरकार द्वारा जो फीगर्स बजट की प्रस्तुत की गयी है, उनको पढ़ती तो आप साहस न करती सदन में कहने का। मैं बड़े नम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा और सुना। श्रीमन्, उन्होंने तीन बातें अपने भाषण में कहीं। पहला तो यह कि हमारी जो पहली प्लान थी वह माडेस्ड एफर्ट थी और जो दूसरी प्लान थी वह बोलडर एण्ड एम्बिशस थी और तीसरी जो प्लान थी, उसके लिये उन्होंने कहा कि वह बिगेस्ट एन्डेवर आफ दी स्टेट थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बात कही कि इतनी तीनों प्लानों के बाद हमारी उन्नति हुई है हर क्षेत्र में। श्रीमन्, माननीय सुशीला रोहतगी जी को पता होगा कि इस सरकार ने पहली प्लान में १५३ करोड़ रुपया खर्च किया, दूसरी प्लान में २५३ करोड़ के लक्ष्य के विपरीत २३३ करोड़ रुपया खर्च किया और तीसरी प्लान में ५५५ करोड़ खर्च किया। इस प्रकार से इस सरकार ने तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में मिलाकर कुल ९४१ करोड़ रुपया खर्च किया और इतना ९४१ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, श्रीमन्, यदि हम इस सरकार के कारनामें और कारगुजारी देखे तो 'निल' है। श्रीमन्, चाहे आप एग्रीकल्चर को ले लें, चाहे पावर एण्ड

इरीगेशन को लीजिये या आप इंडस्ट्री को ले लें, जितना भी इन्वेस्टमेंट इस सरकार ने किया है उसको आप देखें। १७१ करोड़ रुपया एग्रीकल्चर में खर्च किया गया, ३२३.१९ अर्थात् ३२४ करोड़ रुपया ईरीगेशन और पावर पर खर्च किया और इंडस्ट्रीज पर ४८ करोड़ रुपया खर्च किया। इतना रूपया खर्च करने के बाद रेजल्ट क्या हुआ? इसके फलस्वरूप जो प्रगति हुई उसे अगर सुशीला रोहतगी जी देखें तो आप सब पायेंगे कि इस सरकार ने इस प्रदेश और देश को इतना बड़ा भिखारी बना दिया है कि विदेशों में—विटीकन में, वेस्ट जर्मनी में, जर्मनी में हालैण्ड और आस्ट्रेलिया आदि के तमाम देशों में सब जगह चर्चों की घंटिया बज रही है कि हिन्दुस्तान में लोग भूखों मर रहे है, आप सब उनकी मदद कीजिये, उनको भीख दीजिये।

आप पन्त जी के समय की बात छोड़ दीजिये, सम्पूर्णानन्द जी के समय की बात छोड़ दीजिये गुप्ता जी के राज्य की भी बात छोड़ दीजिये, आप इस वर्तमान सरकार को देखिये जिसके बारे में रोहतगी जी कह रही थीं कि इसने तीन वर्ष में प्रदेश को स्वर्ग बना दिया है। इस सरकार ने वर्ष १९६२–६३ में ७ करोड़ ५७ लाख रुपये का गल्ला बाहर से मंगाया है। ६३–६४ में २० करोड़ ३० लाख का मंगाया, ६४–६५ में ४८ करोड़ ४२ लाख का मंगवाया और ६५–६६ में ३३ करोड़ ६६ लाख का गल्ला बाहर से मंगवाया। इस प्रकार से कुल इस राज्य में पी० एल० ४८० का गेहूं ११० करोड़ रुपये का गल्ला बाहर से आया। बाहर से आने की तादाद वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती ही गयी है। यह है आपकी कृषि पैदावार और प्रगति का नमूना। आपकी सरकार के ९४१ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद यह एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ। तीनों योजनाओं के पश्चात्। ज्यों-ज्यों इन्वेस्टमेंट बढ़ा त्यों-त्यों पैदावार कम होती गयी। श्रीमन्, इतना ही नहीं सरकार ने १२३ परसेंट टैक्सेशन बढ़ाया आप इनके आंकड़ों को देखें आय सरकार की बढ़ी २४७ फीसदी यानी आमदनी बढ़ी ५१ करोड़ से २९२ करोड़। और इतना ही नहीं बजट में जब-जब रुपया प्रोवाइड किया गया सरकार उनको खर्च नहीं कर पायी। ६२–६३ में हमने सरकार को १९१.४१ करोड़ रुपये दिये और ये खर्च कर पाये १८८ करोड़ सिर्फ। ६४–६५ में दिये २६४ करोड़ और खर्च कर पाये ये २०२ करोड़ सिर्फ। और कैपिटल एक्सपेंडीचर पर सरकार को ब्याज क्या देना पड़ता है। माननीया सुशीला रोहतगी जी को ज्ञात होगा २५ करोड़ रुपये स्तल सूद सरकार देती है। कैपिटल एक्सपेंडीचर की क्या हालत है। ६१–६२ में यह ४१.६७ करोड़ (जिसका ब्याज देना पड़ता है)। लेकिन सरकार खर्च कर पायी २४.१४ करोड़। ६४–६५ में ४१.१४ करोड़ रुपया दिया गया लेकिन सरकार खर्च कर पायी २९.५६ करोड़ रुपया और ६३–६४ में ३७.०६ करोड़ दिया गया लेकिन खर्च कर पायी ३०.६० यानी कुल हमने १२०.७५ करोड़ दिया लेकिन यह कर पायी खर्च कुल ८४ करोड़। अब यह सरकार अयोग्य और निकम्मी नहीं तो क्या है। ऐसी निकम्मी सरकार ने इस प्रदेश में न कभी आई है और न कभी आयेगी। इस सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ किया है। और इतना ही नहीं आप यह देखिये कि कैपिटल एक्सपेंडीचर के साथ इस सरकार ने क्या खिलवाड़ की है फर्स्ट प्लान में तीनों योजनाओं में सरकार के अनुसार ३३ परसेंट, सेकन्ड प्लान में २० परसेंट और थर्ड प्लान में ८ परसेंट। आपकी आय बढ़ी साथ ही मनी सप्लाई ३१ प्रतिशत बढ़ी, और इसी के कारण इन्फ्लेक्शन हो रहा है और प्राइसेंज बढ़ रही है। अब यह देखिये कि उत्तर प्रदेश में और स्टेटस के मुकाबले में पर कैपिटा क्या आमदनी पड़ी। फर्स्ट प्लान में २४ रुपये यू० पी० का था तो हिन्दुस्तान का ४० रुपये का सेकन्ड प्लान में ३४ रुपये यू० पी० का था तो ५० रुपये आल इंडिया का था और थर्ड प्लान में ६८ रुपये यू० पी० का था तो ९८ रुपये आल इंडिया का था। अब सेन्टर से प्रदेश के लिये असिस्टेंट्स क्या मिली? सरकार के निकम्मेपन का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कितनी असिस्टेंस ले पाये। यह आपकी हुकूमत की कितना इन्एफीशियेन्सी है, कितना ऐडमिनिस्ट्रेशन आपका निकम्मा है कि फर्स्ट प्लान में इनको मिला १४ रुपये पर व्यक्ति जब कि और स्टेट्स को मिला २५ रुपये पर व्यक्ति, सेकन्ड प्लान में १८ रुपये इनको तो २५ रुपये अदर स्टेट्स को, और थर्ड प्लान में ४७ रुपये इनको तो ५६ रुपये अदर स्टेट्स को। (लालबत्ती होने पर) श्रीमन् १० मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

५ मिनट में खत्म कर दीजिये क्योंकि योग्य आदमी ५ मिनट में बहुत सारी बातें कह सकता है ।

श्री नेकराम शर्मा—

तो श्रीमन् मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सुशीला रोहतगी जी ने बड़ी दुहाई दी कि हमने उत्पादन और इरीगेशन में बहुत उन्नति की है । सरकार का जो यह लेटेस्ट बुलेटिन है १९६५ के स्टेटिस्टिक्स का उसको आप देखें और अगर आप हिसाब लगायेंगे कि कितने पक्के कुएं बने और कितने कच्चे कुयें बनें तो मेरा खयाल है कि जितने पक्के और कच्चे हुए सन् १९३८ से १९६५ तक के आंकड़े लें तो सारा प्रदेश और यह विधान सभा हम और आप कुओं में होंगे । सारे असत्य आंकड़े दिये जाते हैं । प्रदश के चीफ इंजीनियर के बयान के मुताबिक सिंचाई पर इन्वेस्टमेन्ट बढ़ता जाता है । जिसका ज्ञान निम्नांकित तालिका से हो जाता है । कितना खर्च इरीगेशन पर हुआ और कितना रिटिन मिला आप देखें ।

वर्ष	लागत की पूंजी	कार्य व्यय	ब्याज	वास्तविक लाभ
१९५९–६०	१,१९,३८,५२,०९३	७,५३,९१,०१०	४,४७,६८,३२५(–)	३,३१,९५,६७०
१९६०–६१	१,२७,४५,९२,०१९	७,७२,९८,९२५	४,८०,०४,०७४(–)	३,०५,८७,५५९
१९६१–६२	१,३५,९८,९४,७९५	८,३६,९९,३४०	५,१७,९७,६८४(–)	३,७५,२४,६७९
१९६२–६३	१,४८,९६,४६,१०६	९,५९,४२,१३६	५,६५,७७,९८०(–)	४,६९,९७,७३७
१९६३–६४	१,६४,४२,७१,०४२	१०,७६,७४,६४३	५,७३,२४,४९०(–)	३,८२,३९,४७६

सुशीला जी ने बड़ी तारीफ की कि इतना काम किया गया लेकिन लास भी इस विभाग का उसी तरह से बढ़ता जाता है । १९६०–६१ में ३ करोड़ ३१ लाख लास हुआ । उसके बाद १९६१–६२ में ३ करोड़ ७५ लाख हुआ और १९६१–६२ में ४ करोड़ ६९ लाख हो गया । इस तरह से यह हानि लास इरीगेशन में बराबर बढ़ता जाता है ज्यों-ज्यों इलाज किया त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया है, इन्वेस्टमेन्ट हुआ है उतना रिटर्न नहीं मिला उसको रिकार्ड किया गया है । इस तरह से चाहे इरीगेशन हो और चाहे बसेज का विभाग हो सब जगह लास यानी नुकसान बढ़ता जाता है । चाहे जिस क्षेत्र में इस सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया उन सब में लास हो रहा है अब सुनिये १८ साल के राज्य में प्रदेश को रोजगार के सम्बन्ध में कहा जाता है । यहां पर मुख्य मन्त्री जी ने मेरे एक सवाल के जबाव में बताया था कि तीसरी योजना के खत्म होने पर यहां पर बेरोजगारों की संख्या २१ लाख हो जायगी और चौथी योजना के खत्म होने पर बेरोजगारों की संख्या ५६ लाख हो जायगी । एक तरफ आप इतना इन्वेस्टमेंट करें और दूसरी तरफ कितने लोगों को रोजगार दे पायेंगे यह सोचने की बात है । मगर इतने खर्च के बाद भी आप उन सब लोगों को रोजगार नहीं दे पायेंगे । केवल ३० लाख आदमियों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है लेकिन यह सरकार ३० लाख को भी काम नहीं दे पायेगी २६ लाख रह जायंगे बेकार उनका क्या होगा । उनको अगर रोजगार नहीं दे पायेंगे तो क्यों नहीं दे पायेंगे तो किस कारण यह देखने की बात है कि भूखी जनता क्या करेगी । मैं समझता हूं यह सरकार जाब नही दे पायेगी तो फल होगा बेकारी भूमखरी और असंतोष । सरकार की नीति के कारण मजदूरों की संख्या गिर रही है । शुगर फैक्टरी में जो मजदूरों की संख्या थी वह बराबर घटती चली जाती है । जितने मजदूर इस इंडस्ट्री में लगे हुये थे उनकी संख्या बराबर घट रही है । पहले उनकी संख्या चीनी कारखानों में ६३ हजार थी लेकिन अब वह ४३ हजार रह गई है । इसी तरह से दूसरी इंडस्ट्री कपड़ा कारखानों में १० हजार थ जो ८ हजार रह गये हैं । दो प्लान में इतना व्यय हुआ लेकिन मजदूरों की संख्या बराबर कम हुई है । चौथी प्लान के

बाद ५६ लाख मजदूर बेकार हो जायंगे। इनको सरकार जाब प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं आप एकोनामी सर्वे रिपोर्ट को देखें जिसमें यह कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम गिर रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह सरकार प्रदेश का भला नहीं कर सकती है जब तक प्रशासन में कोआर्डीनेशन और एफीशियेन्सी न लाई जायगी और २४०० रु० इन्वेस्टमेंट नहीं करती अगली योजना में। अगर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद भी कुछ तरक्की नहीं कर सके तो फिर हम किस तरह का इन्वेस्टमेंट करके उन्नति कर सकेंगे भगवान जाने। सरकार कहती है कि विरोधी दल कोई सुझाव नहीं देता। हमने कहा कि आप सारे रूट्स ट्रान्सपोर्ट नेशनलाइज कीजिये नहीं किया। क्योंकि आधे लोगों को सरकार परमिट बांटने का हक रखते है और फिर उनको परमिट देकर उनसे काम लेते हैं चुनाव में। हमने कहा कि शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कीजिये लेकिन गेंदासिंह जी उधर चले गये है। बड़े हामी थे शुगरइंडस्ट्री राष्ट्रीयकरण के और अब इस पर नहीं कुछ करते हैं। हमने कहा कि विलायती शराब को भी नीलाम करिये ४ से ५ करोड़ रू० आय बढ़ेगी। उसके लिये परमिट देते है अपनो को और लाइसेन्स देते हैं। उसे बन्द करिये तो उससे करोड़ों रुपया आ सकता है। सुचेता जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने भटनागर को अप्वाइन्ट दिल्ली में किया है वह गलत है, उसको वहां से हटाइये। उसका क्या फायदा है? श्री भटनागर के विरुद्ध राजस्व मन्त्री हुक्मसिंह जी ने लिखा कि गबन किया है सजा होनी चाहिये, उल्टा उसे यह सरकार रक्खे हुये है। लेकिन उसे नहीं निकाला गया। बेकार के पोस्ट्स तोड़िये जैसे सेक्रेटरी लेजिस्लेचर। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं। सर्वे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश फूड के मामले में सेल्फ सफिसियेन्ट है सरकारी आंकड़ों के आधार पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि हम ५.१५ लाख टन फूड प्रोडक्शन में ज्यादा हैं। योजना विभाग के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारे प्रदेश में १२ लाख टन की कमी है। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि अगर यह सब तरह से भी हिसाब लगा लें तो भी हम पल्सेज में १२ लाख टन ज्यादा है और गेहूं में उतनी ही कमी रहेगी लेकिन मैं जानता हूं कि पिछले तीन वर्ष में खेती और उद्योगों का प्रोडक्शन उतना ही गिरा है और यह इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के अनुसार आपके टार्गेट से आपका प्रोडक्शन कम हुआ है। तो यह इस सरकार के शासन का १८ वां साल है और फूड में भी हम आत्म-निर्भरता ला नहीं पाये। इसके अलावा आप थर्मल की बिजली बनाते हैं जो काफी मंहगी पड़ती है। आपको हाइडिल से उत्पादन की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल (जिला बाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मौजूदा और आने वाले साल का जो बजट हमारे सामने उपस्थित है और जिसके बारे में सदन में चर्चा हो रही है मैं उस पर अपना विचार रखना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, कुछ ऐसी परम्परा सी बन गयी है और पिछले दो वर्ष से लगातार मैं देख रहा हूं कि आय का अनुमान कुछ और होता है और वर्ष के अन्त में वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। १९६४ के बजट में देखिये, पहले ११, १२ करोड़ का घाटा दिखाया गया था और उस के अनुमान पर पंचवर्षीय योजना के नाम पर, विकास के नाम पर, भूमि भवन कर आदि कई नये कर लगा लिये गये थे। इतने पर भी कमी की कल्पना की गयी थी, लेकिन वास्तव में हुआ क्या? वह घाटा लाभ में परिणत हो गया। इस वर्ष भी कुछ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है। सूचना यह है कि अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश का बजट १६, १७ या १८ करोड़ रुपये का होता था। यदि उस समय की वस्तुओं का मूल्य और इस समय की वस्तुओं के मूल्य का कलकुलेशन किया जाय तो आपको यह अच्छी तरह मालुम हो जायगा कि उस समय का १८ करोड़ इस समय के २९२ करोड़ से कुछ अधिक ही होगा। स्थिति यह हो गयी है कि सन् ४० के पहले जहां गल्ला १५-१६ सेर का था, आज १ सेर का हो गया है। तो १६-१८ गुना तो यों ही चीजों के मूल्यांकन में अन्तर हो रहा है। हमें इन बातों की तरफ विशेष ध्यान देकर देखना यह है कि ३-३ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद और करीब ९०० और १,००० करोड़ खर्च करने के बाद हमने सचमुच कितनी वास्तविक

[श्री गिरधारी लाल

प्रगति की है। मैं भाई नेकराम के लिये यह तो नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा चश्मा लगा रखा है जिससे सारी बातें उन्हें कम ही नजर आती हैं। लेकिन वस्तुस्थिति को सामने रखते हुए जो सही बातें हैं उनका भी वह मूल्यांकन करते और जो कमी है उसको भी कहते तो मैं समझता हूं कि उनकी समालोचना से अधिक फायदा होता। तो फायदा भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इतना रुपया और १५ साल का समय व्यतीत करने के बाद भी आज जब हम बजट भाषण या मुख्यमंत्री के भाषण को देखते हैं तो उसमें कहीं अनावृष्टि और कहीं ईश्वरीय प्रकोप की बातें, करीब-करीब वही घिसी-पिटी बातें, जो प्रत्येक वर्ष सुनाई पड़ती हैं और दिखाई पड़ती हैं, वही हैं। तो हमें यह सोचना चाहिये कि कहां हमारे में खामी है। हम कल्पना और योजना अच्छी बातों की करते हैं, खर्च भी करते हैं लेकिन सत्य यह है कि हम न तो बेकारी की समस्या को हल कर सके, कृषि योजनाओं पर लगातार खर्च करने के बाद भी जो फायदा और कल्पना हम उससे करते थे वह भी प्राप्त नहीं हो रहा है। साढ़े ७ करोड़ आबादी का प्रदेश है और इतना रुपया और समय लगाने के बाद हम करोड़ों रुपयों का गल्ला बाहर से मंगा रहे हैं। और फिर अनावृष्टि या ईश्वरीय प्रकोप की बात करते हैं, तो हमें सोचना है कि हम किस प्रकार इतनी बड़ी आबादी का भविष्य उज्ज्वल कर सकेंगे। क्या केवल कृषि की कल्पना करके ही हम साढ़े सात करोड़ लोगों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे ? अधिष्ठाता महोदय, मेरा विश्वास होता है कि हमें दूसरी तरफ दृष्टिपात करना पड़ेगा वरना हमारा भविष्य अन्धकारमय होगा, जैसा कि सामने दिखलाई पड़ता है।

आप शिक्षा को ही ले लीजिये। प्रदेश में कितनी ही यूनिवर्सिटियां हर जगह खुल रही हैं, हर साल हम उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां आंकड़ों का सवाल आता है, वहां ऐसा मालुम पड़ता है कि हमारे यहां लाइयरों की संख्या में दिनों दिन बढ़ती हो रही है। तो जो हमारी कल्पना है कि हम विश्वविद्यालयों को खोल कर लड़कों को शिक्षित बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, अगर हम शिक्षा के वास्तविक पहलू पर नजर नहीं करेंगे तो इन बेकारों की संख्या बढ़ाकर हम कहां पहुंचेंगे ? अधिष्ठाता महोदय, आज से कुछ दिन पहले यही बजट पर विचार व्यक्त करते हुए मैंने कुछ जिक्र एक ऐसी पाठशाला का किया था जो बिलकुल रिकग्नाइज्ड नहीं थी और आज से ४०-५० साल पहले और बाद में भी बहुत सी ऐसी पाठशालायें यहां रही। उन पाठशालाओं में केवल एक गुरु होता था। वह गुरु सारी बातों का जानकार नहीं होता था लेकिन जहां तक अर्थशास्त्र या महाजनी लेन-देन की बात है उस विषय का वह पूरा पंडित होता था। मेरी जिन्दगी की बात है और अपने पड़ोस में ही मैंने अपने जीवन में देखा है कि उन लोगों ने अपने जीवनकाल में ही हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को निकाला है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन हजारों विद्यार्थियों में करीब-करीब ७५-८० प्रतिशत विद्यार्थी इस किस्म के हुए हैं जिन्होंने अपने शिक्षण काल के पश्चात् साधन न होने की वजह से कहीं नौकरी भले ही कर ली लेकिन जैसे ही उनके पास कुछ आर्थिक साधन उपलब्ध हो गये, व्यापार, इंडस्ट्रीज आदि का कार्य संचालन करके अपने जीवन में ही बहुत बड़े सफल रोजगारी हो गये, बहुत बड़े औद्योगिक सिद्ध हुए। तो जहां तक शिक्षा, दीक्षा, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कालेज आदि खोलने की बात है, हमें इस पर भी गौर करना है कि क्या हम सचमुच इसमें सफल हुए हैं। मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज खोलें, आप एजूकेशन के ऊपर तमाम खर्च करें लेकिन उस तरफ भी ध्यान दें कि इस तरह के जो स्कूल्स या पाठशालायें हैं जो इस तरह की शिक्षा देती हैं यदि उन पर थोड़ा सा भी व्यय करें और इसके लिये हाई स्कूल और कालेज आदि में अलग से कोई कोर्स निर्धारित कर दें तो इससे बड़ा भारी लाभ होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री गिरधारीलाल—

श्रीमन्, मुझे बनारस के बारे में कहना है। आजकल बनारस में जो पुलिस का प्रशासन है, मैं समझता हूं कि वह बिलकुल नगण्य सा है। चोरी, डकैती आदि इस तरह की घटनायें आये दिन सड़कों पर चलते हुए होती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं देख रहा हूं कि सन् १९३६-३७ में उत्तर प्रदेश का बजट करीब १२ करोड़ २९ लाख था जो आज बढ़ कर करीब ३०० करोड़ के हो गया है। बजट जिस गति से बढ़ रहा है और टैक्स जिस गति से बढ़ रहा है उसकी दुगुनी गति से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किन पर है, यह भी स्पष्ट है। मैं आपके सामने दो तीन उदाहरण पेश करना चाहता हूं क्योंकि समय इतना कम आप दे रहे हैं कि मैं ज्यादा बोल ही नहीं सकूंगा। मैंने परिवहन मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये। उसकी जांच ५ फरवरी, १९६४ से शुरू हुई जो करीब तीन वर्ष से चल रही है। उसकी जांच के लिये जज के बाद जज नियुक्त होते हैं और जब कोई जज सरकार के मुआफिक रिपोर्ट नहीं दे पाता है, उसमें अपनी असमर्थता प्रकट करता है, तब वह इस्तीफा देकर भागता है। यह स्थिति है उस आरोप पत्र की। उसके बाद अब तीसरे जज के एप्वायटमेंट की घोषणा माननीया सुचेता जी द्वारा हुई है। मैं इन्तजार कर रहा था और इसके लिये मैंने उनसे लिख कर पूछा कि आपको अधिकार क्या है कि आप जज की नियुक्ति करें। ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध रिपोर्ट देना उसके लिये सम्भव नहीं होता। इसलिये आप निवेदन करें चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि वे आपकी तरफ से किसी जज का एप्वायटमेंट कर दें जो अपनी रिपोर्ट दें। इसके लिये मैंने अनेक चिट्ठियां उनको लिखीं लेकिन मुश्किलाहट यह है कि न तो वे फोन पर बात करती हैं, न वे मिलती हैं और न किसी चिट्ठी का जवाब देती हैं। कितने रिमांइडर्स भेजे मैंने लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। मुझे पता नहीं चलता कि आखिरकार उस मामले में होगा क्या? हम अजीब परेशानी में पड़े हैं। मैंने विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से भी पत्र भेजे और आज फिर अन्तिम बार कहना चाहता हूं, आखिर किसी चीज की हद होती है। आखिर उस मामले का होगा क्या? यह स्पष्ट जवाब माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर भाषण में आना चाहिये। यह सरकार यदि कुछ नहीं करना चाहती तो वह क्यों नहीं कह देती कि हमने उसे फाइल कर दिया।

एक दूसरा मामला और है। मुरादाबाद में, एस० डी० एम० के इजलास में श्यामलाल गौड़ के खिलाफ एक मुकदमा था जिसका नं० है २१३ (९) इस केस के बारे में श्री मुजफ्फर साहब ने एक पत्र श्री बाऊदयाल खन्ना को लिखा कि वे मैजिस्ट्रेट से कह दें कि वह किसी दूसरी अदालत में उस मुकदमें को ट्रान्सफर कर दे। मैजिस्ट्रेट ईमानदार था। खन्ना जी की भी मैं तारीफ करता हूं, उन्होंने उस काम को करने से इनकार कर दिया, जो पत्र उन्होंने लिखा, वह अंग्रेजी में है, उसकी मूल प्रति भी मेरे पास है। उन्होंने लिखा कि ऐसे मामलों में वे मैजिस्ट्रेट को नहीं लिख सकता। लेकिन मुजफ्फर साहब ने उसके बाद एक पत्र इलाहाबाद के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, श्री मोहम्मद मियां फारुखी, को लिखा.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह मूल प्रति आपको प्राप्त कहां से हो गयी?

श्री अधिष्ठाता—

यह आप स्वयं सोच सकते हैं, माननीय सदस्य अपना भाषण कृपया जारी रखें।

[श्री गयाप्रसाद]

मेरे पास और भी अनेकों पत्र हैं। तो यह पत्र मुजफ्फर साहब ने जो लिखा यह उर्दू में है, इसमें लिखा है "आपका खत मिला था। मुरादाबाद की अदालत में श्याम लाल गौड़ के बारे में खन्ना जी को खत मैंने लिखा था। उसके जवाब में खन्ना जी ने जो खत भेजा था उसकी नकल में आपकी इत्तिला के वास्ते भेज रहा हूं।" नीचे मुजफ्फर साहब के दस्तखत हैं। तो जिस राज्य में मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जांय और ऐसे आरोप जो स्वयं सिद्ध हों और उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी न हो, मंत्री इस्तीफा भी न दें, तो फिर उसका प्रभाव नीचे के लोगों पर पड़ेगा, नीचे के लोगों में भी भ्रष्टाचार खूब बढ़ेगा।

पुलिस मंत्री के खिलाफ कितने आरोप लगाये गये। एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसके कारण लाल बहादुर जी ने इस्तीफा दे दिया था। केन्द्र के ३० एम० पी० ने टी० टी० कृष्णामचारी साहब के खिलाफ लिख कर भ्रष्टाचार आरोप पत्र दिया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, यहां पर १३० एम० एल० एज० ने पुलिस मंत्री के खिलाफ लिखकर भ्रष्टाचार का आरोप पत्र दिया, फिर भी वे अपनी जगह पर बने हुये हैं। इनके समय में कितने जुर्म बढ़े हैं। आदमी जिन्दा है, पर उसके कत्ल का मुकदमा पुलिस चला रही है, आदमी जेल में है, पुलिस डकैती में उसका चालान कर रही है, वाराणसी में छात्रों के साथ उसके व्यवहार को आपने देखा ही है, फिर भी माननीय गृह मंत्रीजी अपनी जगह पर बने हुये हैं। (लाल बत्ती होने पर) माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब जब मैं बोलता हूं और आप कुर्सी पर बैठे होते हैं तब यह झगड़ा होता है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप चेयर की नियत पर हमला न करें, यह ठीक नहीं है।

श्री गयाप्रसाद—

आखिर मेरी भी तो कुछ नीयत है।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे बगल में सचिव बैठे हैं। जब कोई माननीय सदस्य खड़े होते हैं बोलने के लिये उस समय "समय" लिखा जाता है। जिस समय वे समाप्त करने को होते हैं तो भी सारे समय का रिकार्ड होता है। इस तरह आप चेयर पर रिफलैक्शन करें यह ठीक बात नहीं है। लेकिन मैं आपको तीन मिनट और देता हूं।

श्री गयाप्रसाद—

चूंकि समय नहीं है, इसलिये मैं आपसे कह दूं कि यह भ्रष्टाचार माननीय सुचेता जी के जमाने में बहुत बढ़ रहा है और बहुत से लोगों को भ्रम है कि "बिटवीन दि टू दासेज" वे मजबूर हैं, कोई कहता है कि गुप्ता जी का इतना प्रभाव है। लेकिन मैं उनके ख्यालात के बारे में नहीं कहूंगा। परन्तु मेरी धारणा और है कि खुद इनके अन्दर खामियां हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसका एक उदाहरण मैं बताऊं। जब जवाहरलाल जी मरे थे और उसके बाद शास्त्री जी मरे थे तो सारे देश मे पान की दूकानें तक बन्द रहीं और मेरठ में तो यह सुना कि पान के दूकानदार या जिन लोगों ने दूकानें बन्द नहीं कीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि मोदीनगर की सारी इन्डस्ट्रीज इन दोनों अवसरों पर चलती रहीं और जब मोदीनगर पर डी० एम० ने एक्शन लेना चाहा तो सुचेता जी के कहने पर एक्शन नहीं लिया गया। इसके कागजी सबूत मेरे पास हैं। माननीय कृष्णानन्द जी आप भी इसकी जांच कर लें कि मोदीनगर वालों ने सुचेता नगर बसाया है इसलिये उनको यह सुविधा दी गई है। ऐसे एन्टी नेशनल कार्य करने वाली.....

श्री अधिष्ठाता—

जिस समय आप कोई ऐसा लेख या कोई प्रमाणपत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत करें तो आपको उसके लिये पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रमाण के आधार पर आप इस आरोप को लगा रहे हैं उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

श्री गयाप्रसाद—

उतनी ही जिम्मेदारी के साथ आप निवेदन करिये कि माननीय मुख्य मंत्री इसको कान्ट्राडिक्ट भी करें। तो ऐसी घटनायें जिस मुख्य मंत्री के राज्य में हों, आप खुद ही समझें....

श्री अधिष्ठाता—

आप हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आपने कहा कि कोई कागजात हैं इस मोदीनगर के बारे में। तो क्या आप उन्हें सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे ?

श्री गयाप्रसाद—

जब आप जांच करायेंगे तो मैं भी प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह के आलेख्य की चर्चा आप सदन में न करें जिसे प्रस्तुत करने में आप अपने को असमर्थ पाते हों।

श्री गयाप्रसाद—

यदि किसी बेंच को इसके लिये आप डायरेक्ट करेंगे तो मैं इस तथ्य को प्रस्तुत कर दूंगा।

उसी तरह से मैं एक और उदाहरण बतलाऊं। जब जबलपुर–वाराणसी का रूट दिया गया, उस समय स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी की विधवा बेटी ने भी इस रूट के लिये एक प्रार्थना-पत्र दिया था पर उनको न देकर यह रूट उनकी अपनी सास को मिला और सबसे आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी बीवी आईं कि हमको भी एक परमिट दे दीजिये। तब माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि आपकी दरख्वास्त कार्यवाही के लिये उचित अधिकारी के पास भेज दी गई है। मंत्री की सास को परिमिट तो सारे कानून कायदे को तोड़कर दिया जाय और अब्दुल हमीद की बीबी को एक छोटा-सा परमिट देने में अधिकारियों के पास कार्यवाही के लिये भेजा जाता है। आपकी अखिल भारतीय सरकार जब इन नौजवानों के प्रति इतनी हमदर्दी रख रही है उन्हें सारी सुविधायें दी जा रही हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री इस तरह का जवाब दें यह शोभा की बातें नहीं है। इनके राज्य में जितना शासन ढीला है और जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है वह इसलिये है कि सुचेता जी इससे बरी नहीं है। इसलिये लोगों का यह भ्रम ठीक नहीं है कि वे गुप्ता जी के प्रभाव में हैं या दो बांसों के बीच में हैं। सुचेता जी स्वयं भ्रष्ट हैं, इनके मंत्री भ्रष्ट हैं और इससे इस प्रदेश की उन्नति अवरुद्ध है।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भ्रष्टाचार और क्या-क्या, इसका जवाब तो बाबू बनारसीदास जी बैठे हैं वह देंगे। मुझे तो कुछ थोड़ी सी बातें आपके माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करनी हैं।

हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का आखरी वर्ष ३१ मार्च को समाप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेशीय सरकार इसके टारगेट्स का कुछ लेखा–जोखा अवश्य करे। नमूने के तौर पर ५०० ट्यूबवेल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसमें से केवल १० कुवें हरदोई जिले को मिले थे। दुर्भाग्य है कि ५०० में से केवल २०० के लगभग बने, यानी

[श्री जो० पी० मिश्र]

२/५ इंजीनियर्स ने इस योजना में कार्य किया है। जहां अन्न की इतनी भंयकर स्थिति हो, तो क्या कारण है कि ५०० में केवल २०० कुंवे तैयार हुए जबकि इन इंजीनियर्स ने ५ वर्षों में पूरी-पूरी तनख्वाहें लीं, पूरे टी० ऐ० और डी० ए० लिये। जिस समय ५०० का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस समय भी ये सारी अड़चनें थीं जो अब तक रही हैं। तो उनकी तनख्वाहें भी २/५ देनी चाहिये थीं। अगर सिंचाई के साधन पूरे नहीं होते हैं तो कैसे अन्न उत्पादन बढ़ेगा ?

प्राइवेट ट्यूबवेल्स का जहां तक सवाल है, लगभग २२ महीने हुए, १४ अप्रैल ६४ को, डिप्टी मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी ने कुछ कनेक्शन्स दिये थे। आज तक उनका इन्तजाम हाईडल के इंजीनीयर्स नहीं कर सके। ट्यूबवैल बोर किये हुए पड़े हैं। रेडियो पर और भाषणों में किसान को लालच दिया जाता है अधिक अन्न उपजाने के लिये लेकिन ट्यूबवैलों से पानी नहीं मिलता है और नहरों में तो पानी का दीवाला है। ६६-६७ एग्रीकल्चरल ईयर मान लिया गया है लेकिन सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं है। हरदोई जिले की बदकिस्मती है। वह केवल ९ फीसदी इरीगेटेड एरिया है। ९१ फीसदी नान-इरीगेटेड है। क्या इससे किसान जिन्दा रह सकता है ? जिला परिषद् हरदोई ने अपनी पिछली मीटिंग में, सर्वसम्मति से, प्रस्ताव पास किया है कि खरीफ की फसल तो सूखे में गई, रबी में पानी नहीं बरसा, हाईडल और ट्यूबवेल के इंजीनियरों ने लक्ष्य पूरे नहीं किये, कोहराम है, तो तकावी और बकाया लगान मुल्तवी किया जाय और ४ आने जो लगान बढ़ा है वह तुरन्त वापिस लिया जाय।

हम अबाडी से जयपुर तक १०,११ वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी लक्ष्य निर्धारित किया था और स्वीकार किया था, हम कितने उधर चले हैं ? यह इन आंकड़ों से जाहिर है कि आज देश के ७५ प्रतिशत लोग ही करीब इस देश की ५० फीसदी दौलत पर काबिज हैं। २,००० करोड़ रुपया पबलिक मनी का उनके बैंकों में जमा है। ३,००० करोड़ रुपया करीब चोरी का सर्कुलेशन में है। ३,०००, ४,००० करोड़ रुपये का सोना छिपा है। आज ८,०००, ९,००० करोड़ रुपये का सरकुलेशन देश के केवल ७५-७०, आदमियों के हाथ में है। कैसे इस देश में समाजवाद आवेगा ? ये सब फर्जी समाजवादी हैं जो घर बैठे आलोचनायें किया करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ईमानदारी से समाजवाद हमारा लक्ष्य है। अगर है तो उसकी ओर कदम उठाना क्यों रुका है ?

दूसरी बात बन विभाग की है। ताल्लुकदारों के इन्दराज गलत। गलत इन्दराज मंसूख हुए। मेरे क्षेत्र में ३८ हैमलैट्स गंगा ने काटे और एक दरख्त भी वन विभाग ने वहां नहीं लगाया। जो दरख्त थे वे बह गये, आबादियां बह गई। फर्जी २००० प्रासीक्यूशन्स पेंन्डिंग हैं। जहां वन विभाग का नामोनिशान नहीं था वहां सरकारी वनविभाग कायम है। एक ए० आर० ओ० बिलग्राम सब-डिवीजन में बैठ गये और हजारों एकड़ जमीन जिला तसफिया इन्दराज करके चलते बने। आज लेखपाल २० रुपया बीघे रिश्वत मांगता है इन्दराज काटने के लिये। एस० डी० ओ० तहसीलदार दौरे पर जाते हैं और हजारों किसानों की गर्दन साफ हो रही है।

श्रीमन्, आज रोज देखा जाता है कि कोई तनख्वाह के लिये और कोई टी०ए०, डी०ए० के लिये शोर मचाता है, आन्दोलन करता है लेकिन आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों काश्तकार संकट में हैं, वे न काले बिल्ले लगाते हैं और न लाल ही लगाते हैं, उनकी कब्र बनी जा रही है। उनके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई कदम जल्द उठाना चाहिये, काश्तकार को अपने सामने रखना चाहिये और यह बढ़ाया गया लगान को आपको तुरन्त ही वापस कर देना चाहिये अन्यथा काश्तकार को सोचना पड़ेगा कि वह क्या कदम उठाये। अगर वह देखेगा कि सत्याग्रह प्रदर्शन और हड़ताल ही आपसे किसी काम को करवा पाते हैं तो वह भी कुछ अहिंसात्मक कदम उठाने का सोचेगा। आशा है वह उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी असुविधाओं को दूर करने की कृपा करेगी।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद और जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन के बाद, यह बजट हमारे सामने पेश किया गया है। इस समय देश के दूसरे सूबों में बजट पेश हो रहे हैं। केन्द्र में केन्द्रीय बजट और रेलवे बजट पेश हुए। इन को देखने से एक बात की झलक मिलती है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में एक ठहराव आ गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस में स्टेट्स–को और ठहराव की स्थिति दिखाई पड़ती है, न हम पीछे ही हटे हैं और न आगे ही बढ़े हैं उसी प्रकार से पूरी अर्थ व्यवस्था में भी एक ठहराव है। यह समय है जब हमें इन्ट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि जिन नीतियों को लेकर यह देश आगे बढ़ा है, वह सही है या नहीं ? क्या उनमें किन्हीं मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता है ? अगर है तो क्या, और वे परिवर्तन किस प्रकार किये जा सकते हैं ?

इस बजट की अपनी कुछ विशेषतायें जरूर हैं। नये टैक्स नहीं लगाये गये हैं, यह एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात का खतरा जरूर है कि माननीय बनारसीदास की सरकार कहीं साल के बीच में किसी बहाने कोई टैक्स न लगा दें। यह नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होगा तो उसका प्रबल विरोध होगा और उसकी सरकार को सहना होगा। नया टैक्स लगाना समस्या का हल नहीं है बल्कि समस्या का हल है नेशनेलाइजेशन। टैक्सेशन मौत की राह है। राष्ट्रीकरण जिन्दगी का रास्ता। इन दोनों में राष्ट्र को एक चुनना होगा।

एक विशेषता इस बजट में और देखी गयी है। कृषि को इसमें सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी है। यह एक माने में अपनी असफलता को स्वीकार करना है। माननीया सुशीला रोहतगी ने एक विशेषता इसकी और बतायी कि यह करीब-करीब बैलेन्सड बजट है पिछले वर्षों में जिस बात पर हम लोग बजट की निन्दा करते थे, वह इसमें नहीं है। इस प्रकार इसमें सुधार हुआ है। इन मानों में इस बजट की कुछ विशेषतायें हैं। आशा है कि इसको आगे भी कायम रखने की कोशिश की जायगी।

मान्यवर, हमारा पिछड़ापन, यही नहीं कि दूर नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा है। सारी सभ्य दुनियां, ब्रह्मा को छोड़ कर, हमारे देश की प्रतिव्यक्ति आय कम है हमारा देश वर्स्ट फेड देश है। समस्त देश में हमारे सूबे की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उसमें इधर और गिरावट आई है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले साल में २ रुपया गिरावट आई, दूसरे साल में साढ़े ६ रुपया गिरावट आई और तीसरे साल में ४ रुपया गिरावट आई। इस माने में हम पीछे हटे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हमारे यहां तृतीय पंचवर्षीय योजना के पिछले ४ साल में पैदावार नहीं बढ़ा है, बल्कि घटा है, और किसी भी तरह हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। केवल ६३–६४ में कृषि की पैदावार २५ प्रतिशत घटी है और मौजूदा साल में वह ३० लाख टन कम हुई है। इस तरह कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे नहीं बढ़े बल्कि पीछे हटे हैं। उद्योगों को देखा जाय। लेकिन इन देकर १३–१४ सालों में २ ही उद्योग हमारे यहां पब्लिक सेक्टर में आये हैं, उस में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है, यह कम शोचनीय स्थिति नहीं है। हमारे मित्र माननीय सदस्य मिश्र जी ने यह बात उठाई कि हम अवाडी से जयपुर तक समाजवाद की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं। अव्वल तो भारत सरकार ही इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी है और इस सूबे की सरकार तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सारा देश पिछड़ा हुआ है और यह प्रदेश तो और भी अधिक पिछड़ा है। प्रदेश में किसी क्षेत्र में कोई संतोष जनक प्रगति नहीं हुई है। हम पीछे ही हटे हैं। खाद्य संकट के हल के विषय में भी यहां के बड़े-बड़े मनीषी यह बताते हुये नहीं थकते कि यहां की आबादी बहुत बढ़ रही है और वह इस को सही नुस्खा समझते हैं लेकिन आबादी भी तो पिछले सालों में कुल ३० प्रतिशत ही बढ़ी है जब कि यहां की उपज सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार उसी समय ५१–५२ से ३५ प्रतिशत बढ़ी है। तो फिर यहां खाद्य संकट है क्यों ? चौथी योजना को एक ही लड़ाई के झटके ने, पूरी यहां की एकोनामी के अन्जरपंजर ढीले कर दिये। अब कहा जाता है

[श्री झारखण्डे राय]

अब कहा जाता है कि हमारे पास धन नहीं है। हम एक एक साल की योजना अब बनायेंगे। इस पर भी हमारे यहां कुछ राजनीतिक पागल अथवा अतिउत्साही है जो पेकिंग, लासा और पिंडी तक कब्जा करने की पोजीशन देखते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी पूरी नीतियों पर विचार करना होगा। हमारे यहां की हालत है कि पूरे देश में और हमारे सूबे में भी मानोपली केपिट-लिज्म तेजी से बढ़ रहा है. . . . अभी तो मैं बहुत कम बोला हूं . . . .

श्री अधिष्ठाता--

आपको ९ मिनट बोलते हो गये।

श्री झारखण्डेराय--

हमारे दल के नेता भाषण नहीं दिया है, हम उनकी जगह बोल रहे हैं, मुझे २० मिनट और दिये जायं।

एक सदस्य--

उनकी जगह तो चन्द्रजीत जी बोल चुके हैं।

श्री झारखण्डेराय--

मैं यह कह रहा था कि यह जो मानोपली केपिटलिज्म का ग्रिप है उससे बाहर निकलने का उपाय होना चाहिये। आज देश में आदमखोर, मेनईटर्स छुट्टा घूम रहे हैं, उनकी कोई रोकथाम नहीं है। हमारे देश पर और यहां की केंद्रीय सरकार पर केवल २० बड़े पूंजीपति परिवारों का आतिपत्य है और वही हावी हैं यहां की सारी एकनामी पर। यहां प्रदेश में भी केवल २ प्रतिशत पुराने जमींदार और शहर के पूंजीपति राज्य सरकार और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर कब्जा किये हैं। एकाधिकार जांच आयोग ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि किस तरह पूंजीपति अपना कब्जा पूरे देश के भाग्य पर जमाये बैठे हैं।

मैं उसके कुछ प्वाइन्ट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं ताकि हम भलीभांति देख सकें। श्रीमन्, एकाधिकार जांच आयोग के अध्यक्ष श्री गुप्त जी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि देश के उद्योगों पर कुछ लोगों का एकाधिकार है। इसके कारण भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है। तथा देश की नैतियां जनहित में कार्यान्वित नहीं होती हैं। श्रीमन्, यह किसी समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। आगे वे कहते हैं कि देश के उद्योगों का बहुत बड़ा भाग तीन प्रमुख सरमायेदारों के हाथ में केंद्रित है। इसमें टाटा का प्रथम नम्बर है दूसरा नम्बर बिडला का है। देश के अधिकांश अखबारों पर भी इन सरमायेदारों का एकाधिकार है तथा वे ऐसा प्रचार करते हैं जिससे जनता आसानी से गुमराह हो जाती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 'एकाधिकारभ्रष्टाचार की जड़ है।"

अभी हाल में अर्थ शास्त्री श्री राव ने ये विचार व्यक्त किये हैं, 'भारत की अर्थ व्यवस्था पूंजीवाद की तरफ झुक रही है'। उनका कहना है, 'कांग्रेस की समाजवादी नीतियों की बात न तो कहीं ठोस रूप से दिखाई पड़ती है और न उसकी भावना लाने के लिये ही कुछ किया जा रहा है। बल्कि पूंजीवादी भावना और तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कारखानों की व्यवस्था में मजदूरों को स्थान नहीं दिया जा रहा है और न खेती में ही सहकारिता बढ़ायी जा रही है। शोर उत्पादन बढ़ाने पर है मानवता की भावनाओं पर नहीं है। मजदूर उनमें अपनत्व नहीं समझता? 'योजना में समाजवादी तत्व का प्रभाव है', इसीलिये सर्वोदयी नेता आचार्य बिनोबा भावे ने एक बयान में निराशापूर्ण शब्दों में कांग्रेस की योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि 'इन योजनाओं से देश की गरीबी कभी भी नहीं मिट सकती।' उन्होंने कहा कि १८ साल की योजना के बाद भी आज गरीबों की दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया है। इस बीच में धनी और धनी हुआ है और गरीबों की हालत वैसी ही रह गयी है।

बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री अक्षय कुमार मुखर्जी ने हाल में ही कहा कि 'मंत्री मंडल और कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं ने संगठन को पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया है। वे उन्हीं के पैसे से संगठन चला रहे हैं। आज इसका कोई परिमार्जन हम सबको मिलकर करना होगा। आज नन्दा जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं डिसइलूजन्ड (निराशी) समाजवादी हूं। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जायगा लेकिन वैस्टेड इन्टरेस्ट बहुत प्रबल हैं और वैल एन्ट्रैन्चड हैं।

कृषि उत्पादन स्टेट में या हमारे देश में संतोषजनक पैमाने पर नहीं हुआ है। अभी तक भी हमारे यहां पर आत्मनिर्भरता नहीं आयी है। नेहरू जी, हाफिज इब्राहीम पंजाब राव देशमुख, श्री सुब्रमनियम और हमारे दिवंगत श्री लाल बहादुर शास्त्री की कुल बातों के निचोड़ से मालूम होता है कि सन् १९७४ तक भी हमें विदेशों के खाद्यान्न पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मूल कारण? कोई भी क्रांतिकारी और उग्र भूमि सुधार नहीं किया गया है। जमीन जोतने वालों को नहीं दी जा सकी है। चकबन्दी का कार्य भी इतने धीरे २ चल रहा है कि किसानों के अन्दर एक अन्सरटेन्टी सी बनी हुयी है। हदबन्दी कानून धोखाधड़ी सिद्ध हुआ है। इसका निदान क्या है?

जमीन का सही रूप से पुनः बटवारा हो। जो अतिरिक्त जमीन या खेत है उन्हें मजदूरों को दिया जाय। परती बंजर जमीन सामाजिक कार्यों के लिये छोड़ कर भूमिहीनों में बांटी जाय। हर न्याय पंचायत में सरकारी फार्म खोले जायं, जहां पर अच्छी चीज मिलें, अच्छे बीज, खेती के औजार, ऋण, खाद आदि। थोक गल्ले का व्यापार सरकार को पूंजीपतियों के हाथ में न देकर अपने हाथ में लेना चाहिये। उनके हाथ में छोड़ने से समस्या का निदान नहीं हो सकता है। पी०एल० ४८० आदि बाहर का गल्ला जब तक हम बन्द नहीं करेंगे तब तक हम डट कर खेती की पैदावार बढ़ाने का उपाय नहीं कर सकेंगे। जानवर, बन्दर, कीड़े मकौड़ों, चूहे और चिड़ियों से जो नुक्सान होता है उसे भरसक बन्द करना चाहिये।

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि ४६ अरब रुपये का नुकसान कीड़े, मकोड़े, रखरखाव की दिक्कत और जानवरों, चूहों तथा चिड़ियों से होता है। इसमें अकेले सवा १६ अरब का नुक्सान होता है चूहों से। अगर रख रखाव की व्यवस्था ही ठीक कर दी जाय तो १७ फीसदी खाद्यान्न जो इस प्रकार नष्ट होता है, उचित व्यवस्था न होने के कारण, और सरकार के अनुसार केवल ७ फीसदी अन्न की कमी है, तो केवल रख रखाव की व्यवस्था हो जाने से ही इस समस्या का हल हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा इस विवाद में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का भाषण सुन करके मैंने जरूरी समझा कि मैं भी सदन के सामने जो कुछ भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, उन के संबंध में बात करूं। मैं जानता हूं कि बजट का अवसर एक ऐसा अवसर होता है जब कि बहुत से सदस्यों को जो प्रदेश में संकट है, उस को व्यक्त करने का एक अवसर मिलता है और इस में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में भी, प्रदेश में भी काफी गम्भीर स्थिति है और इस में कोई संदेह नहीं है कि गरीबी है, विषमता है, संकट है, और शासन के लिए कोई भी सरकारी पक्ष की तरफ से इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मौजूदा सामाजिक स्थिति के अन्दर यह कहा जाय कि आदर्शस्थिति है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

माननीय गया प्रसाद जी ने जिक्र किया कि मोदीनगर में दो रोज माननीय लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर छुट्टी नहीं हुई । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार ने जितने भी केंद्रीय कारखाने थे अपने सब कर्मचारियों की दो रोज की वैतनिक छुट्टी की । हमारे प्रदेश में भी एक अपील श्रम विभाग की तरफ से निकाली गई जिसमें केंद्रीय सरकार के अनुसार सब कारखानों को बन्द करने की अपील की गई । लेकिन किसी भी कानून के मातहत उनको बन्द करने के आदेश नहीं दिये गये । तो यह उन की स्वेच्छा पर था और किसी कानून के जरिये से किसी के निधन के मौके पर उन को कार्य बन्द करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि मोदी नगर में जिन्होंने कारखाना बन्द नहीं किया उन्होंने उस अपील के ऊपर अमल नहीं किया । लेकिन किसी कानून के मातहत कोई प्रौसीक्यूशन किसी भी कारखानेदार का या किसी भी दुकानदार का अगर वह किसी के निधन पर हड़ताल नहीं करता, अपनी दुकान बन्द नहीं करता, दुख प्रकट नहीं करता, नहीं किया जा सकता था । इसलिये मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य को इस तरह की शिकायत हुई । एक सुचेता-पुरी चूंकि वहां पर बनी, इस वजह से कोई खास रियायत मोदी फैक्ट्रीज के साथ की गई, वह बात नहीं है । जैसा मैंने कहा प्रदेश के अन्दर मेरी तरफ से अपील थी बहुत लोगों ने उस पर अमल किया, कुछ ने नहीं किया ।

भ्रष्टाचार की आज सदन के अन्दर बात बहुत होती है । मैं तो यह समझता हूं कि जब से यह दुनिया कायम हुई है, भ्रष्टाचार है । गवर्नमेंट के अन्दर भी है । लेकिन एक तरफ तो अभी माननीय गया प्रसाद जी का यह आरोप लगाना कि माननीय मुजफ्फर हसन की सास को परमिट मिल गया और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री पर यह आरोप लगाना कि परमवीर चक्र प्राप्त की विधवा पत्नी को परमिट नहीं दिया, तो एक तरफ तो आपका यह दावा है कि गवर्नमेंट कानून के मातहत चलती है और यह प्रोसेस आफ ला के मुताबिक चलती है, रूल आफ ला के मुताबिक चलती है और दूसरी तरफ आप इस बात की अपेक्षा करें कि परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले की पत्नी को गवर्नमेंट कोई परमिट देने का आदेश दे, तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई इस तरह का कानून नहीं है जिस में कि चीफ मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किसी को परमिट देने का आदेश दे सकते हैं । यह विवाद चल रहा है कि आर०टी० ए० एक सेमी-जुडिशियल बाडी है, जिसकी कि अपील एस०टी०ए० के अन्दर आती है और उसके बाद भी प्रायः हाई कोर्ट के अन्दर रिट पेटीशन्स जाती हैं तो यह विवाद जो इतने दिन से चलता है, हो सकता है कि आर०टी० ए० के किसी अधिकारी ने भूल की हो लेकिन क्या किसी माननीय सदस्य ने इस प्रकार का या माननीय गया प्रसाद जी ने इस प्रकार का कभी भी कोई दावा किया है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से कोई आदेश किसी व्यक्ति को परमिट देने के लिये दिया गया । महज इस वजह से कि वह मुजफ्फर हसन साहब की सास हैं उन को परमिट मिला, लिहाजा एक भ्रष्टाचार मंत्री की तरफ से हो गया । आज इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि कैरोला ब्रदर्स थे वह एक दूसरे के शत्रु थे । तो राजनीति के अन्दर यह कहना कि चूंकि कोई व्यक्ति एक अधिकार के अन्दर है उस का कोई सम्बन्धी कुछ नहीं कर सकता, अगर वह नाजायज फायदा भी उठाना चाहे तो उसके अन्दर व्यक्ति विशेष जो सत्तारूढ़ है उसकी दिलचस्पी है तो मैं यह समझता हूं कि यह बिल्कुल एक सिम्पिलीफिकेशन हो जायगा और सार्वजनिक जीवन में आप के लिये और हमारे लिये भी कार्य करना कठिन हो जायगा । मैंने भी देखा कि जज साहब ने फाइल को वापस किया इस लिये कि उन की नीयत पर शक किया गया । तो कोई भी जज जो अपनी रिपोर्ट देना चाहे उस के लिए कैसे सम्भव हो सकता है यदि माननीय सदस्य की तरफ से उन की नीयत पर भी शक हो, और मैंने स्वयं उस फाइल को देखा है क्योंकि उस जज ने अवकाश ग्रहण कर लिया है । तो रिपोर्ट के अन्दर यदि देरी हुई, जो आचार संहिता बनायी गई है, उस के अनुसार यह उत्तरदायित्व हो जाता है मुख्य मंत्री का अपने किसी साथी के संबंध में वह कोई निर्णय करे या प्राइम मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का और यदि मुख्य मंत्री से संबंधित हो तो गृह मंत्री केंद्र का या प्रधान मंत्री का । तो

टी०टी० कृष्णामचारी के संबंध में जो माननीय सदस्यों की तरफ से आरोप पत्र दिया गया तो उन का कहना यह था कि बजट से पहले किसी भी जज की राय नहीं ली जा सकती थी। उन का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं अपने को संतुष्ट कर लें कि आया उन आरोपों के अन्दर कोई तथ्य है या नहीं। लेकिन किसी जज की राय लेने के माने यह हैं कि जो एक संयुक्त जिम्मेदारी है उस का अपहरण है और साथ ही साथ में एक सौवरेनटी के ऊपर भी आघात होता है। ऐसा टी० टी० के० का मत था जिस पर उन्होंने रिजाइन किया।

इसलिये माननीय मुजफ्फर साहब के खिलाफ जो आरोप हैं, मैं समझता हूं कि जनतंत्र प्रणाली को इससे कोई मदद नहीं मिलती है। मैं मुजफ्फर साहब के बारे में कोई सफाई नहीं देने जा रहा हूं। लेकिन उनका जीवन इलाहाबाद के लोग भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। अगर उन का लड़का भी कोई अपराध करे सिर्फ इस वजह से कि वह मिनिस्टर हैं, उसका दोष उन पर नहीं आ सकता। एस०टी०ए० के यहां उसकी अपील हो सकती है। मुजफ्फर साहब ने स्वयं इस बात की मांग की है कि किसी जज के सुपुर्द इस मामले को किया जाय। वह स्वयं चाहते थे कि अगर दोष पाया जाता है तो एक सेकेंड भी यहां बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन साथ ही आज के इस वातावरण के अन्दर जिस प्रकार के आरोप लगते हैं, सही है कि इनफेंट डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अन्दर है, मैं तो समझता हूं कि लम्बी रस्सी देना भी ज्यादा अच्छा होता है डेमोक्रेसी के अन्दर। अगर थोड़ा अतिक्रमण उसकी सीमाओं का हो जाय, भाषण की स्वतंत्रता और लेखन की स्वतंत्रता का, तो मैं यह मानता हूं तो उस खतरे को भी मोल ले लेना चाहिये और उस के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना चाहिये।

आज कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां पर अखबारों की बाढ़ न आ गई हो। दो, दो सफे के अखबार जिस प्रकार से निकलते हैं, मैं समझता हूं कि जर्नलिस्ट परम्पराओं को शुद्ध रखने के लिये यह जर्नलिस्ट लोगों का कर्त्तव्य है कि उन के स्तर को देखें, आज कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ब्लैक मेलिंग के लिये डी०एस०ओ० या डी०एम० के खिलाफ छोटे छोटे पत्र जो दो, एक दिन निकलते हैं, कभी साल भर में १०, ५ दिन निकलते हैं, जिनका काम ही यह है कि लोगों को आतंकित करना।

श्री झारखण्डेराय --

ऐसे पत्रों के खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुजफ्फर साहब के विरुद्ध तो सब कागजी बात है, सब एक तरह से सिद्ध है, जरा भी अगर शक हो गया तो वह इस्तीफा दे कर के माननीय गया प्रसाद पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते ?.....

श्री बनारसीदास--

माननीय उग्रसेन जी अगर इंग्लैन्ड की संसदीय परम्पराओं को मानें.....

श्री उग्रसेन--

वहां एक प्रोफ्यूमो कांड पर डेमोक्रेसी हिल गयी।

श्री बनारसीदास--

वे उसे संसदीय प्रणाली के विरुद्ध समझते थे। सवाल यह है कि माननीय सदस्य इससे इत्तिफाक करेंगे कि व्यक्ति की कमजोरी आरोप कर्ता के लिये जीना नहीं बन सकती। छिद्र न हो तो हम उसकी एक कल्पना करें और अगर कहीं छिद्र है तो मैग्नीफाइंग ग्लासेज से उसे बड़ा कर रखें। सन् ५२ के चुनाव के पहले हमने यह देखा कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने लाखों रुपये की सम्पदा जमा न कर ली हो। वह यह समझते थे कि सन् ५२ के चुनाव

[श्री बनारसीदास]

के लिये यह सबसे बड़ी कैपिटल होगी कि फलां बेईमानी करता है । आरोप और प्रत्यारोप सुन कर हमने यह कहा कि दोनों ही सही बोलते हैं । जनता ने फैसला किया । जो लोग बड़ा चिल्ला कर आरोप लगाते हैं, उन व्यक्तियों पर जिन पर हमारी आस्था रही है, तो सबसे बड़ा अपराध वह यह करते हैं कि समाज की आस्था को नष्ट करना, समाज के अन्दर ऐसी मनोवृत्ति पैदा करना जिसमें दोषारोपण और प्रत्यारोपण हो । गांधी जी कहा करते थे कि ईमानदार आदमी वह है, जिसे किसी जमानत की जरूरत न हो । ज्यादा शक वही आदमी करता है जो स्वयं पर कोई यकीन नहीं रखता । सभी जानते हैं कि कंटेम्प्ट का नियम है कि कोई मसला अदालत के सामने पेश है तो उसकी चर्चा न की जाय और जजों पर लोकमत का कोई प्रभाव न पड़ने पाये । मैं यह समझता हूं कि जब भी कोई मसला जजेज को सुपुर्द किया गया और जज ने सरकार के पक्ष म फैसला किया तो यह कहा जायगा कि जज ने प्रभावित हो कर किया है । जहां नहीं किया, खिलाफ किया वह उसने सही फैसला किया । पहला उसूल यह है कि १०० गुनहगार को मुक्त कर दिया जाय लेकिन एक निरदोष आदमी सजा न पाये । ऐसी स्थिति में जहां पर अविश्वास ही अविश्वास लदा हो, कोई जज काम कर सकता है ? आप के जो न्यायाधीश हैं उनके लिये सब को गर्व है, वे स्वतंत्रता के साथ फैसला करते हैं । गवर्नमेंट के विरुद्ध वह फैसला करते हैं । लेकिन यदि कोई जज, जिसे प्लेइंग टु दी गैलरीज कहा जायगा, अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला कर दे तो कहा जायगा कि न्यायाधीश प्रभावित हो गया । न्याय की यह परिभाषा की जाय कि न्यायाधीश वह है जो सारे फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ करे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका भ्रष्टाचार की चर्चा करना, गवर्नमेंट की त्रुटियों की चर्चा करना व्यर्थ हो जायगा । हम किसी कर्मचारी को डिसमिस करते हैं और हाई कोर्ट रिइंस्टेट करती है तो न्यायाधीश अच्छा वही है जो सरकार के खिलाफ फैसला करे ।

श्री उग्रसेन—

माननीय बनारसीदास जी ने कहां जस्टिस करने दी । माननीय सहाय और ब्रूम को श्री आर० के० नेहरू के केस में कहां जस्टिस करने दी ?

श्री बनारसीदास—

मैंने अर्ज किया कि न्यायाधीश ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया । बहरहाल उन्होंने न्याय किया है । लेकिन न्याय की भी एक परिभाषा होती है, एक सीमा होती है । न्यायाधीश अपना कर्त्तव्य करेगा । लेकिन जनता क्या चाहती है उसका फैसला करेंगे वे जिनमें सार्वजनिक सत्ता निहित है । न्यायाधीश का सम्मान करना होता है । कानून के अक्षर क्या हैं, उनको न्यायाधीश इंटरप्रिट करता है, वह जनता की भावना को नहीं देखता है । जनता की भावना तो जनता के प्रतिनिधि देखते हैं । अगर किसी गलती की वजह से जनता के प्रतिनिधि जनता की भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और न्यायाधीश उसको गलत बताये तो हमारा फर्ज हो जाता है कि न्यायाधीश के फैसले का सम्मान करें और ऐसे अक्षर इस्तेमाल करें जिनसे सही माने में वह भावना व्यक्त होती हो । हमने तो उनके प्रति आदर प्रगट किया । जब हमने देखा कि जिन शब्दों के साथ हमने अपनी भावना प्रगट की थी वह शब्द ठीक नहीं थे तो हमने उनमें सुधार कर दिया । इसमें क्या बात है ? यह तो रैस्पेक्ट ट दि जूडीशियरी है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, इस तर्क से तो न्याय का जनाजा निकल जायगा ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इंगलैन्ड में जुडीशियरी और लेजिस्लेचर में विवाद हुआ और अमरीका में भी हुआ तो बराबर संसार में जितने लेजिस्लेचर का इतिहास है उसको माननीय उग्रसेन जी ज्यादा जानते है, जहां पर रिटिन कांस्टीट्यशन है, इंगलैंड में तो नहीं है, तो आप देखेंगे और

माननीय उग्रसेन जी भी मानने लगेंगे कि यदि जुडीशियरी कोई फैसला करे और उसके अनुसार हम कोई सुधार न करें तो हम प्रतिक्रियावादी हो जायेंगे। जमींदारी अबालीशन के बाद हमने कांस्टीट्यूशन को चेंज किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी थी। कांस्टीट्यूशन हमारे लिये साध्य नहीं है, साधन है। इसीलिये कांस्टीट्यूशन को बदला गया।

आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं जानता हूं कि १९४८ में एक डिप्टी कलेक्टर भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किये गये। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। वहां से उनकी रिट मंजूर हो गई और उनको दस साल का वेतन मिला। इसके बाद एक प्रतिष्ठित पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा। कानपुर से वे हार गये। गवर्नमेन्ट ने फिर उनको डिसमिस कर दिया और आज भी उनकी रिट हाई कोर्ट में मौजूद है। मैं जानता हूं कि कई बड़े–बड़े अधिकारी और इंजीनियर ससपेंड किये गये। लेकिन जब कोर्ट ने देखा कि दो और दो चार नहीं होता है तो उनको छोड़ दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या आपने मांग की है कि कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन किया जाय जिससे दोषी अधिकारियों को सजा दी जा सके। बड़ी परस्पर विरोधी चीज है। एक तरफ आदमी किसी को कत्ल करता है तो कत्ल होने वाले के साथ हमदर्दी है और जब कातिल को फांसी दी जाती है तो उसके साथ भी लोगों की हमदर्दी हो जाती है। तो यह मानव समाज की एक बड़ी भारी विडम्बना है। जब सजा दी जाती है तो कहा जाता है कि पक्षपातपूर्ण ढंग से बर्खास्त किया गया है। बरखास्त किया तो बरखास्त करने के लिये सरकार की भर्त्सना हुई। सरकार ने किया तो सरकारी अधिकारी के साथ आंसू गिराना हुआ, उसके साथ हमदर्दी का इजहार हुआ। श्रीमन्, यदि भाषणों को पढ़कर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। इसलिये हमको थोड़े विवेक के साथ इसकी समीक्षा करनी होगी।

श्रीमन्, थोड़ा हो सकता है, मेरी विडम्बना हो या मेरी तरफ से प्रिजेन्स हो लेकिन जब से मैंने राजनीति में भाग लिया, जब से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई मैं भी उसका सदस्य रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अनर्थ अगर समाजवाद का होता है तो उनसे होता है जो उसके लिये सबसे ज्यादा हाय तोबा और शोर मचाते हैं, जो दूसरों पर समाजवादी न होने और समाजवाद के विरुद्ध जाने का दोषारोपण करते हैं। जिस तरह से हमारे बड़े हमदर्द लोगों की यह भावना है कि हिन्दी का जितना हित इन्थयूजिएस्ट लोगों ने किया है उतना हिन्दी के विरोधियों ने नहीं किया है। समाजवाद का जितना अहित उसके लिये शोर मचाने वाले और नारा लगाने वाले लोगों ने किया है, उतना उसके विरोधियों ने नहीं किया है....

श्री उग्रसेन—

ठीक है, ठीक है, जो बनारसीदास जी कह रहे हैं, पूंजीपतियों के दलाल मसानी जी यही कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

देखिये, आप मसानी जी के बारे में कह रहे हैं वही दूसरे लोग आपके लोहिया जी के बारे में कहने लगेंगे। आप बीच में मत बोलिये।

श्री बनारसीदास—

पहले सार्वजनिक जीवन के अन्दर गालियां दूसरे प्रकार की हुआ करती थीं। जैसे कि कम्युनिस्ट कन्ट्री के अन्दर हुआ, जिस आदमी का विरोध करना चाहा, जिस आदमी को बदनाम करना चाहा, जिसको गिराना चाहा, उस पर आरोप लगाया, उस पर काउन्टर रिवोल्यूशनरी का आरोप लगाया गया। रिवरजनिस्ट का नारा लगाया गया। बुखारेस्ट–ट्राट-सकी जैसे बड़े–बड़े समाजवादियों पर आरोप लगाया गया, केवल उनका एक मात्र विरोध करने के लिये कि वे एजेन्ट्स आफ दी कैपटलिस्ट हैं, एजेन्ट्स आफ इम्पिरियलिस्ट हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं काशीनाथ जी बड़े प्रगतिशील युवक ह, लेकिन सोवियट रशा और

[श्री बनारसी दास]

दूसरे मुल्कों में जो गलती हुई है वह गलती यहां पर न की जाए। उन गलतियों से फायदा उठाया जाए। केवल विरोधी की सरकार न बनने पाये, इस कारण से बड़े-बड़े प्रगतिशील लोगों को बदनाम किया गया और उन्हें प्रतिक्रियावादी और एजेन्ट्स आफ दी कैपि-लिस्ट कह दिया गया। जिससे मतभेद हुआ, उसको पूंजीपतियों का दलाल कह देना उचित नहीं है। इसी तरह से जब धर्म युद्ध का जमाना था, उस समय सबसे बड़ी गाली थी 'काफिर' 'म्लेच्छ', सबसे बड़ी गाली थी 'भ्रष्ट'। जिसका विरोध करना चाहा, जिसको राजनीति में पछाड़ना चाहा, उसको कह दिया कि यह तो भ्रष्ट हो गया है, और अब आजकल आधुनिक राजनीति में प्रतिक्रियावादी और ऐजेन्ट्स के नाम से बिरोधियों को गाली दी जाने लगी है तो इस तरह का नारा हमारे देश के अन्दर भी कुछ जोर के साथ बिना उनका अर्थ समझे हुये, बिना हिन्दुस्तान की पृष्ठिभूमि में उन पर बिचार किये हुये कह दिया जाता है कि आप तो एजेन्ट हैं पूंजीपतियों के, आप तो टाटा-बिड़ला के खरीदे हुये हैं ....

श्री उग्रसेन—

यह तो आप को लोग ज्यादा कहते हैं।

श्री बनारसीदास—

बच्चे की तालीम घर पर ही नहीं होती है, पड़ोसियों का भी उस पर असर पड़ता है और एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो श्रीमन्, यह जरूरी नहीं है कि छूत की बीमारियों से बचने के लिये, महामारियों से बचने के लिए सिर्फ अपने ही घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखे, उसके लिये यह भी आवश्यक है कि उसके पड़ोसी भी साफ और स्वच्छ हों तथा बीमारी रोकने में स्वच्छता के नियमों के साथ सहयोग करें। तो बेहरहाल एक वाद में हमारा मत व्यक्त हो गया...

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

आपको कोई बीमारी लगी या नहीं लगी।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर तर्क फेल हो जाता है, जहां पर विवेचनात्मक बुद्धि धोखा दे जाती है, वह पर इस तरह की राजनैतिक गालियों की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अभी एक साहब ने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? एक कहावत है "Give the devil its due" लेकिन यह जनतंत्र है, चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और इसलिये सभी भाषण चेयर को संबोधित नहीं होते, ज्यादातर प्रेस को सम्बोधित हो रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

लेकिन कल प्रेस में सबसे ऊपर फोटो बनारसीदास जी की ही छपेगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो अपने अपने भाग्य की बात है।

श्री बनारसीदास—

तो यह पहली मरतबा है तब तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस सरकार न अपने टारगेट से ऊपर जाकर कार्य किया है। ५०२ करोड़ की योजना थी उससे ज्यादा हमने उसको बढ़ाया। बिजली के लिये जो रुपया आपने हमें दिया था वह सब खर्च हुआ। स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को २५ करोड़ रुपया हमने अभी दिया। स्वयं झारखंडे राय जी ने माना कि प्रदेश की आबादी बढ़ी है। ३५ परसेंट यहां पर खेती की उपज बढ़ गयी। मैं ज्यादा

आंकड़ों के जंजाल में तो नहीं पड़ता क्योंकि बदकिस्मती रही है पता नहीं इकोनामिस्ट्स किस तरह से सैम्पिल सर्वे करते हैं, कितना बारिश का पानी होता है और कितना सही मानों में पानी होता है, इसका क्या अन्दाज लगाते हैं। गेहूं का भाव इस महीने के अन्दर ४० रुपये मन था, अब कहीं ३२ रुपये मन से ज्यादा नहीं है। चावल में उतार देखिये, मटर को देखिये। जहां तक आलू के दाम का सवाल है, हम ज्यादा आलू पैदा कर रहे हैं। मैं बुलन्दशहर में गया वहां किसनों ने बताया कि ६–७ रुपये मन आलू का दाम हो गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरे जिले में तो ५ रुपये मन है।

श्री बनारसीदास—

आप तो मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमान्ड कम, दाम घटेंगे, और सप्लाई कम डिमान्ड ज्यादा तो दाम बढ़ेंगे, यही सिद्धांत है, तो उत्पादन ज्यादा हुआ या कम ? योजना विफल हुई या कामयाब ?

(इस समय २ बजकर ३७ मिनिट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

अब आलू के मामले में सोचना होगा कि किस तरह से प्राइस पैरिटी की जाय ताकि किसानों को ठीक दाम मिले। गाजियाबाद और बुलन्दशहर में २८ रुपये मन तक गेहूं बिका है तो यह स्थिति है। दादा धर्माधिकारी एक स्थान पर बैठे थे। कहा जा रहा था कि जनता में असंतोष बढ़ रहा है तो उन्होंने कहा कि इनको भी इसका लाभ उठा लेने दीजिये। तो इस असंतोष की अग्नि में आप भी अपनी रोटी सेंक लीजिये। तो आज यह आपका देश के लिये नकारात्मक दृष्टिकोण है। समाजवाद का प्रादुर्भाव इन कानूनों की पोथियों से होने वाला नहीं है। समाजवाद तो तब हिन्दुस्थान के अन्दर कायम होगा जब हम में से हर आदमी अपने आपके बारे में सोचेगा कि उसमें कितनी संग्रहात्मक प्रवृत्ति है और कितनी समाजवादी प्रवृत्ति है और यह कहना कि समाजवाद का यह राजमार्ग है और इतने दिनों में हम समाजवाद ला सकते हैं तो यह तो सोवियत रशा ४७ और ४८ साल क्रान्ति के बाद भी नहीं कर सका। समाजवाद का सबसे बड़ा सूत्र क्या है ? जमीन, माइन्स, कल कारखाने वगैरह। मैं पूछना चाहता हूं कि नारों से क्या होगा ? कभी कभी हम नारे लगा देते हैं। अंग्रेजों के मुकाबले में जब लड़ना था तब उस वक्त के लिये क्या स्ट्रेटेजी थी लैंड टु दि टिलर आफ दि स्वायल। सोवियत रशा और चीन ने भी नारे लगाये। क्या सब जमीन बांट दी ? क्या उन्होंने सब जमीन का राष्ट्रीयकरण किया ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति इस बात का खतरा उठाने के लिये तैयार है कि सारी जमीन को नेशनलाइज कर दे ? कैपिटलिस्ट क्या है ? पूंजी के क्या माने हैं ? एक रुपया भी पूंजी है और १ करोड़ भी पूंजी है। पूंजी से पूंजी पैदा करना ही कैपिटलिज्म है। अगर कोई किसान २ बीघे जमीन देता है तो वह भी शोषण है और करोड़पति का भी शोषण है। इसलिये कि जनतन्त्र है, वोट लेने के लिये जाना है तो किस प्रकार कोई दल इस बात का साहस करेगा कि वह कहे कि नेशनलाइजेशन आफ दि लैंड। हम सब चीजों को नेशनलाइज करें। आज यह कोई कहने का साहस नहीं करता। यह स्लोगन की दुनिया है। कहा जाता है कि उत्पादन हमारा गिरता जाता है किन्तु क्या कभी किसी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बतलाया कि क्रान्ति उस वक्त तक नहीं आयेगी जब तक यहां पर मुल्क में मैकेनाइज्ड फार्म नहीं होंगे। मैं इस बात को मानता हूं और मुझे इसको मानने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं, उनमें कृषि सहकारी समितियां बहुत कुछ विफल रही हैं। मुझे यह मानने में जरा भी संकोच नहीं है। उसका कारण क्या है ? उसका कारण यही हैकि जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण में हमको अपने खेतों से मोह है। सार्वजनिक संस्था को चलाने के लिये, नेशनलाइज्ड संस्थाओं को चलाने के लिये जिस प्रकार का चरित्र चाहिये, जिस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिये उसका समाज में

[श्री बनारसीदास]

अभाव है। क्या कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये हमने कोशिश की ? यदि हम और आप, कम्युनिस्ट, समाजवादी मिलकर इस बात की कोशिश करते कि सहकारी कृषि सफल हो तो क्या गवर्नमेंट रास्ते में आती है ? यदि हम अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी खेती की सफलता के लिये प्रयत्न करें और उसको पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश करें तो मैं यह घोषणा करता हूं कि सरकार की तरफ से जो भी सहायता हो सकती है वह सहायता उनको मिलेगी। आप सब इसमें कदम उठायें तो सरकार जो भी सम्भव होगा मदद देगी। मैं यह आश्वासन देता हूं कि जो सहायता हो सकती है वह मैं अवश्य देने के लिये तैयार हूं। नहीं तो मैं सदन के सामने अपना दोष मान लूंगा ? तो क्या कोई योजना बनी ? क्या कोई इस प्रकार की कोशिश की गई ? क्या कोई कदम कोआपरेटिव फार्मिग के लिये उठाया गया ? यहां अक्सर कहा जाता है कि हम लोग तो यहां पर माइनारिटी का वोट लेकर आये हैं। यह अपोजीशन तो मैजारिटी का वोट लेकर आया है.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग बनाने का सवाल है, हम लोग तो कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाते हैं लेकिन उसको सहायता नहीं मिलती है। सरकारी पक्ष वाले यदि फर्जी कोआपरेटिव फार्मिंग भी बना लेते हैं, तो उनको सहायता मिल जाती है ?

श्री बनारसीदास--

यदि मैं काशीनाथ जी की बात शिकायत के रूप में सही मान भी लूं तो यह कहता हूं कि यदि ऐसा होगा तो उसका सुधार किया जायगा। हरिनाथ जी तिवारी को तो कोई शिकायत नहीं हो सकती है क्योंकि वह तो कोआपरेटिव के उसूलन विरोधी हैं। वह तो इसमें यकीन ही नहीं रखते हैं। वह तो इन सोसाइटीज का संगठन ही नहीं कर सकते हैं। जब कोआपरेटिव फार्मिग का कानून मौजूद है तो कोआपरेटिव फार्मिंग आप लोग लायें और कोशिश करें लेकिन मेरा यह यकीन है और संसार का यह अनुभव बतलाता है कि कोआपरेटिव फार्मिग केवल कानून के द्वारा नहीं लाई जा सकती है। जो योजनायें चली हैं, वह स्वयं उनकी सिंसियरिटी, उनके दल के कार्यक्रम, उनकी नीति और उनके विश्वास पर वह चली हैं। वह एक प्रणाली है। मैं बहस के लिये मान लेता हूं कि काशीनाथ जी जो यह बात कह रहे हैं कि कोआपरेटिव फार्मिग की सोसाइटीज में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यह सही है तो क्या कोई भी आन्दोलन, कोई भी संस्था बिना गवर्नमेन्ट की मदद के नहीं चल सकती है ? काशीनाथ जी अगर सही कहते हैं कि हमारी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और यदि उनका यकीन कोआपरेटिव फार्मिग में है तो क्या कोआपरेटिव फार्मिग गवर्नमेन्ट की बिना सहातया के कामयाब नहीं हो सकती है ?

श्री उग्रसेन--

आप के कायदे कानून इतने जकड़े हुए हैं कि वे सफल नहीं हो सकतीं।

श्री बनारसी दास--

जरा हमारी बात भी तो सुन लीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

एक प्रमाण आप मुझे बतला दें कि जहां गैरसरकारी तरीके से कोआपरेटिव सोसाइटी बनी हो और वह चल रही हो।

श्री बनारसीदास--

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक वैज्ञानिक जो होता है वह अपनी लैबोरेटरी में परीक्षण करता है और जब उसमें सफल हो जाता है तो उस पर अमल तमाम जगह होता है।

राजनीतिक पार्टियां अपनी लेबोरटरी में, एक दो, चार गांवों में परीक्षा करें और उसके बाद सरकार को रास्ता बतलावें कि यह हमारी प्रयोगशाला का एक्सपेरीमेंट है। हम तो प्रतिक्रियावादी हैं, हम आबादी से चल कर जयपुर तक समाजवाद नहीं ला पाये और इधर-उधर की इस तरह की चर्चा करना ठीक नहीं है। आज का सब से बड़ा प्रश्न यह है कि उत्पादन किस तरह बढ़े। मिक्स्ड इकानामी बड़ा गहन विषय है। चाहे वह टाटा हो अथवा बिड़ला, और चाहे काशीनाथ जी और उग्रसेन जी मुझे कैपिटलिस्टों का एजेन्ट ही क्यों न कहें, लेकिन अगर मैं बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में बड़े कारखाने स्थापित कराने में सफल हो सका तो अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरे ऊपर बहुत से लोगों की मेहरबानी भी है। जो यूनियन्स में काम करते हैं वे मेरे ऊपर मेहरबान हैं। रिहन्द के इलाके में अल्मूनियम फैक्ट्री खोली गयी, जितना भी कैपिटल उसमें लगा हो, लेकिन आप देखिये कि उससे कितने मजदूरों को लाभ हुआ।

श्री झारखण्डेराय—

समाजवादी सिद्धांत और टाटा, बिड़ला के बढ़ावे से क्या संबंध है यह मंत्री जी जरा बतला दें।

श्री बनारसीदास—

मैं आप से अर्ज करूं कि माननीय झारखंडे राय जी बड़े विद्वान हैं, गंभीर हैं, सोवियत रूस का वे अध्ययन करें। १९२४ में लेनिन ने कहा कि हम अपनी इकोनामिक पालिसी रिवाइज करेंगे। वह व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होता है जो जड़ हो जाता है। नदी के प्रवाह की तरह से अपने को परिस्थितियों के अनुसार बदलते हुए व्यक्ति को चलना चाहिये। वही व्यक्ति क्रान्तिकारी होता है। हमारा ध्येय मजहब समाजवाद नहीं, हमारा मजहब है गरीबी को मिटाना, उत्पादन को बढ़ाना। यदि समाजवाद द्वारा हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें तो इसके लिये हमें जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिये। लेनिन ने ऐसा ही लिखा है। आप उस झगड़े में न पड़ें कि यह प्राइवेट सेक्टर में करना चाहिये, यह पब्लिक सेक्टर में करना चाहिये एक तरफ आप आलोचना करते हैं पब्लिक सेक्टर की और दूसरी तरफ टाटा-बिड़ला की बात नहीं करना चाहिये। तो यह बीच की मंजिलें होती हैं। तो श्रीमन्, बिना किसी संकोच के मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस एक व्यावहारिक पार्टी है....

श्री उग्रसेन—

सेंट्रल हाल में इनका और हमारा एक सेमीनार हो तब ठीक हो।

श्री बनारसीदास—

हम एक व्यावहारिक, प्रैक्टिकल सोशलिस्ट हैं और वह हैं डागमैटिक सोशलिस्ट। तो उनकी बुद्धि बैफिल हो जाती है कुछ फारमूला किताबों में पढ़ कर के जबकि वह यह देखते हैं कि यहां की आबोहवा में गन्ना नहीं पैदा हो सकता है लेकिन फारमूला में लिखा है कि पैदा करो। यहां फर्ज कीजिये कि आम पैदा नहीं हो सकता है और किताब में लिखा है कि हो सकता है तो कहेंगे कि पैदा करो। हम व्यावहारिक समाजवादी हैं। हम चाहते हैं कि पहले पैदावार बढ़े। श्रीमन्, जिस प्रकार कुछ दलों का कहना हैकि "एंड विल जस्टिफाई दि मीन", "प्रोलीटेरियट डिक्टेटरशिप"। प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप तो एक ट्रांजीशनल पीरियड के लिये है और प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप वह मार्ग है, जिस पर चल करके सही मानों में जनता की डिमाक्रैसी कायम होगी। इसी प्रकार हम जो व्यावहारिक समाजवादी हैं, हमारा यकीन है कि आज की मौजूदा जरूरत यह है कि भूख इंतजार नहीं कर सकती, सिर्फ समाजवाद का विचार लोगों के पेट को नहीं भर सकता है। इसलिये जैसे कि प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप उनके लिये एक बीच का रास्ता है, उसी तरह से उग्रसेन जी, मिक्स्ड इकोनामी भी हमारे लिये अनिवार्य है। इसलिये इन नारों को बार-बार दोहराना और समाजवाद की बातें करना डागमैटिक किताबों के पन्ने फाड़ करके अलग करना है। जिस तरह से एक क्षय रोग

[श्री बनारसीदास]

के रोगी के लिये किसी दूसरे आदमी की चूपाई हुई, धूप काम नहीं कर सकती, उसको स्वयं धूप का सेवन करना पड़ेगा, इसी तरह से समाजवाद लाने के लिये दुनियां में किसी प्रोफेट को आजतक यह श्रेय नहीं मिला और न कोई वही नाजिल हुई। हमें अपना समाजवाद स्वयं विकसित करना होगा, उसका रंग-रूप भारतीय होगा, संस्कृति भारतीय होगी। अगर कोई समाजवाद ला सकता है तो वह कांग्रेस ला सकती है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी को सुना तो मुझे लखनऊ का वह जमाना याद आ गया जब मैं भी स्कूल में पढ़ा करता था। यहां लखनऊ में दो बड़े शायर हुए हैं, मीर अनीस और मिर्जा दबीर। उन्होंने मरसिया और रंजोगम की नजमें लिखने में बड़ी शोहरत हासिल की और उनके नाम से दबीर ऐकाडमी और अनीस ऐकाडमी यहां कायम हैं। मुझे भी कुछ ऐसा मालूम हुआ कि यह जो बजट भाषण है, इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मंत्री जी चूंकि एजूकेशन के भी मिनिस्टर हैं और उनके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि उन्होंने बड़ी काबलियत के साथ इसको लिटरेरी फार्म दिया लेकिन एक तरह से वह मर्सिया ही है। जाहिर है कि तीन प्लान्स पर इतना खर्चा करने के बाद भी हम इतना नाकामयाब रहे कि न खाने की चीजें पूरी कर सके, न इंडस्ट्रीज में कोई तरक्की कर सके। इसके अन्दर फीगर्स का जहां तक ताल्लुक है बहुत कुछ शामिल किया गया है। इसको देखने से पता चलता है कि इसके अन्दर खरीफ का प्रोडक्शन सन् १९६५–६६ में ४८.६२ लाख टन हुआ, जब कि ६४–६५ में ५९.४२ लाख टन था। उसकी जिम्मेदारी डाल दी गयी है कि मौसम खराब रहा, सूखा पड़ गया इसलिये इतनी पैदावार घट गयी। और बड़े फख्र के साथ उन्होंने इसमें यह लिखा है कि दूसरे मुल्कों से गेहूं मंगा कर हमने इतनी जानें बचायीं। अमेरिका से गेहूं मंगाया और दूसरे देशों से गेहूं मंगाया और इसमें यह भी लिखा है कि आगे आने वाली जो फसल है उसकी भी अच्छी हालत नहीं मालूम होती। इनकी यह स्थिति है कि जहां इन्होंने यह दिखलाया है कि हमने क्या-क्या किया है, वहां तो बड़ी लम्बी चौड़ी फीगर दे दी है कि हम १८ करोड़ रुपया माइनर इर्रीगेशन के लिये खर्च कर रहे हैं, ५ करोड़ रुपया ट्यूबवेल्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ५०० ट्यूबवेल्स बनायेंगे, १७ हजार मैसिनरी वेल्स बनायेंगे, ४० हजार बोरिंग करेंगे, २० हजार पम्पिंग सेट्स लगायेंगे यानी ये सारी चीजें कर देने के बाद हम अन्न के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जायेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कहा गया है कि ट्यूबवेल्स के मामले को सही करने के लिये ३० लाख रुपये खर्च करके हमने उसका एक अलग डाइरेक्टरेट कायम किया है जिससे सारे ट्यूबवेल्स डिपार्टमेन्ट का ओवरहालिंग होकर उसे ठीक कर सकेंगे। ये सारी चीजें इसके अन्दर लिखी हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या फीगर्स लिख देने से मसले हल हो जाते हैं?

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह पहला बजट है जिसके अन्दर हमने अपना टार्गेट पूरा कर लिया। ठीक है, फीगर्स से टार्गेट पूरा हो गया है लेकिन क्या सही तरीके से मैदान में टार्गेट को पूरा करने की बात भी कभी आपने गम्भीरता से सोची है? इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। खाने की समस्या सबसे बड़ी है और इसकी अहमियत पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बजट में प्रोडक्शन के लिये पहले से बहुत ज्यादा रकम रखी गयी है, लेकिन उसको अमली तरीके से आप पूरा कर सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर मैं ज्यादा तफसील में इसलिये नहीं जाऊंगा कि वक्त थोड़ा है। लेकिन, एक दो मिसाल दूंगा जिससे मालूम हो सकेगा कि अगर यही हालत रही तो कैसे हमारा प्रोडक्शन आगे बढ़ सकेगा। मिसाल के तौर पर सब जानते हैं कि हर साल ईख की पेड़ी से जो जमीन खाली होती है, आमतौर से उस इलाके के अन्दर वेल इर.गेटेड और वेल डेप्लप्ड होते हैं, अच्छी स्थिति के जो काश्तकार हैं, उस खाली जमीन में गेंहूं, चना या मटर बोते हैं। अभी सरकार ने एक आर्डर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि २५ नवम्बर के पहले प्राइवेट क्रशर का प्राइवेट पावर क्रशर नहीं चलाया जा सकता। इसके लिये लिखा गया और कह गया कि इस प्रतिबन्ध के लागू होने से हजार एकड़ जमीन बोने से वंचित रह जायेगी जिसे किसान खाली होने पर पानी तथा अन्य साधनों का इस्तेमाल करके उसमें गेंहूं, मटर या चने की फसल बो लेता था। इसके म ने तो यह है कि जब किसानों को अपना गन्ना पहले पेरने की इजाजत नहीं मिलेगी तो २५ नवम्बर तक उनके खेत खाली नहीं हो सकेंगे, जिससे हजारों एकड़ जमीन फसल बोने से वंचित रह जायेगी और इस तरह से अन्न का शार्टेज हो जायेगा। असल में सरकार का यह आर्डर इन दि इन्टरेस्ट आफ गन्ना मिल मालिक है ताकि उनकी मिलों के लिये गन्ने की कमी न पड़े। इस तरह से यह इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट की फायदे की बात की गयी है जिसका नतीजा यह होगा कि हजारों एकड़ जमीन गेहूं, मटर और चने की फसल बोने से वंचित रह जायेगी और प्रदेश की हजारों टन फसल का नुकसान हो जायगा।

अब आप इर्रीगेशन की फीगर्स को देखें। १९०६ में १०६ लाख एकड़ भूमि में पानी पहुंचता था। १९६३ में १३० लाख एकड़ भूमि में पानी पहुंचता था। उस वक्त कोई फर्टीलाइजर नहीं दिया जाता था, आज १४३ लाख टन कैमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता है, फिर भी श्रीमन्, पैदावार की क्या हालत है उसे देखने की जरुरत है? औसत पैदावर फी एकड़ १९०६ में ११.८ मन थी। आज वह घटकर ७.२ मन फी एकड़ रह गयी है। चावल की पैदावर पहले ११.७ मन फी एकड़ थी, वह अब घट कर ५.३ रह गयी है। लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी हमारी पैदावार फी एकड़ घटती गयी है, बढ़ी नहीं है। होता क्या है? फील्ड पर जाकर तो देखा नहीं जाता, जो फीगर्स बनाकर रख दिये जाते हैं उसी पर यह सरकार भरोसा कर लेती है। आप यह नहीं देखते कि जिस काम के लिये जो कुछ आप खर्च कर रहे हैं वह सही-सही खर्च भी हो रहा है या नहीं, या उसका वेस्टेज हो रहा है। आपने कहा बागात लगाओ, मछली पालो, मुर्गी पालो, उसके लिये आपने करोड़ों रुपया भी दिया, मगर यह नहीं देखा कि लोगों ने उस रुपये का सही इस्तेम ल भी किया या नहीं। मैंने स्वयं सहारनपुर से आम के पेड़ लिये। मैंने वहां अधिकारियों से कहा कि यह सरवाइव नहीं होंगे। उन्होंने कहा यक उसके लिये हम जिम्मेवार हैं। एक महीने में ४०० पेड़ सूख गये। मैंने फिर डाइरेक्टर को पत्र लिखा। उन्होंने जवाब दिया कि अगर ४८ घंटे के अन्दर आप हमें लिख देते तो हम उनको रिप्लेस कर देते। उनका पत्र मेरे पास मौजूद है। अब आप ही बताइये, मैं सरकार से भी पूछता हूं, वह कौन सी साइन्स है, जिसके जरिये से कोई किसान यह पता लगा सकता है कि अमुक पेड़ ४८ घंटे में सूख जायगा या नहीं सूखेगा।

माननीय गेंदासिंह जी ने, श्रीमन्, लिख कर भेज दिया कि जहां भी पानी हो, खरीफ की फसल के लिये तुरन्त पानी दिया जाय। सरकार ने आर्डर कर दिये। लेकिन यह नहीं देखा जाता कि उनके आदेशों का पालन हुआ भी या नहीं। लाखों एकड़ खरीफ की फसल सूख गयी और पानी नहीं मिला। एक बी० डी० ओ० ने मुझे यह लिखा कि अफसोस के साथ में यह लिखता हूं कि आपका काम परा नहीं हो सका क्योंकि मुझे वी० एल० डब्लू० नहीं मिला। तो यह तो हालत है आपके अधिकारियों की। फिर किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ सकता है।

हमारे यहां जिला परिषद् में एक कमेटी बनी हुई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके डिप्टी चेयरमैन हैं, जगदीश प्रसाद जी उसके चेयरमैन हैं। उन्हें ने कुछ फीगर्स दीं और बतलाया कि ६४७ कुंवों में से केवल ६ कुवें फेल हैं। और बतलाया कि इतना एरिया सिंचाई का बढ़ गया आदि। मैंने उनसे प्रश्न किया और उनको बतलाया कि मैंने ६–७ कुवें स्वयं देखे हैं—१०६ नम्बर का जो कुवां था वहां ३२ बीघा, ४२ नम्बर पर केवल ४० प्रतिशत एरिया सिंचित होगा। ४१ में केवल ३५ परसेन्ट, ६६ में ३० परसेन्ट, ४३ में ३० परसेन्ट और ७९ में तो खराब ही पड़ा है। ७–८ और ९ का सर्वे नहीं था। मैंने कहा कि अगर शक है तो मेरे सा (चलिये। कहने लगे कि इसमें कोई शक नहीं है। नतीजा यह है कि जो तजुर्बा इस तरह से आता है वह यह बतलाता है कि ३०–३५ परसेन्ट से ज्यादा एरिया हम इर्रीगेट नहीं कर सकते। आप फिगर्स बता रहे हैं कि हम पिछले साल अब ज्यादा कर देंगे। बहुत फख्र के साथी हमारी चीफ मिनिस्टर ने लिखा

[श्री रियासत हुसैन]

है कि हमने पचास ट्यूबवेल्स आपरेटर्स को डिसमिस कर दिया है इसलिये कि इर्रीगेशन पोटेन्शियल इस्तेमाल नहीं हुआ। श्रीमन्, मुझे समय ज्यादा दीजिये क्योंकि मेरी पार्टी के लीडर नहीं बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट और जोड़ दीजिये।

श्री रियासत हुसैन—

आपने पचास ट्यूबवेल आपरेटर्स डिसमिस कर दिये। आपरेटर्स बदनाम हैं रिश्वत लेने के लिये। लेकिन वे भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि पानी ज्यादा दिया जाय ताकि उसे भी इससे ज्यादा पैसा मिले। लेकिन आपके कुएं बन्द रहते हैं टैक्निकल और मैकेनिकल फाल्टस के ऊपर। परसों ही मुझे जवाब मिला है कि ६४५ कुओं में से १४५ कुयें टैक्नीकल और मेकेनिकल फाल्टस की वजह से नवम्बर–दिसम्बर में बन्द रहे। आप बतायें कि आपका जो डायरेक्टोरेट है उसने तो आर्डर दे दिया कि आपरेटर्स को बीस मील से दूर भेजें लेकिन टैक्निकल और मैकेनिकल स्टाफ जिनकी वजह से कुयें बन्द रहते हैं या जिनको एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स नहीं देखते उन सब के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? यह आपका जो डायरेक्टोरेट है जिसकी बड़ी दोहाई दी गई है कि हमने डायरेक्टोरेट बना दिया है और वह डायरेक्टोरेट सब मामले को ठीक कर देगा। उस डायरेक्टोरेट ने एक चिट्ठी तारीख ४ सितम्बर को जारी की है और उस चिट्ठी में यह कहा है कि आपरेटर्स को दूसरे जिलों में भी भेजा जा सकता है। हैडिंग तो लिख दिया पर चिट्ठी में डिटेल नहीं लिखी कि आपरेटर किन-किन जिलों में भेजा जायेगा। मैंने कन्फर्म किया तो यह पता चला कि यह कान्फिडेन्सियल बात है। जो पुराने-पुराने आपरेटर्स हैं, जो घाघ हो गये हैं, उनको चार्ज शीट करने की काबलियत नहीं है। हम उनको चार्जशीट करके नैग्लीजेन्स आव ड्यूटी में निकालते हैं। यह हमने उनके हैरेसमेंट के लिये रखा है कि पश्चिम वाले को बलिया या आजमगढ़ और आजमगढ़ से बुलन्दशहर भेज दिया जाय ताकि वह परेशान हो और इस तरह वह खुद ही भाग जायेगा। यह उस डायरेक्टरेट की चिट्ठी है जिसके योग साहब डायरेक्टर बनाये गये हैं और जिन्हें बनाकर सरकार समझती है कि सारे मामले का ओवरहालिंग हो जावेगा।

अब मैं ला एन्ड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज क्या हालत है ला एन्ड आर्डर की? कानपुर में फायरिंग हुआ, बनारस और लखनऊ में हुआ, अभी आगरा में एक मैरेज पार्टी लुटी, १६ आदमियों का अभी हाल ही में कत्ल हुआ है। बनारसीदास जी को मुरादाबाद में रोक दिया गया, बस लूट ली गई, सीतापुर का केस हुआ। यह सारी चीजें क्यों हैं? इसलिये कि आप चाहते हैं कि पुलिस का डंडा चलता रहे। जब कमीशन के मुताबिक यह तय हुआ कि फोरेन्सिक लैबोरेटरी कायम की जाय क्राईम डिटेक्शन के लिये, उसमें जितना भी पुलिस स्टाफ हो, अगर साइन्टिफिक तरीके से उसमें क्राईम डिटेक्शन की बात चलेगी तो हम लोगों की मिट्टी पलीद हो जावेगी। नतीजा क्या हुआ? जब मैंने सवाल पूछा तो कहा गया कि चल रहा है। जब सप्लीमेन्टरी पूछा तो कहा कि डायरेक्टर कायम कर दिया गया है। उनके जरिये से डायरेक्टर का पत्ता साफ हो गया है। सिर्फ एक साइन्टिफिक सेक्शन कायम कर दिया। दो–दो साल लगते हैं मुकदमों के जाने में और उसका नतीजा यह है कि डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट्स में जाते हैं तो तारीखों पर तरीखें लगती हैं। ये सारी चीजें हैं ला एन्ड आर्डर, प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यह तो किसान को आप राहत दे रहे हैं और किसान के ऊपर आपने सवाया लगान लगा दिया है। मैं आपसे साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि अगर आपने इसको नहीं हटाया तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यह ऐलान करती है कि इस सवाये को खत्म करने के लिये उसको चाहे कितना ही ऐजीटेशन करना पड़े, वह किया जायगा और लड़ा जायगा।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने पढ़ा, यह बजट एक प्रगतिशील बजट है। बजट के सदन में रखे जाते ही समाचार पत्रों में विरोधीदलों की जो प्रतिक्रिया हुई उसमें भी बजट के खिलाफ कोई खास बात नहीं कही जा सकी। केवल यह कहा गया कि पुराना बजट है, आशाप्रद बजट नहीं है। माननीय झारखंडे राय जी जो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि इसमें कोई कर नहीं लगाया गया है, यह जनता की जीत है। पिछले १४ वर्षों से मैंने उत्तर प्रदेश के बजटों को देखा है, इस बार सबसे कम घाटा उसमें दिखाया गया है, केवल ३१ लाख रुपये का। किसी भी देश या प्रदेश की प्रगतिशीलता की द्योतक यही चीज होती है कि उसकी आमदनी बढ़ती जाय और वह इतनी हो जाय कि उसका व्यय पूरा हो जाय। आज हमारे बजट का घाटा १०, ११, १५ करोड़ से घटकर ३१ लाख तक आ गया है। एक वर्ष अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि वहां पर कुछ टैक्सेज घटाये गये हैं। मैंने सोचा कि क्या हमारे देश व प्रदेश में भी वह दिन आयेगा जब हम यह कहें कि यह टैक्स कम किये गये। ११ करोड़ से घट कर घाटे का ३१ लाख तक आ जाना उस दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। इन मानों में यह बजट प्रगतिशील है। पिछले साल के बजट के पेश होने के बाद और इस साल के बजट के पेश होने के पहले बीच में एक संकट आ गया—पाकिस्तान से लड़ाई। तमाम देश जानता है कि किस बहादुरी के साथ कांग्रेस की सरकार ने उसका मुकाबला किया। इसके लिये वह हमारी बधाई के पात्र हैं। इस बारे में हमारा प्रदेश पिछड़ा नहीं रहा। हमें गौरव है कि हमारे यहां के हताहतों की संख्या एक से अधिक है और परमवीर चक्र पाने वालों की संख्या भी कम नहीं है।

इस वर्ष हमारे यहां कुंभ मेला भी हुआ। पिछली बार कुंभ के मेले में हजारों आदमी मारे गये थे। उसका संचालन मुश्किल हो गया था लेकिन इस कुंभ मेले में कहीं से यह भी खबर नहीं आई कि किसी आदमी को कोई चोट भी लगी हो। इसके लिये भी यह सरकार बधाई की पात्र है।

विरोधीदलों की ओर से खाद्यान्न की समस्या के बारे में कहा गया। इसी सदन में स्वतंत्र रूप से इस पर कई बार विचार हो चुका है। लेकिन यह ठीक है, जैसा कि नेकराम जी ने कहा कि अब भी हम बहुत सा गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से १२० करोड़ रुपये का अनाज मंगाया। लेकिन देखना यह है कि जो यह सरकार कर सकती थी वह उसने किया या नहीं। बजट को देखने से यह साफ मालूम पड़ता है कि सरकार ने उसके लिये जो कुछ कर सकती थी वह किया है। पहली चीज सिंचित क्षेत्र है। देश में समूचा सिंचित क्षेत्र ५०–५१ में ५१.५ मिलियन एकड़ था जो ६०–६१ में ७० मिलियन एकड़ हो गया यानी ३६ प्रतिशत बढ़ा जब कि उत्तर प्रदेश में ५०–५१ में ७३ लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र था जो ६०–६१ में ११८.२३ लाख एकड़ हो गया यानी ६४ प्रतिशत बढ़ा। इस तरह से हम अखिल भारतीय प्रगति के मुकाबले में भी आगे बढ़े हैं। सिंचित क्षेत्र में ६५–६६ में ९० मिलियन एकड़ रहा और इस तरह से २९ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई पूरे भारत में और हमारे प्रदेश में १७३.३० लाख एकड़ रहा यानी ६० प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। जहां तक सिंचाई क्षेत्र का संबंध है इस बजट साहित्य में दिया है कि वह १५ लाख एकड़ से बढ़कर २० लाख एकड़ हो गया। १९६५ में नलकूप १९० लाख घंटे चालू रहे, जब कि इसी अवधि में पिछले साल वे लगभग १२० लाख घंटे ही चालू थे। इस तरह से हम ने बराबर प्रगति की है। हमारे सूबे में कृषि में भूमि लगभग ६२–६३ प्रतिशत पहुंच गई है और हम ने भारतीय स्तर के मुकाबले में ज्यादा जमीन रिक्लेम की है। हम चाहते हैं कि यहां जो वाद विवाद हो वह आंकड़ों की वास्तविकता को देखते हुये हो। सन् ६४–६५ में जो हमारे यहां पैदावार हुई उतनी कभी नहीं हुई १४९ लाख टन कभी नहीं हुई। इधर दो तीन साल से जरूर फसल खराब हुई लेकिन सब जानते हैं कि सन् ६२–६३, ६३–६४ में वर्षा बहुत कम हुई कुदरत का मुकबला कुछ समय बाद ही किया जा सकता है।

अभी हमारे रियायत भाई कह रहे थे कि मैं और वह तुमडिया डैम पर कमेटी के साथ गये थे। जो कुछ वह कह रहे थे सही था कि जो हिसाब उन्होंने लगाया कि "इतना पानी वह हो

[श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)]

उतना कभी वहां होगा नहीं।". लेकिन जितना हो सकता था वह भी वहां नहीं हुआ, डैम खाली पड़ा है। अगर पानी गंगा और जमुना में ही कम होगा, नदियों में नहीं होगा तो फिर वह कैसे आयेगा और कहां से सिंचाई होगी ? हमारे सूबे की स्थिति वास्तव में यही हो रही है। तीन साल बिना बारिश के गुजर गये और ५-६ साल अगर और ऐसे गुजर गये तो न जाने क्या परिस्थिति होगी ?

एक और बात है जो पैदा करने की थी और वह भी आपके सामने आई है, रियासत भाई साहब कह रहे थे कि कोसी और तुमड़िया योजना को मिलाया जाय, उससे वास्तव में लाभ होगा और अधिक पैदा हो सकेगा। इंजीनियरों की भी यही राय है। एक बात और पैदा करने की थी और वह यह कि सरकार भावना पैदा कर सकती थी। हम देखते हैं कि ब्लाक्स की बैठकों में, पब्लिक मीटिंगों में और किसानों के साथ मिलकर कि अब उनमें अधिक पैदा करने की भावना जगी है, हर किसान खाद पानी लगाने की कोशिश करता है। जब यह भावना पैदा हुई है और पानी खाद की सुविधा होगी तो अवश्य ही पैदावार बढ़ेगी। इसमें हमें कुछ धैर्य और परिश्रम से काम लेना चाहिये और कोई इसका इलाज नहीं है।

माननीय वित्त उपमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, केवल दो, तीन बात मैं और कहना चाहता हूं। हम बराबर प्रगति कर रहे हैं और योजनाओं में भी हम पीछे नहीं हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। एक बात मैं अवश्य आप के सामने रखूंगा कि जहां तक हमारी आर्थिक नीति का संबंध है हम एक चक्रव्यूह में फंस गये हैं कि जिससे हमें निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। हर साल कर की बात कही जाती है और होता यह है कि कर लगाइये और विभाग बढ़ाते जाइये और काम दीजिये, विभाग बढ़ाइये और कर लगाइये, एक विशस सरकिल बना हुआ है। सन् ३७-३८ में यहां की राजस्व आय १२,५४,०७,२२४ रुपये थी और व्यय था १२,६६,७४,७५३ रुपया और वह ४७-४८ में ४०,१३,२०,४०० रुपया थी और खर्च था ४०,६०,४६,५०० रुपया और यह फिगर आज हमारे सामने करीब ३ अरब तक पहुंच गयी है। इस तरह से यह बजट बढ़ता जाता है। हमें देखना होगा कि जो प्रगति हुई है वह क्या इतने ही अनुपात में हुई है जितना कि व्यय बढ़ा है। वह प्रगति क्या इसके अनुपात में हुई है ? श्रीमन्, इस समय हमारा बजट ३ अरब का है जबकि कुछ वर्ष पहले यह केवल १२ करोड़ का ही था। तो हमें इस बात को सोचना होगा और मैं नहीं समझता हूं कि यह बात असम्भव नहीं है।

एक बात मुझे प्रशासन के संबंध में कहनी है। हमारी पोलिसी बनती है परन्तु उसका संचालन सफल नहीं हो पाता है। उन्हीं कामों पर टिप्पणी होने लगती है। कहा जाता है कि आज ब्यूरोक्रेसी हावी है, अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन मेरी संतुष्टि इतना कह देने में नहीं होती। मैं कहता हूं कि वे अधिकारी भी तो हमीं में से हैं। मेरा ही एक भतीजा आई० ए० एस० है और भानजा एक इन्जीनियर हैं। मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि और सब बेईमान हैं और वे ही केवल ईमानदार हैं। ये हमारे भाई भतीजे और भानजे आदि हैं परन्तु संचालन ठीक नहीं होता। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्रिगण संतुष्ट हैं और अगर नहीं तो हमें कोई तरीका सोचना होगा कि हमारी योजनायें जो पूरी नहीं होती हैं तो वे किस लिये नहीं होती हैं। क्या हमारे मुख्य मंत्री और हमारी कांग्रेस सरकार इस बात से संतुष्ट है कि प्रशासन का संचालन जिस तरीके का होना चाहिए वह हो रहा है। इसमें मैं समझता हूं कि अच्छे से अच्छा सुधार हो सकता है। यदि आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं तो हमें बतायें कि आप इसके लिये क्या कर रहे हैं ? तो तब हमें सोचना होगा कि क्या इसका इलाज किया जाय ? श्रीमन्, मैं जब नैनी जेल में था तो उस समय एक दिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वहां पर हमारे पास आ बैठे। वे एक बड़े अजीब आदमी थे। वे कहने लगे कि आजादी प्राप्त हो जाने के बाद कोई मुल्क, जिसमें लम्बी गुलामी रही हो, साधारणतया १५-२० साल में दूसरे देशों के बराबर आया करते हैं और हमारा देश तो एशिया में ११ नम्बर पर है। कभी कभी जब मैं सोचता हूं तो दिल में आता है कि अब तो

१९ वर्ष हो गये हैं, लेकिन जितना सुधार हो सकता था हमारे प्रशासन में, हमारी अर्थ नीति में, उतना नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है, वह है न्याय पालिका के संबंध में मैं यह नहीं कहता हूं कि उसने रिश्वत ले ली, इसने रिश्वत ले ली। मेरा यह अटल विश्वास है और मेरा कन्विक्शन हो गया है कि किसी देश का प्रशासन भी न्यायपालिका के अनुसार ही चलता है। यदि आज अदालतों का ठीक तरह से संचालन होता है तो उतना ही हमारा प्रशासन भी अच्छा होता है। मैं किसी अफसर जज (जुडिशियल) के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि वे मुझ से कम इमानदार नहीं हैं और जैसा मैं देशभक्त हूं वैसे ही वे भी देशभक्त हैं लेकिन अगर वे ईमानदारी से काम करें तो पुलिस भी ठीक हो जायगी और एक साधराण नागरिक को न्याय भी मिल सकेगा। एक आदमी अगर वह कभी झूट न भी बोलता हो तो उसे एक छोटा सा मुकदमा लगा दीजिये वह झूठ बोलने के लिये मजबूर होगा। आज का न्याय इस बात पर आधारित नहीं है कि किसने पाप किया है या किसने पाप नहीं किया है। एक जगह अगर एक आदमी का कत्ल हो गया और एक जज ने उसे कत्ल होते देखा है तो वह उस मुकदमे में फैसला नहीं कर सकता है। उसे गवाही में जाना होगा इसके लिये एक दूसरा जज होगा और वह ही फैसला दे सकेगा। और उसे अधिकार होगा कि वह उस जज की गवाही को माने या न माने। तो आज का न्याय इस आधार पर आधारित रहता है कि किसने टैक्नीकलिटी को पूरा कर लिया है और किसने फाइल को पूरा कर लिया और जो व्यक्ति जितना चालाक होगा और मक्कार उतना ही वह इनको पूरा करने में सफल होगा। मैं कहता हूं और माननीय सदन के सदस्य इस से सहमत होंगे कि आज कचहरियों में सैकड़ों आदमी रोजाना इस काम को करते हैं कि रिश्वतें लें और दिलावें, झूठ बोलें और बुलवायें। एक प्रकार से हमारी कचहरियां, हर जिले में वह २-३ मील का रकबा एक क्रिमिनल कालेज का काम करता है मैं यह भी नही कहता कि वकील न रहें, आज के कामप्लीकेटेड ला में वकील रहें। लेकिन हम सोचें कि वहां आदमी जाता है मजबूर हो कर, और जो नहीं जाना चाहता उस को हथकड़ी पहन कर जाना पड़ता है, अगर हम सदाचार और नैतिकता सिखाने के लिये कोई मीटिंग बुलाते हैं तो आदमी आता है अपनी मरजी से, लेकिन वहां मजबूर हो कर आदमी जाता है। इसी प्रकार जो तहसील वगैरह उसके एसोशियेट कार्यालय हैं उन में भी आदमियों को झूठ बोलना और रिश्वत देना सिखाया जाता है और जब तक यह प्रथा रहेगी तब तक देश में इन्साफ हम नहीं ला सकते, भ्रष्टाचार को नहीं मिला सकते, घूस को नहीं मिटा सकते। अगर इन को मिटाना है तो आपको इन तीनों सिस्टम्स पर कुल्हाड़ी मारनी होगी।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, इस बजट पर दोनों तरफ के भाषण सुन कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से भी इस बजट की किन्हीं अंशों में प्रशंसा की गई। कहा गया कि कोई नया टैक्स नहीं लगा इसलिये यह अच्छा बजट कहा जा सकता है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या गलत है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नये कर नहीं लगे हैं लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इस बजट में जिसकी प्रगति और विकास की दुहाई दी गई है वह पूरी हो पायेगी। हम देख रहे हैं कि बजट आते और उन में जो विकास और प्रगति की बात होती है वह प्रेक्टिकल नहीं होती २९२ करोड़ के बजट में एक छोटा सा ब्लाट आ गया है जो मैं समझता हूं इस से पहले १७ तारीख को हमारी असेम्बली के सामने प्रदर्शन हुआ, करीब डेढ़ लाख व्यक्ति आगरा जिले के फिरोजाबाद नगर में रहते हैं वहां एक नया नोटिफिकेशन १ फरवरी को निकाला गया जिसके अनुसार वहां एक नया टैक्स सेल्स टैक्स का मल्टी प्वाइंट लगाया गया है। इस से पहले वहां चूड़ी बनती है वहां पर ७ परसेंट लिया जाता है और डेकोरेशन के लिये जो मैटीरियल आता उस पर भी ७ परसेंट लग गया और आज जो बेचते हैं तो उन पर भी ७ परसेंट का टैक्स लग गया। इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि वहां के मजदूरों ने एक हफ्ते से निरन्तर हड़ताल कर रखी है। आज श्रम मंत्री ने ३० हजार मजदूरों के लिये इस संबंध में एक बयान दिया। मेरे हिसाब से उन मजदूरों का ६ लाख रु० का नुकसान हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

गया। इस ७ पर्सेंट बढ़ाने से १० लाख रुपया सरकार को मिलेगा। चूड़ी उद्योग हमारे फिरोजाबाद में ६० वर्ष से है और बराबर तरक्की कर रहा है। इसके टक्कर की इंडस्ट्री भारत में और कहीं नहीं है। मैसूर, महाराष्ट्र, कलकत्ता और मध्य प्रदेश में इस उद्योग को पनपाने के लिये कोशिश की गई, वहां के राज्यों ने आफर किया, पूंजीपतियों ने प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हुये। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में उसी के मुकाबले की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मंत्री जी के अनुसार ३० हजार मजदूर इस में काम करते हैं, लेकिन मैं ६० हजार कहता हूं और उस संघर्ष में वहां यह नोटिस दिया गया है कि ६ मार्च, ६६ तक उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो वे ७ मार्च से स्ट्राइक करेंगे, जिसका असर डेढ़ लाख आदमियों पर तथा उनके आश्रितों पर पड़ेगा और जिससे वहां का अमन खतरे में पड़ जायगा और सारी मुसीबत का सामना हमको करना पड़ेगा।

जहां तक किसानों का ताल्लुक है, राज्यपाल महोदय ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश को गल्ले से भरपूर बनाना चाहती है। सिंचाई मंत्री ने प्रश्नोत्तर में बतलाया कि २० मेगावाट बिजली दिल्ली को दी गयी और शांतिप्रपन्न शर्मा जी से बिजली का विभाग छीन लिया गया है। मंत्री तथा उप मंत्री में झगड़ा चल रहा है। यह इर्रीगेशन की हालत है कि किसानों को ट्यूबवेल से पानी नहीं मिलता और सिंचाई की हालत दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है। सैकड़ों एकड़ जमीन बगैर पानी के पड़ी हुई है और उस पर खेती नहीं हो पाती है। जिस समाजवाद का नारा लगाते हुए बनारसीदास जी ने तांडव नृत्य किया मैं उनसे पूछूंगा कि कितने परसेंट किसान ऐसे हैं जो अधिक गल्ला उपजा कर राज्य सरकार से मदद पाते हैं। ३ परसेंट किसान ऐसे हैं जिनके पास ५०० एकड़ से अधिक जमीन है, १५ परसेंट किसान ऐसे हैं जिनके पास ५०० एकड़ जमीन है, २५ परसेंट ऐसे हैं जिनके पास ५०० एकड़ से कम है और ४३ परसेंट ऐसे हैं जिनको लैंडलेस लेबर कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा धीरे-धीरे बोलिये, लिखा जा रहा है। आपका छपेगा नहीं, तो फायदा क्या होगा ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

कास्ट आफ प्रोडक्शन का भार, लिविंग इंडेक्स का भार और चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उनका भार मजदूर तथा लैंडलेस लेबर पर पड़ता है जो कि ४३ प्रतिशत है। आपके पास १,६९,५९५ एकड़ जमीन परती पड़ी थी जो कि चकबन्दी के जरिये प्रदेश में छोड़ी गयी लेकिन सरकार यह नहीं बतला पाई कि कितनी जमीन उसने प्रदेश में लैंडलेस लेबर को दी ? नारा दिया जाता है समाजवाद का और टाटा, बिरला, सिंघानिया और जयपुरिया को जोड़ा जाता है और उन पर हाथ रखा जाता है। इस प्रदेश का ७५ फीसदी इंसान भूखा नंगा है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता है और उसे इस सरकार ने गुरबत की आग में झोंक दिया है और इस प्रकार मुट्ठी भर लोग समाजवाद का नारा लगा कर इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, यह स्थिति कब तक चलेगी ? मैं जानना चाहता हूं। आप जवाब दीजिये कि क्या आपके समाजवाद की परिभाषा यह होगी कि ७५ फीसदी आदमी पिछड़े रह आयें और उनकी तरक्की के लिये आप कुछ न कर सकें। आपके पैर दबाने के लिये नौकर मिलते रहें, चपरासी मिलते रहें, यही आपके समाजवाद की परिभाषा है। जब तक आप इस भावना को नहीं छोड़ देंगे तब तक आप कभी भी समाजवाद देश में नहीं ला सकते हैं। आज सिटीजन की जरूरत है, आज अच्छे नागरिक की जरूरत है, आज अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है और आपको अपनी अपनी भावना और विचारों को बदलने की जरूरत है और जब तक आप इनको नहीं बदलते तब तक समाजवाद बहुत दूर है। सिर्फ किताबों के पढ़ने से और नारे लगाने से समाजवाद नहीं आयेगा। वह तो गरीब की झोंपड़ी में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग समाजवाद की दुहाई देते हैं तो आपको सही रास्ता अपनाना चाहिये।

मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि आजकल हमारी नौकरशाही के ऊपर हमारे मंत्रिगण का कोई प्रभाव नहीं रह गया है । मैं आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य कमेटी ने सर्वसम्मति से डायरेक्टर महोदय के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया और उसको माननीया मुख्य मंत्री को दिया गया लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ । इसके अलावा स्वास्थ्य कमेटी ने यह कहा कि कुछ कागजात ब्यूरोकसी न दबा रख ह । लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं हुआ । जब हम लोगों के कागजात की और रिजोल्यूशन की इस सरकार के यहां यह हालत है तो आम जनता के साथ क्या हाल होगा, इसका माननीय सदन अन्दाज लगाये ।

मैंने माननीय वित्त मंत्री जयराम वर्मा जी को फीरोजाबाद की एक घटना के बारे में बताया था जो २४–८–६५ को हुई थी । उसको आज ६ महीने बीत गये हैं लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला । यह सरकार की गति है, यह हमारी समाजवादी सरकार की गति है जिसमें आप रोज नये नारे लगाते हैं । आपको जनता के ऊपर अपना विश्वास का म रखना चाहिये । माननीय बनारसीदास जी ने जैसा कहा कि वह ऐसा समाजवाद चाहते हैं, मानो यह एक मंजन है, उसको कोई किसी नाम से लेता है और कोई किसी नाम से लेता है । माननीय बनारसीदास जी जनसंघ का समाजवाद लाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र माननीय कैलाशप्रकाश जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अस्वस्थ्य रहते हुये भी एक बैलेंस्ड बजट सदन में उपस्थित किया है । किसी भी देश या प्रदेश के बजट में उस देश की तस्वीर होती है और मंत्रिगण या अधिकारी कितनी ही होशियारी से बजट क्यों न बनायें लेकिन जो देश की परिस्थिति होती है उसी के अनुसार बजट बनाया जाता है । उसमें यह देखना पड़ता है कि हमारी परिस्थितियों को सुधारने की दिशा में प्रयत्न किया गया है या नहीं । मैं कह सकता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस बजट में न हों लेकिन यह एक बैलेंस्ड बजट है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमें देखना यह चाहिये कि जो योजनायें बनती हैं उनका कार्यान्वयन कैसे होता है, किस रूप में वे परिणत की जाती हैं । बनाने को तो अच्छी से अच्छी चीज कागज पर बनाई जा सकती है और इसमें किसी का दोष नहीं हो सकता । हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जितनी तरक्की हो सकती थी वह नहीं हुई । जब तीन पंचवर्षीय योजनायें खत्म होने को आयीं, तब स्वर्गीय पंडित नेहरू ने देखा कि उनसे देश की राष्ट्रीय आय करीब २५ फीसदी बढ़ी है, लेकिन आम जनता की हालत उतनी नहीं सुधरी है, जितनी सुधरनी चाहिये थी । तो उन्होंने सोचा कि तो फिर आखिर वह पैसा गया कहां ? इस पर विचार करने के लिये, इसकी जांच करने के लिये उन्होंने एक कमीशन श्री महालनवीस साहब का बैठाया और इसकी जांच की गयी कि इसका फायदा किसको गया । तो उस कमीशन की रिपोर्ट यह है कि, यों तो जैसा कि लोगों ने कहा कि देश में ४३ परसेंट लैन्डलेस लोग हैं, मैं उसकी फीगर्स पर नहीं जाना चाहता हूं, जितनी प्लानिंग हुई, खासकर कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो काम हुआ, उससे लैन्डलेस (भूमिहीन) लेबर को कोई फायदा नहीं हुआ । उनकी मजदूरी बढ़ाने उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने की कोई बात नहीं हुई । इसके अतिरिक्त महालनवीस कमीशन ने यह भी कहा कि ५ एकड़ से कम वाले जो किसान हैं, उनको भी करीब करीब नहीं के बराबर फायदा हुआ है कम्युनिटी डेवलपमेंट में यह उस व्यक्ति की रिपोर्ट है जो कि वित्तीय एवं योजना के मामलों में बहुत ही अनुभवी और एक्सपर्ट है । इसलिये इसको देखकर पंडित नेहरू इस प्लानिंग को बदलना चाहते थे । कृषकों में मेजोरिटी (बहुमत) ५ एकड़ वाले किसानों की ही है, जब मेजारिटी के ५ एकड़ तक के लोग आ गये तो सब से ज्यादा पैसा जो खर्च किया गया उससे मेजारिटी के लोगों को फायदा नहीं हुआ । तो कहा जा सकता है कि हमारी योजनायें

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

सचमुच में ही सही दिशा में नहीं थी । यह सरकारी तरीके से या एक्सपर्टों ने जो रिपोर्ट दी है, उससे साबित होता है । मेरे विचार से थोड़ी बहुत गलती योजना में थी और अधिक गलती उसमें काम करने वालों की रही है ।

श्रीमन्, मैं ज्यादा सदन का समय न लेकर यह कहना चाहता हूं, मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं एक बड़े महात्मा और तत्वदर्शी चीन के कनफ्यूशियस ने कहा है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिये फौज, भोजन और जनता का विश्वास यह तीन चीजें निहायत जरूरी हैं । इनमें से यदि किसी को भी छोड़ना पड़े तो सरकार नहीं चल सकती है । किसी भी सरकार के लिये भोजन और फौज तो आवश्यक है ही, लेकिन यदि जनता का विश्वास कम हो जाए तो गवर्नमेंट कदापि नहीं चल सकती । जनता का विश्वास प्राप्त करना सरकार का पहला ध्येय होना चाहिये । सौभाग्य से कांग्रेस को और कांग्रेसी सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त रहा है और आज भी मैं कहता हूं, प्राप्त है । लेकिन आज वह हिल रहा है, वह आज बहुत जोरों से हिल रहा है और ऐसे लोगों की तरफ से हिल रहा है जो बड़े ऊंचे पदों पर काम करते हैं । मैं यह नहीं कहता कि सभी सरकारी अधिकारी अच्छे नहीं हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं जो हम लोगों से सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों से भी अच्छे हैं । लेकिन उनमें कितने ही बहुत खराब हैं । योजना के कार्यों में, प्रशासन के कार्यों में जो बेईमानी होती है, जो देरी और अकुशलता के कार्य होते हैं, उससे जनता का विश्वास बिगड़ता है । मैं उस विभाग की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ता है कि सहकारिता विभाग में १ करोड़ ३० लाख और ६० लाख रुपये, कुल १ करोड़ ९० लाख रुपये का भारी गड़बड़ घोटाला है । यह गड़बड़ घोटाला आडिट ने पकड़ा है । १९६२–६३ की जो आडिट रिपोर्ट आयी है, उसमें बताया गया है कि १ करोड़ ३० लाख का पी०सी० एफ० और ६० लाख रुपये का सहकारी यूनियन में गड़बड़ है । यह गड़बड़ी कैसे हुई ? ५६७ सीड स्टोर जो कृषि विभाग के थे वह कोआपरेटिव विभाग में ट्रांसफर हो गये । उनके जो कामदार और सुपरवाइजर थे उनकी सर्विसेज (सेवायें) सरकार से कोआपरेटिव यूनियन्स को ट्रांसफर हुई । यूनियन के पास वेतन देने को पैसा नहीं था । यह बीज भंडार सन् १९४८ में ट्रांसफर हुए । सन् १९४९ में एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला कि २५ लाख रुपया कोआपरेटिव यूनियन को दे दिया जाय जो उनकी तनख्वाह और दूसरी स्कीमों में खर्च किया जाय । यह २५ लाख रुपये की ग्रांट हर साल मिलती रही । इसके बाद एक रजिस्ट्रार महोदय ने यह आर्डर निकाल दिया कि ५७ जो सीड स्टोर सहकारी विभाग में सम्मिलित हुए थे उन सारे सीड स्टोर के सुपरवाइजर और कामदार, जो देहात में काम करते थे, उनकी तनख्वाह का कंट्रीब्यूशन बीज भंडार अपने-अपने फंड से दें । यह उनको मिलनी शुरू हो गई और मिलती रही । वह बीज भंडारों का कंट्रीब्यूशन डी० सी० एफ० में जमा होता रहा । तो इस तरह से यह ग्रांट और कंट्रीब्यूशन उनको डबल रूप में मिलती रही । गवर्नमेंट से भी उनको रुपया दिया गया और कोआपरेटिव फेडरेशन को भी रुपया सीड स्टोरों से दिया गया । पी०सी०एफ० का आडिट अलग होता रहा और यूनियन आडिट अलग होता रहा । दोनों का अलग-अलग आडिट होता रहा । इनके एक साथ आडिट होने पर ज्ञात हुआ कि यह तो डबल पेमेंट हो गया है। तो१ करोड़ ३० लाख वह पी०सी०एफ० में और ६० लाख यूनियन में, इस तरह से मिलाकर कुल कंट्रीब्यूशन १ करोड़ ९० लाख रुपये का डबल पेमेंट हो गया जिसको एक तरह से मिसएप्रोप्रियेशन कह सकते है । यह सब आडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है। रीजनल आडिटर के यहां पर रिपोर्ट आडीटर ने पहली जनवरी, १९६५ को सबमिट कर दी । यह १९६२–६३ की रिपोर्ट है जो पहली जनवरी, ६५ को दी गई । वह रिपोर्ट अभी पड़ी हुई है उसका अप्रूवल अभी रीजनल एकाउन्ट्स कंट्रोलर ने भी नहीं दिया है। एक दर्जन रिमाइंडर दिये जा चुके हैं लेकिन अभी उस रिपोर्ट को अप्रूवल नहीं मिला है । इसके बाद ६३–६४ की रिपोर्ट भी दे दी गई और उसमें भी इस चीज को रिपीट किया गया है लेकिन अभी तक कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है । इस तरह की जब बातें होती हैं और शिकायतें होती हैं तो

जनता का विश्वास सरकार से हटता है। वह समझते हैं कि जो बेईमान लोग हैं उनको सजा नहीं मिलती है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस मामले में बिलकुल निष्पक्ष होकर एक स्पेशल आडिट पी०सी०एफ० का बिठायें जो इस पर ऐक्शन ले और उस आडिट रिपोर्ट को अप्रूव करायें और सदन की एक कमेटी बैठे जो देखे कि क्या और कहां पर गड़बड़ी है ताकि जिन-जिन लोगों ने गड़बड़ी की है या करते हैं उनको बाहर किया जाय। इस तरह की चीजें जनता के विश्वास को कम करती है और शक करने वाली बातें हैं। इसी विभाग के एक हैड आफ दि डिपार्टमेंट थे। बहुत सी शिकायतें उनकी आई। तरह तरह की उनकी शिकायतें थीं। एक कमिश्नर साहब को उनकी शिकायत जांच करने को दी गई। भाई की शिकायत भाई को दी गई कि वह देखे। उन्होंने उनके ही पास रिपोर्ट लिखने के लिये वह भेज दी। उन्होंने अपने सबार्डिनेट को दे दिया जो कि बहुत होशियार आदमी थे। आखिर में वह रिपोर्ट आई। सारे महकमे को उसका पता चल गया कि इस तरह से हेड आफ यदि डिपार्टमेंट करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के आदमी होते हैं, उससे सारा मुहकमा बदनाम होता है। ९० फीसदी यदि अच्छे आदमी होते हैं लेकिन एक आदमी भी यदि गड़बड़ करता है तो उससे बदनामी होती है। इसी तरह से पुलिस मंत्री को मैं जानता हूं उनका दोष नहीं हो सकता है लेकिन बहुत से एजेंट जिलों में बने हुए हैं जो अपने को किसी मंत्री या मुख्य मंत्री का एजेंट बतलाते हैं। वह कहते हैं कि यह उन्होंने कहा है ऐसा कर दिया जाय। इससे गड़बड़ पैदा होती है। हमारे मंत्री महोदय को पता नहीं पड़ता। मेरे जिले का एक वाकया है। एक आदमी रघुनन्दन सिंह का दिन दहाड़े कत्ल हुआ। उसके १३ साल के लड़के ने नामजद रिपोर्ट लिखायी और उसमें ऐसे मुलजिम थे कि जो पहले कत्ल के केसेज में रह चुके हैं और दूसरे मुकदमों में उन पर केसेज चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह है कि अगर नामजद रिपोर्ट हो तो पुलिस का कोई काम नहीं है, उसे हक नहीं है कि उसे रोके या उसकी जांच न करे। उसे उस आदमी को सीधे अदालत में भेज देना चाहिये। लेकिन बावजूद इसके कि आई० जी० तक उन लोगों ने दौड़ लगायी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और कहा जाता है उस केस में फाइनल रिपोर्ट इधर-उधर के दबाव से लगा दी गई।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

अगर इस तरह की कोई रूलिंग हो तो वह मुझे बतला दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उसी जिले में अन्य इसी तरह की रिपोर्टों में लोगों के चलान हुए, लेकिन इस तरह की कार्यवाही इस केस में नहीं हुई। जगह-जगह दरख्वास्त दी गयी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी मर्डर के केस में। हमीरपुर जिले में शम्भूनाथ एक पुराने कांग्रेसी वर्कर हैं, उनके नौजवान लड़के को ठीक शहर के पास कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि उसमें बहुत से लोगों का हाथ था, मैंने एक लेख लिखा था, "बर्बरता का पिचाश" उसे आप देखें। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिन की जानकारी आप को नहीं हो सकती। एक इसी तरह की बात है। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब थे, उन के लिये कमिश्नर ने लिखा कि उन का करेक्टर संदिग्ध है, शिकायतों में बल है, वजन है और उस बिना पर उनका ट्रांसफर किया गया। उनको डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर बना कर ट्रांसफर किया गया। लेकिन ऊपर से फिर जोर पड़ा और वह ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया और फिर दूसरी जगह वे डी०एम० बना दिये गये और उनके खिलाफ फिर उसी तरह की शिकायतें हैं। ऐसी हरकतें होते रहने पर जनता का विश्वास आप में रहेगा, यह सोचने और समझने की बात है।

अब मैं थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। लैंड टैक्सेज लगने चाहिये, यह मैं मानता हूं, लेकिन मेरी हमेशा से यह राय रही है कि साढ़े १२ एकड़ से कम वाले लोगों के लिये लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ना चाहिये, ऊपर वालों पर आप बढ़ा सकते हैं लेकिन ऊपर के लिये भी

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

प्रेडेड सिस्टम होना चाहिये। लैंड टैक्स होना चाहिये, लैंड रेवेन्यू नहीं होना चाहिये। जैसा मैंने पहले कहा कम्युनिटी डवलपमेंट का फायदा ५ एकड़ से कम वाले किसानों को बिलकुल भी नहीं हुआ है। और मेरी यह राय उस समय भी थी जब मैं मिनिस्टर था और आज भी मेरी यही राय है।

अन्न की लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत है, खाद की जरूरत है मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी जरूरत पसे की है। छोटे किसान के विकास के लिये पैसा मिले। कोआपरेटिव की यह हालत है कि वह राजनीति का अखाड़ा बन गया है। जैसे कि कांग्रेस कमेटी का चुनाव होता है वैसे ही उसमें चुनाव होते हैं। हमीरपुर में दो बजे रात में चुनाव कराया गया। तो जब एक फाइनेंश्यल बाडी और कामर्शियल बाडी में इतना ज्यादा पालिटिक्स घुसेड़ा जायगा तो क्या हालत होगी और किस तरह से किसान को फायदा होगा? अगर उस पर लैंडरेवेन्यू का बोझा हलका हो, बढ़े नहीं तो कम से कम उसके पास पूंजी तो हो जिस को वह लगा सके। लगान बढ़ाया जाय भी तो उसका साइंटिफिक बेसिस हो। मानों मैं काश्तकार था और मेरे ऊपर लगान ज्यादा था और दूसरी मेड़ वाला जो बगल का है उसका कम है तो यह साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर मेरा दूना कर दिया तो यह तो १० गुना हो जायगा। तो किसानों की मैजारिटी है, कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिये। संकट काल में तो आफिसर्स सही कहते हैं कि हम बहुत हिसाब नहीं लगा सकते, जो रिकार्ड में लिखा है उसका जो चाहे परसेंटेज बढ़ा दीजिये, वरना कागज कैसे तैयार होगा। लेकिन वह अब संकटकाल नहीं है। अब विकास पहला काम है (लाल बत्ती होने पर)।

मैं चाहूंगा कि दो-चार चार मिनट आप मुझे और दें। जो छोटा किसान है, जिसकी हम मदद करना चाहते हैं तो हम क्यों एक जहमत अपने सर पर लें कि हम टैक्स वसूल करें, हजारों आदमी टैक्स वसूल करने लगें फिर उस टैक्स का डिस्ट्रिब्यूशन करें, क्योंकि वह रुपया उन्हीं के पास पहुंचाना है और वह उनके पास चौथाई, दसवां हिस्सा या कुछ भी न जाय, यह कहां तक उचित होगा? इसलिये जो सीधी मदद हम कर सकते हैं वह करें ताकि उनको राहत मिले और जनता का विश्वास बढ़े।

काम भी हमारी तरफ से हुआ है। मैं कुम्भ के मेले में ८ रोज रहा, बड़ा अच्छा प्रबन्ध रहा, मेले में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। उसकी सराहना मैं करता हूं। मैं कहता हूं कि इसका श्रेय वह के अधिकारियों और कर्मचारियों को और खास तौर से इलाहाबाद के कमिश्नर को है जिन्होंने रात दिन बैठ कर काम किया। इस तरह का काम हर जगह हो सकता है अगर उतनी दिल चस्पी ली जाय। मैं तो डर कर बोल रहा था, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में "ना" कहो तो सब से अच्छा है अगर कुछ कहने से बुराई मिलती है तो कुछ न कहो, चुप रहो। सबसे भली 'चुप' है और उसमें व्यक्तिगत लाभ है। लेकिन जिस कांस्टीट्युएंसी को हम रेप्रेजेंट करते हैं, जिस जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारा कर्त्तव्य है कि हम सही मानों में उसको रिप्रेजेंट करें। अगर गलती हो तो मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूं।

उग्रसेन जी ने एक सवाल उठाया था, उन्होंने उपकार किया था। वह सवाल लोक सभा में भी उठा, क्योंकि जब हवा चलती है तो चीजें सामने आती हैं, झूठी या सच। वह था एन० डी० एफ० ट्रस्ट के बारे में। लोक सभा में कहा गया, अखबार में पढ़ा है कि ३ करोड़ की उसमें गड़बड़ी हुई। मैं चाहता हूं उस संबंध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री हाउस में बयान दें ताकि गलतफहमी अगर कोई है तो वह दूर हो सके। एक बार ढाई करोड़ अखबार में निकला, उसके बाद हाउस में शायद डेढ़ करोड़ कहा गया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से यह एन०डी०एफ० ट्रस्ट बनाया गया वह ठीक नहीं था और जिन परिस्थितियों में वह बनाया गया वह परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं। जब २३ अगस्त को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह निर्णय दे दिया, काम राज योजना के अन्तर्गत, कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना है तो इस बात का कोई औचित्य नहीं दिखायी पड़ता कि वह इसको बनाते। जब नया मुख्य मंत्री आता तो वे उसको अपनी सलाह दे सकते थे, वह बनाता, ठीक रहता। २३ अगस्त को जब यह निर्णय हो गया कि उनको इस्तीफा देना है तो १० सितम्बर को इस ट्रस्ट का बनाया जाना

उचित नहीं कहा जा सकता। उसमें उन्होंने इस सदन के एक सदस्य को नामजद किया और वह स्वयं को किया। उन्होंने स्वयं को उसमें एक एम०एल०ए० की हैसियत किया, सारे सेदन में किसी दूसरे का उन्हें विश्वास नहीं हुआ। दो मित्र अपर हाउस के भी उसमें हैं जिस तरह से उसका कम्पोजीशन उन्होंने किया, उससे मन में अवश्य एक शक पैदा होता है।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

यह गड़बड़ी आपके जमाने में हुई या आपके बाद। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं एक-एक बात का जवाब दे सकता हूं यदि मुझे उसे कहने के लिये समय दिया जाय। जो भी गड़बड़ी हुई है मैं उसको कहने के लिये तैयार हूं। जो विभाग मेरे पास था, उसमें जो भ्रष्टाचार मैंने देखे उसको मैंने रोकने का भरसक प्रयत्न किया, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की है, वह सब फाइलों में मौजूद हैं। उसे आज भी देखा जा सकता है, मैं वह सब कहने के लिये तैयार हूं, मगर उसके लिये समय चाहिये। मैंने हमेशा गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की है और यही कारण रहा है कि मेरे मित्रों से मेरा मन मुटाव हुआ। जब मेरे पास कोआपरेशन का विभाग आया, मैंने कोशिश की कि उसकी खामियों को मैं ठीक करूं। इसी से विरोध शुरू हुआ। मेरे साथी मुझसे नाराज हुये, यही मेरी बदकिस्मती रही।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई गरमी पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस में जो विश्वास जनता का है वह अडिग रहे। हमें सारे सदन को कांफीडेंस में लेकर गड़बड़ियों को रोकना है। तभी जनता का हमें विश्वास प्रोप्त होगा। देश की रक्षा के लिये तीन चीजें बहुत आवयश्यक हैं—फौज, भोजन और जनता का विश्वास। कांग्रेस ही ऐसी संस्था है जो देश में इन तीनों का प्रबन्ध कर सकती है और देश को ऊंचा उठा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे चन्द अल्फाज इजहार करने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसको मैं नहीं समझ पाया हूं कि यह बजट घाटे का है या मुनाफे का है या सरप्लस है। सरकर की तरफ से पिछले सालों में भी बजट पेश होते रहे और मौजूदा साल का भी बजट पेशा हुआ है और पंचवर्षीय योजनायें भी चल रही हैं। इसमें गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद हो रहा है। जहां तक मैं समझता हूं उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई है और न कोई फायदा हुआ है। मान्यवर, यह तेली के बैल की तरह है। सुबह जहां से चले थे वहीं मौजूद हैं। इस सिलसिले में अहम सवालात उठते हैं उन्हें मैं अर्ज करना चाहता हूं। क्या हम जरूरत भर अनाज पैदा कर पा रहे हैं? या हम जिन्दगी की जो जरूरत की चीजें हैं उनको पा रहें हैं? या इस, प्रदेश की सरकार की जो इन्तजामी हालत है वह क्या ठीक है, सरकार का पूरा काबू इन्तजाम पर है? इस तरह से यह भी है कि क्या सरकार में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है? क्या इस पर भी सरकार का पूरा काबू है? इसी तरह से भ्रष्टाचार जो है यह एक फैशन बन गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बगैर इसके दूर किये हुये प्रदेश की हालत नहीं सुधरेगी और नाजायज मुनाफाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और चोरबाजारी का आज आम रिवाज हो गया है। उसमें भी सरकार का कोई काबू नहीं है। हरिजन या जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये सरकार क्या मदद दे रही है या वे अपना हक प रहे हैं? किसान जो खेती के लिये सरकार की मदद चाहते हैं क्या सरकार उनको मदद पहुंच रही है? मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि ब्लाक का जो रुपया है वह सब ब्लाक में ही हजम हो जाता है और किसान को न पानी मिल रहा है और लेखपाल से लेकर बड़े अफसर तक जब वह रिश्वत दे देता है तब उसकी गाड़ी चलती है।

[चौधरी अब्दुल हसीब खां]

श्रीमन्, मिट्टी के तेल के लिये बड़ी परेशानी है। इन सब बातों का यही जवाब होगा कि ये सब बातें पूरी नहीं हो रही हैं और सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चल रही है इसका नतीजा यह है कि कुछ नहीं हो रहा है। मुझे बचपन की एक बात याद आती है कि हमारे यहां एक पेड़ लगा हुआ था जिसमें फागुन और चैत के महीने में पत्तियां गिरा करती थीं। उसी के पास एक मेहतर रहता था। उस रोज उसके यहां शादी ब्याह था। उसको शराब का नशा रात तक था। वह शराब के नशे की हालत में पत्ती बैठकर इकट्ठा कर रहा था। वह वहां से एक टोकरा पत्ती भी नहीं उठा पाया। टोकरा भर कर के चलता था वहीं गिर जाता था और समझता था ले जा रहा हूं। ठीक इसी तरह से हमारी सरकार की पंच वर्षीय योजनायें चल रहीं हैं। उनसे आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। २९२ करोड़ के बजट में आम जनता को क्या सहूलियतें दी गई हैं और उनको क्या हासिल होगा? जनता पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिये। २५ फी सदी जो लगान में इजाफा हुआ था उसे सरकार अब वापिस लेने को तैयार नहीं है। सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि यह ५ करोड़ रुपया जो इससे वसूल होगा यह सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि सरकार वक्त से सोच कर इसे अब भी वापिस ले ले ताकि किसानों को कुछ राहत हो।

फेमिली प्लानिंग में आपरेशन से बहुत लोग परेशान हैं। मेरे जिले बहराइच में बहुत लोगों के मवाद पड़ गया और उनको बहुत तकलीफ हुई। अगर नस्ल बढ़ने से रोकना ही है तो नसबन्दी का कोई और तरीका होना चाहिये।

हमारी योजनाओं का आधा रुपया इंजीनियरों, ठेकेदारों और सरकारी कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। इससे पब्लिक को सीधे कोई फायदा नहीं होता। इसलिये इसकी देखभाल करने की सख्त जरूरत है। किसान का उससे कोई फायदा नहीं होता है।

मैं समझता हूं कि इन हालात का यही नतीजा होगा कि पब्लिक की परेशानी बढ़ती जायगी। सरकार की तो हालत उस सवार जैसी है जिसके घोड़े ने ऊपरी लगाम अपने मुंह में दबा ली है और सवार रकाब के सहारे उस पर बैठा है, सरकार मजबूर है।

बहराइच जिले में दो सड़कें हैं जिनके लिये मैं अक्सर कहता आया हूं। बहराइच से करनलगंज तक यह सड़क बहुत चालू है और इस पर बसें भी चलती हैं दूसरी तहलारी घाट से पयागपुर की है और वहां एक पुल सिरौला भी पड़ता है। ये सड़कें व पुल बनने से वहां की इर्द गिर्द की जनता को और सरकारी अफसरों को और दीगर कर्मचारियों को बहुत आराम होगा इसलिये मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इनको जल्दी बनवाने की कृपा करें।

मेरे जिले में ४ सरकारी फार्म हैं जो हमेशा घाटे में चलते हैं। अगर उनकी भूमि और कुछ और जंगलात की लाखों बीघा भूमि जो पड़ी है वह उन हरिजनों और भूमिहीनों को दे दी जाय जिनके पास जमीन नहीं है और जो जमीन चाहते हैं तो उनका गुजर हो सकता है और अनाज की पैदावार भी बढ़ जायगी।

आज जखीरेबाजी और ब्लैक-मार्केटिंग बहुत हो रहा है। मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी इसलिये और कुछ न कह कर सिर्फ कुछ शेर पढ़ देता हूं जिससे शायर का ख्याल जाहिर हो जायेगा। अब चन्द शेर है जो पेश खिदमत हैं:

"जमीरे कौम में यह रोब यूं समाया है
रगों में दौड़ता फिरता है जिस तरह से लहू।

डकैतियों की खुली एक शाह राह नई
ठगों को मिल गया एक और कूवते बाजू।

हिमालया को निगल जायं और डकार न लें
यह काले चोर हैं ऐसे ही रक्शशो पेटू।

यह काले चोर नहीं हैं, अवाम के कातिल
निकल रही है तनफ्फुज से जिनके खून की बू ।

हर एक चीज की कीमत बढ़ा के चौ गुनी
निचोड़ लेते हैं मुर्दों के जिस्म से भी लहू ।

भला अवाम की हस्ती है इनके आगे क्या
हुकूमतों को बनायें जो रात दिन बुद्धू ।

कभी सीमेंट कभी आयरन का रैकेट है
कभी शकर का है हाथों में खुशनुमा लड्डू ।

बड़े बड़ों को भी तस्ख़ीर कर लिया जिसने
ब्लैक मार्केटिंग है आज वह जादू ।। "

बस मुझे अब इतना ही अर्ज करना है । आगे आप समय नहीं देते ।

श्री त्रेपनसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । बजट के संबंध में माननीय सदस्यों ने काफी चर्चायें की हैं । मैं तो इस बजट के संबंध में यही कह सकता हूं कि इस बजट में नये करों का कहीं जिक्र नहीं है और इस से हमें बहुत खुशी है । यहां पूर्वी जिलों के संबंध में और पश्चिमी जिलों के संबंध में काफी चर्चा चली लेकिन हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है उसके संबंध में भी कुछ चर्चा होती तो अच्छा होता। मैं विशेष रूप से उस इलाके का जिक्र करना चाहता हूं जो कि इस प्रदेश में कुछ साल पहले विलीन हुआ था । जब वह विलीनीकरण हुआ था तो उस समय उन इलाकों के बारे में एक एग्रीमेन्ट हुआ था जो यह उत्तर काशी और टेहरी के जिले हैं उनको दूसरे जिलों के समकक्ष लाने के लिये सरकार विशेष ध्यान देगी लेकिन मुझे अफसोस है कि उस आश्वासन की आजतक पूर्ति नहीं हुई और किसी बजट में हमने कोई उल्लेख वहां के लिये नहीं पाया । हमें बड़ा दुख तो है जब इस तरह से सरकार की तरफ से अवहेलना की जाती है और कोई विशेष व्यवस्था इन जिलों के स्तर को उठाने के लिये नहीं की जाती है । मिसाल के तौर पर में सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोगों ने, किसानों ने इधर के और विरोधी दल के माननीय सदस्यों के सामने अपनी समस्याओं को रखा और आज हम भी सरकार पर जोर डालना चाहते हैं कि वहां की समस्याओं का वह हल निकाले । इन टेहरी और उत्तर काशी के जिलों में रियासत के जमाने में बड़ा भारी आन्दोलन हुआ था वहां के बढ़े हुए लगान के संबंध में और वहां पर जो वन की दिक्कतें थीं उन सब बातों को लेकर वहां की जनता ने आन्दोलन किया था और वहां अपनी हुकूमत बनवाई । उस समय जो तत्कालीन हुकूमत वहां बनी थी उसने भी जमीन संबंधी लगान में छूट देने का निर्णय किया था और भारत सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि जितनी चीजें पिछली सरकार की कमिटेड होंगी उन को सरकार पूरा करेगी । लेकिन वे चीजें भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं । हमारे यहां रिकार्ड आपरेशन शुरू हुआ । सेटिलमेंट का कोई नाम नहीं था लेकिन उसके बाद यह इलाका भी सेटिलमेंट में ले लिया गया । इन दोनों में बड़ा अ तर है और उसको देखते हुये यह विचार था कि अगर सैटिल-मेंट करना था तो उसका ऐलान पहले ही करना चाहिये था ताकि वहां के लोग अपने राइट्स के बारे में, अपनी छोटी मोटी दिक्कतों को उनके सामने रख सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेटिलमेंट में जमीन का क ासिलिफकेशन बदला जा सकता है और यह बदला भी गया है ।

हमारा जो आन्दोलन था, हमारी जो मांग थी, वह यह थी कि हमारे यहां पौड़ी गढ़वाल के समकक्ष जमीन का लगान किया जाय । लगान की बात कोई नये ढंग से, नयी चीज नहीं रखी थी । टेहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में थी । अंग्रेजों के जमाने में उसे लड़ाई में अंग्रेजों ने वहां के राजा को दे देना पड़ा था । तो श्रीमन्, यह मांग जायज थी और हमारी सरकार को इसे फौरन स्वीकार कर लेना चाहिये था । ये हमारे बुनियादी मसले हैं, उस जिले के । इसका

[श्री त्रेपनसिंह]

हर किसान के ऊपर असर पड़ रहा है। सैटिलमेंट का और इस लगान से हर किसान का संबंध है। फारेस्ट का सैटिलमेंट भी हम चाहते थे लेकिन सरकार ने ऐसा न करके फारेस्ट ऐक्ट में अमेंडमेंट कर दिया जिससे जितने भी जंगल थे वे इन्डियन फोरेस्ट ऐक्ट के मातहत हो गये। सोचा गया था कि वहां के रहने वालों की सुनवायी होगी, वे उनके हकों को मानेंगे लेकिन वह भी उन्होंने नहीं माना।

तीसरी बात जो मुझे यहां पर कहनी है वह यह है कि मर्जर के पहले पंचायत के जो फंड्स थे वे सरकार के खजाने में जमा थे। १०-१५ साल हो गये लेकिन वे फंड्स पंचायत को वापिस नहीं मिले है। मैं नहीं समझता कि उन फंड्स के वापिस करने में सरकार को क्या दिक्कत है।

वहां की जो एक असम्बली थी उसने एक रेजोलूशन पास किया था कि यहां के लोगों की शिक्षा की उन्नति के लिये कम से कम एक एजूकेशन ट्रस्ट बनाया जाय और उसके लिये २० लाख निर्धारित किया था पर उस पर भी हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी हमारे जिले में पर कपिटा इन्कम ८४ रुपये से कम है जो कि देश के सभी जिलों से कम है। यह १०-१५ वर्ष, मर्जर के उपरान्त, की बात है। एक और चीज जो मुझे यहां पर निवेदन करनी है कि आज दुनिया में हवाई जहाज और बड़े-बड़े आवागमन के साधनों की कल्पना हो रही है परन्तु हमारे जिले में ब्रिडिल रोड्स भी नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि जो चीज देहरादून जिले में ऋषिकेश आदि स्थानों पर १० या १५ रुपये की मिलती हैं, वहां ४०-४० रुपये की हो जाती हैं लेकिन उस पर भी हमारी सरकार उधर कोई ध्यान नहीं देती है। पहले वहां कोई जिला परिषद् नहीं थी। अब तीन, चार वर्ष की उसकी उम्र है लेकिन उसके पास कोई निजी साधन नहीं हैं। सरकार कम से कम इतनी व्यवस्था कर दे कि वहां पैदल सड़कें बन जायं ताकि आने जाने के साधन मुहइया हो सके।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, वहां सरकार ने कृपा की है कि एक हायर सेकेन्डेरी स्कूल को इन्टरमीडिएट कालेज बना दिया। अन्य जिलों में ८, १० कम से कम इन्टरमीडिएट कालेज हैं लेकिन टिहरी जिले में केवल दो ही हैं। जब तक सरकार इस जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं करती तब तक इस जिले की तरक्की मुश्किल हो जायगी। अगर सरकार उत्तर काशी तथा टेहरी गढ़वाल के जिले को अन्य जिलों के समकक्ष लाने में असमर्थ है तो फिर इसे वह केन्द्र को दे दे जिसने कि इस प्रान्त में इस जिले को विलीन किया था और केन्द्र ही फिर इसकी व्यवस्था करे। मैं चाहता हूं कि सारे पहाड़ी जिलों को बैकवर्ड घोषित किया जाय और विशेष रूप से उनके लिये व्यवस्था की जाय क्योंकि पहाड़ में लोगों को अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप चाहें तो प्लेन्स में उनको जमीन दे दें और इसका हम स्वागत करेंगे। टिहरी, उत्तर काशी जिलों का लगान भी पौड़ी गढ़वाल के समकक्ष किया जाय और रेकार्ड आपरेशन को दुरुस्त किया जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको मजबूर होकर अदालत की शरण लेनी होगी या जनता की अदालत के सामने इस मसले को रखना होगा।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, बजट से समाज की हालत का दिग्दर्शन होता है केन्द्र में और सूबे में एक ही पार्टी की सरकार है। जब अंग्रेज से लड़ रहे थे तो राम राज्य का नारा दिया था। वह बात खत्म कर दी। राज्य होने पर गरीबी और अमीरी का सवाल पैदा हो गया तो आवड़ी में समाजवाद का नारा दिया और कहा कि गरीब और अमीर को बराबर लायेंगे। फिर पिछले वर्ग के लिये कमीशन बिठा दिया लेकिन उस कमीशन की सिफारिश पर आजतक कोई अमल नहीं हुआ और उसकी आवाज दबा दी गयी। जब भ्रष्टाचार बड़े जोर से भारत वर्ष में व्याप्त हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और हर आदमी की जबान पर सरकार के ऊपर लांछन लगने लगा तो नन्दा जी ने कहा कि मिनटों में वह भ्रष्टाचार दूर कर देंगे मानो अलादीन का चिराग उनके पास है, उसे घिसेंगे और जो चाहेंगे उससे करा लेंगे। दूसरा नारा उस समय लगाया गया जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी। "जय किसान जय जवान" का नारा लगाया गया क्योंकि उस समय किसान और जवान दोनों भूख से तड़प रहे थे। मेरा निवेदन यह है कि "जय किसान जय जवान" जय समाजवाद, जय भ्रष्टाचार और जय काला बाजार, यह सब आवाज दबाने के लिये कोई न कोई नारा बनाया गया और उन भावनाओं को समूल नष्ट किया गया।

आज बनारसीदास जी कह रहे थे कि हम व्यवहारिक समाजवाद लायेंगे। इसका नाम सुन लिया और कह दिया। पहले उनको एक्सपेरीमेंट करना चाहिये था तब कहना चाहिये था। आज वर्मा जी यहां बैठे हुये हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, अब मंत्री बन गये हैं। इसलिये यहां पर हर आदमी अपना–अपना काम करता है। मैं आप से कह रहा हूं कि हमारी योजनायें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, कुछ नहीं लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता नारे और घोषणा बनाने में लगे हुए हैं और उनसे चाहते हैं कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का पेट भर जायेगा और वह संतुष्ट हो जायगा। सरकार के जो मंत्री यहां बैठे हुये हैं वे देखें कि समाज बदल रहा है, जाग रहा है वह देखेगा और समझेगा। अभी माननीय बनारसीदास जी कह गये कि हमारे यहां मिक्स्ड इकोनोमी है। इसमें वही बात है जैसे चौराहे का सिपाही जिसे चाहता है पास कर देता है और जिसे चाहता है उसे रोक देता है। उसी तरह से सरकार जिसको चाहेगी भला करेगी और जिसको चाहेगी चौराहा के सिपाही की तरह से रोक देगी। जैसे हमारी सरकार ने गरीब किसान और मामूली लोगों को छोड़ कर बिजली बिड़ला को दे दी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आप घोषणाएं और योजनायें बनायें लेकिन उन पर कुछ कार्य करें। मंत्री जी कह गये कि योजनाओं पर ५५५ करोड़ रुपया खर्च हो गया। लेकिन परिणाम क्या निकला ? ५०० ट्यूबवेल निर्धारित किये लेकिन बने केवल २००। क्या इससे लक्ष्य पूरा हो गया ? हमने देखा है कि मार्च के महीने में अनाप-शनाप खर्च किया जाता है और उसका कोई हिसाब नहीं रहता है मेरे यहां नरोरा बांध बन रहा है और वहां पर पौने दो करोड़ रुपये का सामान गंगा जी में स्वाहा हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी यहां बैठे लिखते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं लेकिन जो गड़बड़ी होती है, उसका क्या उपाय करते हैं ? हम लोगों के बताने पर भी ध्यान नहीं देते हैं।

भ्रष्टाचार को यह रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि यह सही रास्ता अपनाते नहीं है। जो आदमी भ्रष्टाचार करे, चाहे वह कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन उस आदमी की सिफारिश के लिये लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारा भाई भतीजा है तो वह क्या कर सकते हैं ? सारे काम आप कर रहे हैं तो आप इसको रोकेंगे कैसे ? आप कह रहे हैं कि हम प्रदेश की इकोनामी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कैसे बढ़ा रहे हैं ? १९५०–५१ में पर कैपिटा इनकम २८० थी जो पहले प्लान में २७३ रह गई। दूसरे प्लान में २९८ हुई लेकिन आल इंडिया के अनुसार ११ परसेंट कम हो गई। इसके माने क्या हुए ? जैसे-जैसे हमारा प्लानिंग हुआ हमारी आमदनी घटती चली गई और दूसरी ओर हमारे ऊपर टैक्सेज का बोझा बढ़ता चला गया। १९५०–५१ में प्रति व्यक्ति ४ रुपया टैक्स था जो १९६० में १० रुपये हुआ और अब १२ रुपये प्रति व्यक्ति हो गया है। टैक्स बढ़ते गये और आमदनी घटती गई। यह सब क्यों हुआ ? इनकी ढिलाई के कारण हुआ। आज उनको अपने झगड़ों से फुर्सत नहीं है। हुआ क्या ? आपने पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट आपने प्रदेश में बहुत कम किया। आप यह देखेंगे कि सन् ५१ से ६१ तक उत्तर प्रदेश में १०९ प्रति व्यक्ति खर्चा किया गया जबकि अखिल भारतीय २५८ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ५८ उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट आया जबकि सारे हिन्दुस्तान का ८७ आया। इस प्रकार आप योजनाओं पर कम खर्चा करते चले गये। सरकार ने कभी यह तकलीफ गवारा नहीं की इस पर कुछ ध्यान दे। सरकार को चाहिये था कि इतने बड़े प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहती और उसके सामने

[श्री हिम्मतसिंह]

अपनी मांग पर जोर देती। अब कुछ मालूम हुआ है कि आबादी पर मिल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आप अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित कीजिये, उनमें जहां पर कोआर्डिनेशन की कमी है, उसको दूर कीजिये, सभी लोगों का सहयोग लीजिये और पूरी क्षमता से आप उन्हें पूरा कीजिये। लेकिन अब आप तो उस प्लानिंग के महत्व को ही नहीं समझते हैं। कभी आप जनवादी प्लानिंग का नारा लगाते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, आपका ध्येय और सिद्धान्त एक सा नहीं रहता है, आप स्वयं अपनी दिशा में ढुलमुल रहते हैं। आपने सन् ६४–६५ में कौन बड़ी अम्पर क्राप पैदा कर दी, जिसका कि आप ढिंढोरा पीटते हैं, कौन सा आपने तीर मार लिया। वह तो प्राकृतिक देन थी, जो हो गया, यदि प्रकृति अनुकूल न होती और प्राकृतिक प्रतिकूलता की अवस्था में यदि आप अच्छी उपज कर लेते, उत्पादन बढ़ा कर दिखा देते तो एक बात थी। मेरे जिले बुलन्दशहर में ११८ ट्यूबवेल्स का कान्सट्रक्शन पड़ा हुआ है, कोई चिन्ता उसकी नहीं करता है और जिसके पास जाओ कहता है हम उनको कैन्सिल करेंगे और जब हम लोग गिरधारी लाल जी के पास जाते हैं, तो वे कहते हैं कि कैन्सिल नहीं करेंगे, लगायेंगे। पड़े हुये हैं कमेंक्शन नहीं देना चाहते हैं, अजीब दुविधा की स्थिति में डाल रखा गया है। आपके कार्यों में, आपकी अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी को सही वस्तुस्थिति का पता ही नहीं है।

इसलिये यदि आपको खाद्योत्पादन बढ़ाना है, देश का उत्थान करना है तो आपको अपने अफसरों—लालफीता शाही वालों से भी कहना पड़ेगा, उनको भी देखना पड़ेगा और उनके ऊपर आपको सतर्क दृष्टि रखनी पड़ेगी तभी आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिल पायेगी। केवल भाषण देने और अच्छे-अच्छे उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। आप देहातों में जाते हैं, टूर करने जाते हैं, मंत्री लोग ४–४, ५–५ शानदार पार्टियां खाकर चले जाते हैं और कुछ चापलूस और स्वार्थी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर वे उनमें पड़ जाते हैं और विस्तुस्थिति से लोगों की दयनीय दशा से अफसरों की लापरवाही की तरफ से वह अपनी आंखे मूंद लेते हैं। कोई मंत्री बताये कि आपने किस दौरे में कितने कुयें देखे, कितने ट्यूबवेल देखे, इसके लिये उनको समय ही नहीं रहता है, क्योंकि वह दिल से उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। मंत्रिगण जहां जाते हैं, जो कार्य करते हैं सभी जगह यही सोचा करते हैं कि उनकी पार्टी और उनका गुट कैसे मजबूत हो, वह केवल वही काम करना चाहते हैं, जिससे उनका गुट मजबूत हो।

काश्तकारों का जो चवन्नी का लगान बढ़ गया है, उसके बारे में मेरी और मेरी पार्टी, विरोधी पार्टियों की ही राय नहीं बल्कि बड़े–बड़े अर्थशास्त्रियों की यह राय है कि यदि आप बढ़ायेंगे तो जो उपजाने का पैटर्न है वह भिन्न दिशा में चला जायगा। यदि लगान बढ़ाया जायगा तो कृषक अन्न के बजाय कैश क्राप्स बोना शुरू करेंगे क्योंकि उनसे उन्हें नकद पैसे की अच्छी प्राप्ति होती है। यही वह पसन्द करेंगे और अन्नोत्पादन की तरफ से वह पीछे हटेंगे।

दूसरी बात यह है कि यह जो लगान बढ़ाया गया वह आपातिक कर भार था और इस समय युद्ध की आशंका करीब-करीब समाप्तप्राय है इसलिये भी यह बढ़ा हुआ लगान वापस लिया जाना चाहिये।

तीसरा कारण यह है कि अपने प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा वैसे ही पहले से लगान ज्यादा है और अब बढ़ाना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं होगा।

चौथा कारण यह है कि अपने प्रदेश में एक सा लगान नहीं है। भूमिधर पर कुछ है, सीरदार पर कुछ है और आसामी पर कुछ है, इस तरह से विभिन्न वर्गों में लगान की बड़ी विभिन्नता है। यदि आपने भूमि पर कर लगाया होता तो कुछ गनीमत थी।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे जिले में १८ और १९ तारीख को दोनों दिन लगातार दो बसें लूटी गयीं। एक तो गुलावटी मेरठ रोड पर १८ तारीख को लूटी गयी और दूसरी अबर खुर्जा रोड के बीच में १९ तारीख को लूटी गयी। यह

वाकये दिन-दहाड़े हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे यहां अभी हाल में एक लाख रुपये की डकैती शहर के अन्दर हो गयी। इन घटनाओं से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि आपके प्रशासन में ला एंड आर्डर का दिवाला निकल रहा है। इस बढ़ती हुई अव्यवस्था और अराजकता की ओर आपका कोई ध्यान नहीं जाता है आप अपने पुलिस कर्मचारियों को सचेत नहीं करते हैं। यहां से तो बस यह आर्डर जाता है कि अमुक आदमी को दबाओ, अमुक पार्टी को दबाओ।

मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति में भी आपकी तरफ से ईमानदारी और निष्पक्षता नहीं पाई जाती है, उसमें भी पार्टी पालिटिक्स चलती है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि मैजिस्ट्रेट भी ईमानदार और निष्पक्ष कम होते जा रहे ह। यही स्थिति यदि आपकी रही तो आप देखेंगे कि १० साल के अन्दर मैजिस्ट्रेटों में भी जनता का कोई विश्वास नहीं रह जाएगा और अनार्की पैदा हो जायगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको ला एंड आर्डर की स्थिति को सुधारना चाहिये और मैजिस्ट्रेसी को आपको ठीक करना चाहिये।

अराजकता और ला एंड आर्डर की खराब स्थिति का ही आज यह नतीजा है कि गांव की आबादी शहर की ओर भागती चली आ रही है। इस तरह से आपने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को तो चौपट कर ही दिया है, लेकिन अब आप शहरों को भी चौपट करना चाहते हैं। इसी तरह से आपने सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक उत्थान के भी सिद्धान्तों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया है अपने कारनामों से? आपको तेली, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, सब गांव में मिल जाते थे लेकिन आपने उस सारी गांव की व्यवस्था को खत्म कर दिया और गांव जो सेल्फ सपोर्टिंग था उसे आपने समाप्त कर दिया। आप ला ऐंड आर्डर मेन्टेन नहीं कर सके, जो पिछड़े लोग थे जैसे हमारे यहां थारू थे वे पहले बैकवर्ड में थे लेकिन वह भी समाप्त कर दिया था, कौन सी तरक्की आपने कर दी, परकैपिटा इन्कम घटी, इन्कम टैक्स बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, मैजिस्ट्रेसी में बेईमानी आ गयी, किसी का उसमें विश्वास नहीं रह गया। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन सब बातों का स्पष्टीकरण करें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को, आज बजट के आम बाद विवाद में जो मुझे हिस्सा लेने का अवसर दिया है, उसके लिये बधाई देता हूं। साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं उन्होंने बजट प्रस्तुत करके सदन को और प्रदेश के लोगों को जीवन का स्तर ऊंचा करने की प्रेरणा दी है।

बजट के देखने और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज प्रदेश की हालत की बजट पूर्ति नहीं कर सकता है। सबसे प्रथम में खाद्य समस्या को लेना चाहता हूं। माननीय खाद्य मंत्री बैठे हैं। प्रदेश में आये दिन हाहाकार मचा हुआ है कि अनाज नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी इधर आ गये हैं वरना उधर बैठकर रोज कहा करते थे कि भुखमरी है लेकिन आज वह देवरिया की भुखमरी सुनाई नहीं पड़ रही है। खाद्य मंत्री जी आये दिन प्रत्येक जिले का दौरा करते हैं, अनाज इकट्ठा करने और वितरण की बात करते हैं, केन्द्र से अनाज लेते हैं फिर भी खाद्य समस्या की पूर्ति नहीं होती है। ६२–६३ में २ करोड़ ८ लाख रुपये का अनाज केन्द्र से आया और ५ करोड़ ४९ लाख का यहां से खरीदा गया। इसी तरह से ६३–६४ में केन्द्र से आया १२ करोड़ ९१ लाख और यहां से खरीदा ७ करोड़ ७६ लाख का। ६४–६५ में २९ करोड़ ६५ लाख का केन्द्र से आया और १८ करोड़ ७६ लाख का प्रदेश में खरीदा गया। ६५–६६ में २२ करोड़ ९७ लाख का केन्द्र से आया, और १६ करोड़ ३ लाख का यहां खरीदा गया। ये आंकड़े सरकार के हैं। खाद्य समस्या आज इतनी जटिल होती जा रही है लेकिन हमारे इधर और उधर के बैठने वाले सारे क सारे भाई भूमिहीनों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब आप भूमिहीन किसानों को खाने को नहीं देंगे तो अनाज कहां से पैदा होगा। "भूखे भजन न होय गोपाला, ले लेहु अपनी कंठी माला।" अगर खाद्य समस्या को हल करना है तो दो तरीके हैं। मुगल काल में मुहम्मद तुगलक, शेरशाह, अकबर और यहां तक कि लार्ड क्लाइव गल्ले को लगान के रूप में लेते थे लेकिन हमारी सरकार लगान को अनाज के रूप

[श्री गंगाप्रसाद]

में लेने से इन्कार करती है। जबकि प्रत्येक फसल पर गल्ला वसूल करती है। वह २३ करोड़ के लगान को अनाज के रूप में ले ले तो ज्यादा सहूलियत किसान को हो। लेकिन यह न तो हमारी सरकार चाहती है और न विरोधी दल के भाई चाहते हैं क्योंकि उनको अनाज देना पड़ेगा लगान के रूप में। हमारे ऊदल भाई कह रहे हैं कि भूमिहीन की बात से क्या संबंध है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भूमिहीन-किसानों की हालत सुधारने के लिये एक कमेटी १९४९ में बैठी थी ... खेतिहर मजदूरों की मजदूरी तय करने के लिये। उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसने कहा कि खेतिहर मजदूरों को ४५ रुपया महीना मजदूरी मिलेगी लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां पर जितने भी भाई बैठे हुये हैं वह जानते हैं कि खेतिहर मजदूरों को १५ से लेकर २५ रुपये तक माहवार वेतन देते हैं। क्या इस तरह से उपज बढ़ सकती है? जब तक मजदूरों को, जो खेत में काम करते हैं, उनको ठीक रूप से मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक देश में खेत की उपज नहीं बढ़ सकती है। क्या यही सरकार की निगाह में उपज बढ़ाने का तरीका है। जब बड़े बड़े फार्म भूतपूर्व जमींदारों के हैं और ज्यादातर फार्म बेकार पड़े हैं तो उपज कैसे बढ़ सकती है। अगर सरकार जमीन कि सवा छः एकड़ की सीलिंग करदे या फिर सारे के सारे खेतों, फार्म को इस तरह से ले लिया जाय जैसा रूस में लिया गया है और सारे खेतों पर सरकारी फार्म हो जाय, अगर ऐसा हो जाय तो उपज बढ़ सकती है। सरकार अगर उनको अपने हाथ में ले लेगी तो उन सरकारी फार्मों में भूमिहीन मजदूर काम करेंगे और उनको खाना मिलेगा। श्रीमन्, जब पहली योजना आई तो उसमें ५ लाख आदमी बेकार थे, लेकिन अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में २१ लाख बेकार हो गये हैं। २१ लाख आदमियों के खाने कपड़े की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर प्रान्त में इस खाने की समस्या को आप हल नहीं कर सकेंगे तो प्रान्त का आप भला नहीं कर सकेंगे। तो आज आप इन कुर्सियों पर बैठते हैं उन गरीबों के वोट पर ही बैठे हैं। २१ लाख जनता को अगर आपने खाना कपड़ा नहीं दिया तो यहां पर फिर आप बैठ नहीं सकते हैं। अगर आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। मुझे आपसे यह कहना है कि आप खाने की समस्या को हल कीजिये। मैं आपके द्वारा माननीय रामकुमार शास्त्रीजी, सभासचिव जो यहां पर बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है जो बहुत उपजाऊ जमीन है। मैं उन जमीनों का नाम बताना चाहता हूं। बहराइच जिले में नानपारा में माधवपुरा में कानपुर के एक करोड़पति बशीर साहब है उनकी १,२०० एकड़ जमीन कैटल फार्म बनाने के नाम पर पड़ी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां मंत्री जी जाकर देखें कि कितनी जमीन पर खेती, और पशु दूध देने वाले हैं। वहां पर कोई भी जानवर नहीं है। लोमड़ी, सियार और भेड़िये वहां पर है लेकिन दूध देने वाला कोई भी जानवर नहीं है। न कोई वहां पर गाय है और न भैंस ही है और खेती भी नहीं होती। इसी तरह से कलकत्ते के एक लोहिया साहब हैं उनकी ७०० एकड़ जमीन पड़ी हुई है। इसी प्रकार से उस क्षेत्र में बहुत सी जमीन है जो बहुत उपजाऊ है। इसी तरह से गब्बापुर में भी हजारों एकड़ कृषि लायक जमीन पड़ी है, उसको लेकर गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाय, कृषि के लिए बेकार पड़ी जमीन भूमिहीनों को मिल जाय ताकि पैदावार बढ़ सके।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

मैं माननीय सदस्य की सलाह पर अभी दो रोज हुये उस इलाके में घूम कर आया हूं।

श्री गंगाप्रसाद—

लेकिन वह जमीन पड़ी हुई है। वह गरीबों को नहीं दी जा रही है। अगर वह जमीन गरीबों को दे दी जाय तो उससे बहुत अनाज पैदा हो सकता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

आप दौरा तो करते हैं लेकिन किसी गरीब को जमीन देकर खाये हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

व्यवस्था की जा रही है ।

श्री गंगाप्रसाद—

यह जमीन की समस्या ऐसी है जिसका हल करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हमारे यहां जो काम हो रहा है और जिसका बहुत बड़ा जोर है वह परिवार नियोजन की समस्या है। हर जिले में आप जाइये तो आपको परिवार नियोजन का समाचार ही सुनने को मिलेगा। वह कहते हैं कि सरकारी आदेश है कि नसबन्दी करके परिवार नियोजन करो। मैं अपने गोंडा जिले का हाल आपको बताता हूं। गोंडा जिले में जितने कोढ़ी हैं, जितने नंगे, भूखे हैं, जितने अपाहिज हैं, जितने अन्धे हैं उनकी नसबन्दी कर दी गयी है। जो ऐसे आदमी हैं जिनके ७, ८ बच्चे हैं, जो हमारे और आप जैसे आदमी हैं उनके यहां नसबन्दी नहीं की जा रही है। कुछ दलाल लोग हैं जो नसबन्दी का प्रचार लालच में करते हैं। उनको बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया है। इस तरह से यह काम परिवार नियोजन के नाम पर किया जा रहा है। मैं तो समझता हूं कि यह नसबन्दी का एक स्वांग रचा जा रहा है। बहुत लोग आज इस काम में लगे हुये हैं जिसमें बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमन् इस नसबन्दी के काम को बन्द किया जाय तो इससे देश को लाभ होगा और कृषि के कार्य पर बल दिया जाय जिससे अनाज पैदा हो और राष्ट्र की खाद्य समस्या पूर्ति हो। खेतिहर मजदूरों की हालत बहुत खराब है और उसे सुधारने के लिये सरकार कम से कम एक जांच कमीशन या कमेटी बिठाये जो उनकी जांच करे तथा उन को दूसरी तरह की सुविधायें दिलाने का प्रबन्ध करे। साथ ही उन के बच्चों की शिक्षा तथा दवा दारू का पूरा प्रबन्ध सरकार द्वारा होना चाहिये। सिंचाई के लिये कहा जाता है कि हमने सारी सुविधायें दी हैं। लेकिन हमारे यहां चकबन्दी, सिंचाई की नहर निकलने के लिये रोक दी गयी है। वहां १९७२ में एक सरजू कैनाल आने वाली है उसके लिये आज से ही चकबन्दी रोक दी गयी है। बिजली का हाल यह है कि वह एक दिन रहती है और तीन दिन गायब रहती है। ट्यूबवेल बेकार पड़े रहते हैं और सिंचाई नहीं हो पाती। मैं चाहूंगा कि रिहन्द की बिजली हमारे जिले में भी दी जाय वह बस्ती में पहुंच गयी है, उसे गोंडा में भी आना चाहिये। पूर्वी जिले गोंडा से शुरू होते हैं। लेकिन पटेल आयोग का फायदा और दूसरे जिलों को मिला है गोंडा को नहीं मिला। गोंडा, की हालत बहुत खराब है। उसे ठीक करने के लिये उसे भी पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार सुविधा दी जानी चाहिये। हमारे यहां बिजली दिये जाने का कोई प्रबन्ध नहीं है और इस का खास कारण यह है कि हमारे यहां का कोई आदमी सरकार में नहीं है, हमारे यहां की आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गोंडा में बिजली की व्यवस्था तुरन्त की जाय। जब कि पूर्वी जिलों के सरजू, घाघरा, राप्ती, गण्डक, नरायनी नदियां बहती हैं। जब कि दूसरे क्षेत्र माताटीला तथा अन्य जगहों पर बिजली घर बनाये गये पूर्वी जिलों में कोई भी बिजली घर बनाया नहीं गया। जिसके कारण लघु उद्योग, सिंचाई का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। जब तक बिजली, बड़ा उद्योग, टेक्निकल स्कूल की सुविधा नहीं मिलें तब तक पूर्वी जिले पिछड़े हैं और पिछड़े रहेंगे।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, यह सही है कि पिछले वर्षों के बजट घाटे के थे, इस वर्ष के बजट से कम थे, उनमें टैक्सेज लगाये गये थे। यह भी सही है कि इस वर्ष का बजट उन से कई गुना बड़ा है और इस में कोई टैक्सेज नहीं लगाये गये, यह घाटे का बजट भी नहीं है परन्तु क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या आने वाले आम चुनाव में सफलता पाने की नीयत से जनता को प्रलोभन देने के लिये वह इस तरह का बजट नहीं लायी है ? जनता को खुश करने के लिये उसने इस बजट में टैक्स नहीं लगाये हैं क्या यह सही नहीं है ? जनता यह बात भूली नहीं है कि इस सरकार ने हाल ही में रोडवेज का किराया बढ़ाया, रुपये में चार आना लगान में बढ़ा दिया। भूमि भवन पर

[श्री रघुवीरसहाय कैथवार]

बढ़ा दिया और इस के अतिरिक्त इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया है और यह सब कर के जनता को, जिस तरह से अपंग करने की कोशिश सरकार ने की है उसे जनता भूली नहीं है ? मान्यवर सोचने विचारने की बात है कि १८–१९ साल से बराबर हमारी सरकार समाजवाद लाने का नारा लगाती आ रही हैं और यह सत्य ही है कि चाहे कागज पर दिखाने को हो, चाहे राजनीति के दांव-पेच के लिये या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये सदैव सरकार यह कहती आयी हैं कि हम जनता को ऊपर उठायेंगे। लेकिन इस १८–१९ साल में जनता का मनोबल गिरा है और खाने पहिनने और आवास की कठिनाइयां बढ़ती गयी हैं। तरक्की केवल एक गुट विशेष की हुई है। गरीबी-गरीबी की तरफ गई है, अमीरी-अमीरी की तरफ गई है। बहुसंख्यक जनता गरीबी की तरफ जाय और कुछ थोड़े लोग लाभ उठाकर प्रगति की तरफ जांय तो इसे प्रदेश की तरक्की बताना सही नहीं है। मुझे दुख है और दुखी होकर कहता हूं कि मैं उस फतेहपुर जिले का हूं जोकि प्रदेश का सबसे पिछड़ा, छोटा जिला है, सरकार का सबसे बड़ा बजट इस साल का है, लेकिन फतेहपुर की प्रगति के लिये कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। एक तरफ फतेहपुर का पिछड़ापन और दूसरी तरफ सरकार के नौकरशाही के शिकंजे में जकड़ा होना और ऐसे अधिकारियों को फतेहपुर भेजा जाना जो जिलाधीश आदि के पदों के अयोग्य हों, जिले का दुर्भाग्य ही है। मिसाल है कि श्री अनिरुद्ध पांडेय, जिलाधीश फतेहपुर के कैरेक्टर रोल में स्वयं सरकार ने लिखा है कि वह प्रशासन नहीं चला सकते, इस पद के लिये अयोग्य हैं, उन्हें जिलाधीश का पद न दिया जावे। लेकिन उनको चीफ सेक्रेटरी और मुख्य मंत्राणी जी ने जिलाधीश बना कर फतेहपुर भेजा। उन्होंने फतेहपुर में जाकर एडवाइजरी कमेटियों की अवहेलना की। स्वयं उन्होंने खाद्य वितरण, न्यायिक, उद्योग, प्लानिंग और पुलीस अधिकारियों पर पूरी तरह से हावी होकर उनको अपने इशारों पर चलाया जिससे स्थिति बिगड़ी। इस पर जिले के ५ विधायकों ने और जिला परिषद् के अध्यक्ष ने विरोध किया। इन ५ में से दो कांग्रेस के विधायक हैं और जिला परिषद् के अध्यक्ष कांग्रेसी हैं। जिले के कितने ही और कांग्रेसी व विरोधी जनसेवकों ने भी विरोध किया कि यह सामन्तवादी शासन जनतंत्र को खतरे में डालने वाला है और इस पिछड़े हुए जिले के लिये काल–ग्रास है। अस्तु शिकायतें की गयीं। उच्च अधिकारियों और यहां तक कि मुख्य मंत्राणी जी से लिखितरूप में प्रार्थना की गयी कि लिखित आरोपों की जांच और रोकथाम की जाय, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अतएव कलेक्टर साहब बराबर हर अधिकारी को निष्पक्षरूप से न्याय करने व उनके कर्त्तव्य पालन में बाधक रहे हैं, प्रशासन का कार्य चलाने में भी बाधक रहे हैं और प्लानिंग उद्योग आदि की धनराशि के वितरण में बाधा डालते आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे जिन विरोधी और दिखावे के कार्य अवश्य किये हैं जिनसे सरकार को खुश करके अपने को मुस्तकिल जिलाधीश बना सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कैथवार, अब आप कल ४ मिनट बोलियेगा।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन के ११ बजे, तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधानसभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ फरवरी, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

घटना तथा मामले में की गई कार्यवाही का विवरण

दिनांक ४/५-२-६६ की रात्रि को ग्राम तेनुहार उर्फ कठवतिया में रविदास जयंती के उपलक्ष में नाच का आयोजन किया गया था जिसमें आसपास के ग्रामों से भी लोग नाच देखने को आये थे। इनमें पीपुल्स इंटर कालेज डुमरियागंज के कुछ छात्र व उनके कुछ साथी लड़के भी थे जिन्होंने उपरोक्त नाच के अवसर पर कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जिस पर ग्राम तेनुहार के कुछ हरिजनों ने एतराज किया। चूंकि उन लोगों की स्त्रियां और लड़कियां भी वहां मौजूद थीं। इस पर उक्त लड़कों ने अगले दिन जुलूस में देख लेने की धमकी दी और नाच से उठकर चले गये। अगले दिन डुमरियागंज में जब रविदास जयंती का जुलूस निकाला गया और लगभग ५ बजे सायंकाल राप्ती नदी के घाट पर पहुंच कर सभा के रूप में परिणित हुआ तो लड़कों ने कुछ व्यक्तियों पर ईटों व डंडों से प्रहार करना शुरू किया। जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों को चोटें आई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना डुमरियागंज पर लिखाई गई जिसके आधार पर आठ अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १४७-३२३ भा० दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। मामले में तफतीश हो रही है। अभियुक्त जमानत पर छूटे हुए हैं।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

विवरण

गत कुछ वर्षों से बांध के मील २ से मील ५ के बीच घाघरा नदी अपना दाहिना तट काटती आ रही है। नदी के कटाव से बांध को खतरा उत्पन्न हो जाने के कारण, इस मामले में सिंचाई अनुसंधान केंद्र, रुड़की से परामर्श किया गया। उन्होंने तीन पक्की ठोकरें बनाने की सिफारिश की। तदनुसार इस कार्य के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है।

१९६५ की बाढ़ से रक्षार्थ और तत्काल बचाव हेतु ५ बल्लियों के स्पर बांध के मील २–३ फ० से मील २–५ फ० तक बनाये गये। नदी के बिलकुल किनारे स्थित बरोहा ग्राम को बचाने के लिये भी ५ छोटे स्पर बनाये गये। यह सब कार्य गत बाढ़ से पहले ही पूरा किया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

दिसम्बर, १९६५ तक अलीगढ़ जिले में राजकीय नलकूपों की ब्लाक-वार संख्या का विवरण

ब्लाक का नाम	नलकूपों की संख्या
१—लोधा	७६
२—खैर	३९
३—टप्पल	९
४—चंडौस	४६
५—जवां	५
६—हसायन	४
७—अकराबाद	१०
८—सिकंदरा३	१०
९—सासनी	४७
१०—हाथरस	१
११—इगलास	१६
१२—धनीपुर	१
१३—गोंडा	११
१४—बिजौली	२५
१५— गंगीरी	५५
१६—अतरौली	८२
योग ..	४३९

गिरधारी लाल,
सिंचाई मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

सूची

इलाहाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों में १.७.१९६५ से ३१.१२.१९६५ तक की अवधि में जो राजकीय नलकूप चालू हालत में रहे, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	तहसील का नाम	अवधि १-७-१९६५ से ३१-१२-१९६५ तक चालू नलकूपों की संख्या					
		जुलाई १९६५	अगस्त १९६५	सितम्बर १९६५	अक्तूबर १९६५	नवम्बर १९६५	दिसम्बर १९६५
१	हंडिया ..	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०७
२	फूलपुर ..	४६	४६	४६	४६	४६	४७
३	कड़ा ..	७	७	७	७	७	७
४	छैल ..	६	६	६	६	६	६
५	करछना ..	१	१	१	१	१	१
	योग ..	१६५	१६५	१६५	१६५	१६५	१६८

पी० एस० यू० पी०—ए०—पी०—२१९ एल० ए०—१९६६—८६२।